राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] विधान सभा के तेरहवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

बुधवार,

30 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

——

आय व्ययक, 1977-78 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमलजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1977-78 के बजट अनुमान तथा अलग से छः महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. देश की अर्थ व्यवस्था का स्वभावतः राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। आलोच्य वर्ष में समय पर अच्छी वर्षा होने के कारण राज्य में अभाव एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वस्तुओं की कीमतें सामान्यतः स्थिर रहीं। इन महीनों में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के भावों में बढ़ोतरी का रुख पाया गया परन्तु इस पर यथाशीघ्र काबू पा लिया गया।

3. माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस अवसर पर मैं विगत पांच वर्षों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा राज्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

4. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना कार्यक्रमों पर हमने 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74 में क्रमशः 64.11 करोड़ रुपये, 67.32 करोड़ रुपये व 69.79 करोड़ रुपये व्यय किए उसकी तुलना में 1974-75 में 109.55 करोड़ रुपये, 1975-76 में 141.10 करोड़ रुपये व्यय किये गये एवं 1976-77 में 168.67 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार 1971-74 तक के तीन वर्षों में हमने 201.22 करोड़ रुपये व्यय किए। 1974-77 के तीन वर्षों में योजना कार्यक्रमों पर व्यय 108.4 प्रतिशत बढ़कर 419.32 करोड़ रुपये होगा।

5. 1976-77 के लिए योजना आयोग ने योजना कार्यक्रमों के लिए 135 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की थी, जब कि संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार योजना कार्यक्रमों पर अब 168.67 करोड़

(श्री चन्दनमल बैद)

रुपये की राशि खर्च होने की सम्भावना है। इस प्रकार योजना आयोग से अनुमोदित योजना के आकार की तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना कार्यक्रमों पर 33.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो 25 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि मुख्यतः वृहत्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं, बाढ़ राहत कार्यों, कोटा थर्मल पावर परियोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहे निगमों में विनियोजन के फलःस्वरूप हुई है। 33.67 करोड़ रुपये की इस वृद्धि में 18.80 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता से तथा जीवन बीमा निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण आदि से प्राप्त होगी तथा शेष 14.87 करोड़ रुपये की राशि राज्य के संसाधनों से जुटाई गई है।

6. 1977-78 की वार्षिक योजना का आकार, योजना आयोग ने 168 करोड़ रुपये निश्चित किया है। इस स्वीकृत परिव्यय में सिंचाई एवं विद्युत् विकास के लिये 105.85 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत), सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 27.11 करोड़ रुपये (16.14 प्रतिशत), कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 18.45 करोड़ रुपये (10.98 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार कार्यों पर 9.87 करोड़ रुपये (5.87 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज कार्यक्रमों पर 4.31 करोड़ रुपये (2.57 प्रतिशत) सहकारिता क्षेत्र में 1.78 करोड़ रुपये (1.06 प्रतिशत) एवं अन्य सेवाओं पर 63 लाख रुपये (0.38 प्रतिशत) सम्मिलित है।

7. उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उत्पादक कार्यक्रमों अर्थात् कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा उद्योग एवं खनिज विकास के लिए कुल परिव्यय का 76.5 प्रतिशत आवंटित किया गया है तथा सिंचाई एवं विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

8. इस योजना के 168 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था 63.52 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार से सहायता, 62.43 करोड़ रुपये की राजकीय अतिरिक्त साधनों से आय तथा 23.32 करोड़ रुपये की सार्वजनिक एवं वित्तीय प्रतिष्ठानों के ऋण आदि से प्राप्त राशि से की जायेगी। वार्षिक योजना में इस प्रकार 18.73 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है। इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे आगे निवेदन करूंगा। हालांकि योजना आयोग ने आगामी वर्ष की योजना का आकार 168 करोड़ रुपये निश्चित किया है, किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि आगामी वर्ष के अन्त तक योजना कार्यक्रमों पर करीबन 200 करोड़ रुपये तक व्यय हो जायेगा।

9. मैं अब आपके समक्ष कुछ कार्यक्रमों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति एवं लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत करूंगा।

10. कृषि अधिकांश लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विगत वर्षों में कृषि विकास के लिए निरन्तर प्रयत्न किए गए। जहां 1971-72 में खाद्यान्न का उत्पादन 63.35

Page No.3

(श्री चन्दनमल बैद)

लाख टन था, वहां 1977-78 में 77 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि उत्पादनों की खरीद व बिक्री के लिए विकसित मण्डी क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 41 मण्डी परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं की सहायता से क्रियान्वित कराने का कार्यक्रम है। इनमें से 13 परियोजनाओं के लिए कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम से सहायता प्राप्त हो गई है और इन पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक उल्लेखनीय उपलब्धि जोधपुर कृषि उपज मण्डी का निर्माण है। 11 परियोजनाएं कृषि, पुनर्वित्त तथा विकास निगम को प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा 17 परियोजना प्रतिवेदन बैंकों की सहायता से तैयार किये जा रहे हैं। कृषि पर कुल व्यय 1972-73 में 4.71 करोड़ रुपये का हुआ था, इसकी तुलना में यह 1977-78 में 21.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

11. पशुधन कृषकों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार ने पशुधन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है। विशेष पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लगभग 8.80 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली व जोधपुर में भेड़ विकास कार्यक्रम चालू किया गया है। अजमेर व उदयपुर में लगभग 1.64 करोड़ रुपये की लागत से मुर्गी पालन विकास कार्यक्रम तथा अलवर और भरतपुर में सूअर पालन विकास कार्यक्रम चालू किये गये हैं। अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर तथा भीलवाड़ा में 5.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बछड़ा पालन कार्यक्रम चालू किया गया है। 1973-74 से अब तक 1007 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। जहां 1973-74 में कुल 35.7 लाख लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था, वहां दिसम्बर, 1976 में यह बढ़कर 382.5 लाख लीटर हो गया। इस योजना के अन्तर्गत 43,359 लोगों को लाभ मिला व 5.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। डेयरी विकास कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 1977-78 की योजना के अन्तर्गत 1.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

12. राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र रेतीला है, अतः इस राज्य में वृक्षारोपण तथा वन विकास का अपना विशिष्ट महत्व है। इस वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा 55 लाख वृक्षारोपण के आरम्भिक लक्ष्य की तुलना में 82 लाख 70 हजार वृक्ष लगाये गये। 1977-78 में एक करोड़ वृक्ष लगाये जाने का अनुमान है। पिछले वर्षों में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारकोल, कत्था तथा बांस आदि का राजकीय क्षेत्र में व्यापार बढ़ा। तेन्दू पत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे श्रमिकों का शोषण समाप्त होकर आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिला। वनों से 1972-73 में कुल 1.96 करोड़ रुपये की आय हुई थी जब कि 1977-78 में लगभग 4.92 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत वन संवर्धन के लिए कुल प्रावधान 1972-73 में हुए 2.34 करोड़ रुपये के व्यय से बढ़ कर 1977-78 में 7.59 करोड़ रुपये हो जायगा।

(श्री चन्दनमल वैद)

13. भू-जल क्षमता का पता लगाने के लिए सभी पंचायत समितियों के अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं, इससे कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम की सहायता से नयी योजनाएं तथा पूरक योजनाएं तैयार करना संभव हो सकेगा। 1971-72 में जहां केवल 2 कृषि, पुनर्वित्त तथा विकास निगम परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, वहां 1976-77 में 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 4400 नए कुए बनवाए जायेंगे, 2100 पुराने कुओं को गहरा किया जाएगा, 5250 पम्प सैट लगाए जायेंगे तथा 1,17,000 मीटर लम्बी जल प्रणालियां बनवाई जायेंगी। जून, 1978 तक वर्तमान 43 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाओं को पूर्ण करने का तथा 34 नई लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। 38 नई योजनाएं इस समय कृषि, पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विचाराधीन हैं।

14. कृषि एवम् सम्बद्ध सेवाओं पर जहां 1972-73 में 27.21 करोड़ रुपये व्यय होते थे, वहां 1977-78 में 61.42 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

15. कृषकों को विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को सरलता से तथा समय पर ऋण की सुविधा मिलना जरूरी है ताकि वे खेती के लिए आवश्यक निवेशों की व्यवस्था कर सकें। 1971-72 में कुल ग्रामीण कृषक परिवारों में से 37 प्रतिशत कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के सदस्य थे। इस सदस्यता को 1976-77 में 75 प्रतिशत तथा 1977-78 में 80 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। सहकारी बैंकों द्वारा सहकारिता वर्ष 1972-73 में दिये गये 9.05 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 69 लाख रुपये के मध्यकालीन व 3.45 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों की तुलना में 1977-78 के सहकारिता वर्ष में 85 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 7 करोड़ रुपये के मध्यकालीन व 15 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने का अनुमान है। सहकारिता के मद पर 1972-73 में हुए 3.94 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले 1977-78 में 9.82 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

16. जयपुर-नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक के अन्तर्गत जयपुर जिले में 18 तथा नागौर जिले में 13 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इस वर्ष दो अन्य ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, जिनमें से 'मारवाड़ ग्रामीण बैंक' का कार्यक्षेत्र सिरोही, जालोर व पाली जिला तथा 'शेखावटी ग्रामीण बैंक' का कार्यक्षेत्र सीकर व झुंझुनूं जिला है। राज्य सरकार ने इन तीनों ग्रामीण बैंकों में 11.25 लाख रुपये की हिस्सा-पूंजी 3.75 लाख रुपये प्रति बैंक के हिसाब से लगाई है।

17. राजस्थान में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है। अतः योजना राशि का अधिकांश भाग सिंचाई कार्यों में खर्च किया जाता है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से 1971-72 में जहां 28.50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी, वहां 1976-77 में 38.59 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है। सिंचाई निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए प्रावधानों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है।

(श्री चन्दनमल वैद)

18. राजस्थान नहर परियोजना पर 1972 से जो प्रमुख कार्य किया गया, वह प्रथम चरण की 189 किलोमीटर लम्बी सम्पूर्ण नहर को पूरा करने व मुख्य लिफ्ट नहर, पूगल ब्रांच तथा मुख्य नहर की 73 किलोमीटर से 189 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली को पूरा करने का था। द्वितीय चरण के अन्तर्गत जल प्रणालियों व सड़कों का निर्माण तथा मुख्य नहर की पार्ट लाइनिंग जैसे प्रारम्भिक कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। चालू वर्ष में द्वितीय चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली पर भी कार्य प्रारम्भ किया गया। इस अवधि में इन कार्यों पर कुल 85.91 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। प्रथम चरण के कुल 5.44 लाख हेक्टेयर नहरी कमान क्षेत्र में से, मार्च, 1977 तक इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होने की संभावना है, जब कि मार्च, 1972 में इससे 1.8 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई होती थी। इसके लिए 1976-77 में बजट प्रावंटन 23.50 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 24.13 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आगामी वर्ष के लिए इस हेतु 28 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से प्रथम चरण पर 16 करोड़ रुपये तथा द्वितीय चरण पर 12 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण की मूल योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है जिससे इस योजना से प्रवाह सिंचाई (फ्लो इर्रीगेशन) के अलावा लिफ्ट इर्रीगेशन के माध्यम से बीकानेर जिले में गजनेर व कोलायत, जोधपुर जिले में फलोदी, जैसलमेर जिले में पोकरण तथा गंगानगर व चूरू जिलों में नोहर-साहवा योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था की जा सके।

19. 1971 में माही बजाज सागर परियोजना स्वीकृत की गई थी। 1979 को समाप्ति तक इस परियोजना के प्रथम चरण अर्थात् मुख्य बांध व नहर प्रणाली के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तथा इससे 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 9.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं तथा अगले वर्ष इसके लिए 9.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

20. सिंचाई कार्यक्रमों में 1972-73 में कुल व्यय 54.42 करोड़ रुपये का हुआ जो 1977-78 में 91.86 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

21. 1976-77 के फरवरी माह तक कुल 81.79 ग्रामों तथा 1,06,845 कुओं का विद्युतीकरण किया गया। कुल विद्युतीकृत ग्रामों और कुओं की संख्या जो 1971-72 में क्रमश: 4168 एवं 48,389 थी, वह 1977-78 के अन्त तक बढ़ कर क्रमश: 9,490 तथा 1,27,500 हो जाएगी। कोटा थर्मल प्लान्ट के लिए वर्तमान वर्ष में 3 करोड़ रुपये व 1977-78 में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

22. राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल की स्थापना से लेकर 1971-72 तक चौदह वर्षों में विद्युत् विकास कार्यक्रमों पर 222.65 करोड़ रुपये व्यय हुए, उसकी

(श्री चन्दनमल वैद)

तुलना में अब छः वर्षों में यानि 1972-73 से 1977-78 तक 253.52 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

23. गत पांच वर्षों में बड़े उद्योगों के क्षेत्र में राज्य सरकार ने विशेषरूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में जे. के. टायर्स जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के विकास में योगदान किया तथा राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने अनेक अन्य इकाइयों को पूंजी निवेश में सहायता दी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान वित्त निगम और राज्य के उद्योग विभाग के सहयोग से भूमि, विद्युत, वित्त आदि सभी सुविधाएं एक ही स्थान से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। राजस्थान वित्त निगम को 25 लाख रुपये, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को 50 लाख रुपये, राजस्थान लघु उद्योग निगम को 50 लाख रुपये, राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. को 35 लाख रुपये, राजस्थान स्टेट होटल निगम को 6 लाख रुपये, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग निगम को 16 लाख रुपये, दि गंगानगर शुगर मिल्स लि. को 30 लाख रुपये तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देकर इन निगमों के वित्तीय आधार को अधिक सक्षम बनाया गया है।

24. लघु उद्योग निगम 20 गलीचा निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निगम को 2.50 लाख रुपये इस वर्ष व 5 लाख रुपये अगले वर्ष दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम को 1977-78 में तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए 1977-78 में 24 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

25. 1972-73 में इस सदन के सम्मुख पहला बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में मुझे राज्य की ऐसी विषम व नाजुक वित्तीय स्थिति का एक गम्भीर चित्र प्रस्तुत करना पड़ा था, जिसके कारण महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम को हाथ में लेने में अनेक हिचकिचाहटें उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसके बाद सरकार ने अगले वर्षों में किस प्रकार बड़े पैमाने पर अतिरिक्त आय के साधान जुटाकर, वित्तीय प्रबन्ध में सुव्यवस्था लाकर, फिजूलखर्ची को रोककर, प्रशासन को सरकारी राशियों की वसूली अच्छी तरह करने हेतु सुगठित बनाकर तथा करों की चोरी रोककर, राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व एवं मजबूती लाने का सफल प्रयास किया तथा उसे एक ठोस आधार प्रदान किया, इससे मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराता रहा हूं। इन महत्वपूर्ण कदमों के परिणाम स्वरूप ही 1975-76 तक आते आते हम संकट की स्थिति से उभर पाये और राज्य की वित्तीय अवस्था में मजबूती और संतुलन के स्वरूप लक्षण दिखाई देने लगे।

26. माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि किसी भी सुनियोजित विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए एक ठोस, सुगठित तथा कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का होना जरूरी है। धनराशि के अभाव में कुछ वर्षों तक सामान्य प्रशासनिक सुधार की ओर हम

Page No.7

(श्री चन्दनमल बैद)

समुचित ध्यान नहीं दे सके थे। राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने पर अब हमने सामान्य प्रशासन एवं सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सुधार करने का भी कार्यक्रम चालू किया है।

27. चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं और सामान्य सेवाओं में पर्याप्त सुधार किया गया है। पहले प्रति शय्या दवाइयों, औषधियों और खुराक के नार्म्स शय्याओं की संख्या के अनुसार अलग-अलग अस्पतालों में अलग-अलग दरों पर निर्धारित थे। अब अस्पतालों के स्तर में सुधार करने के लिए इन नार्म्स में एकरूपता लाकर पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। अब दवाइयों के लिए 1200 रुपये प्रति शय्या प्रति वर्ष सामान्य अस्पतालों के लिए तथा 1350 रुपये, शैक्षणिक अस्पतालों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवाओं के लिए अलग से प्रावधान रखा जा रहा है। खुराक के लिए भी नार्म बढ़ा कर 5 रुपये प्रति शय्या प्रतिदिन कर दिया गया है। वस्त्रों तथा बिस्तरों का नार्म पहले निर्धारित नहीं था किन्तु अब नयी शय्याओं के लिए 330 रुपये प्रति शय्या तथा पुरानी शय्याओं के लिए 190 रुपये प्रति शय्या प्रतिवर्ष निश्चित कर दिया गया है। पुराने नार्म्स में बढ़ोतरी तथा नये नार्म्स के निर्धारण के कारण इन मदों पर 1977-78 में 5.70 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने तथा रोगी वाहनों, लिफ्टों, एक्सरे मशीनों तथा उपकरणों आदि के नवीनीकरण का एक निर्धारित कार्यक्रम अपनाया गया है।

28. चिकित्सा सेवाओं पर 1972-73 में 13.53 करोड़ रुपये की तुलना में 1977-78 में 28.44 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

29. पिछड़ी जाति के लोगों के कल्याण एवं उत्थान की ओर सरकार हमेशा से प्रयत्नशील रही है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास चलाने वाली स्वेच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि इस वर्ष बढ़ा दी गई है। बढ़ी दर के अनुसार सहायता अनुदान की राशि अब मिडिल स्तर के छात्रों के लिये 70 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 95 रुपये प्रतिमाह तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए 75 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। छात्रवृत्ति की दरों में भी संशोधन किया गया है। मिडिल स्तर के छात्रों को इस वर्ष 5 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 10 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा है। विकलांग छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है तथा उन्हें 20, 30 और 40 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा है। 1971-72 में लगभग 20,000 छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। 1977-78 में छात्रवृत्तियों से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 60,000 हो जाएगी। कुटीर उद्योगों व उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को स्टाईपेण्ड 35 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 50 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा है। वृद्धावस्था एवं अक्षमता पेन्शन स्वीकृत करने के नियमों को सरल एवं उदार बनाये जाने से जहां इस योजना के अन्तर्गत 1972-73 में 6245 व्यक्तियों को लाभ मिलता था, तथा

(श्री चन्दनमल बैद)

उस पर 37 लाख रुपये का व्यय होता था, वहां इसकी तुलना में 1976-77 में इससे 21,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे तथा इस पर 63 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। 1977-78 में इस पर 77 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन लोगों को दी जाने वाली पेन्शन की दरें भी बढ़ाई गई हैं, जिसके अनुसार व्यक्तिगत पेन्शन 30 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रतिमाह तथा दम्पति पेन्शन 40 रुपये के स्थान पर 60 रुपये प्रतिमाह दी जाने लगी है। टौंक में वृद्ध एवं अक्षम लोगों के लिये एक नया गृह खोला गया है तथा वृद्ध व अक्षम लोगों, मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के वर्तमान गृहों, भिक्षु गृहों व फाउण्डलिंग गृहों में और अधिक लोगों को रहने की सुविधा देने के लिये अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के लिये आवास सुविधा प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए उनके रहने के लिए 2 नये भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है।

30. हमारा यह प्रयत्न रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी मेधावी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का उचित अवसर दिया जाए। इन समुदायों के सभी छात्र इसके लिए आयोजित एक चयन परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे तथा उनमें से चयन के आधार पर 50 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जायेंगी। ये छात्रवृत्तियां छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 75 रुपये प्रतिमाह की दर पर तथा माध्यमिक व उच्चत्तर माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 125 रुपये प्रति माह की दर पर दी जायेंगी। इस योजना पर अगले वर्ष एक लाख रुपये का व्यय होगा। छठी योजना के अन्त तक यह खर्चा 42 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।

31. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर होने वाला व्यय 1972-73 में 6.23 करोड़ रुपये था जिसकी तुलना में यह 1976-77 में 11.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

32. संचार व्यवस्था को उन्नत बनाने तथा गांवों की उपज को शहरों तक पहुँचाने के लिए सड़कों का जाल बिछाना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। राजस्थान में 1972 में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लम्बाई 32,905 किलोमीटर थी जिसके 1977 में बढ़कर 38,191 किलोमीटर व मार्च, 1978 तक कुल 38,591 किलोमीटर हो जाने का अनुमान है। सड़कों के रख-रखाव के लिए 1976-77 के बजट अनुमानों में 9.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु संशोधित अनुमानों में वह बढ़ाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

33. राज्य में नगरपालिकाओं को 1971 की जनगणना के आधार पर 1974-75 से पहले 50 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से 22 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसको 1974-75 में दुगुना करके 46 लाख रुपये कर दिया गया था। नगरपालिका क्षेत्रों में प्रदत्त नागरिक सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करने हेतु एवं पालिका कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान देने हेतु इसी वर्ष सहायता राशि को एक रुपया प्रति व्यक्ति की दर से

Page No.9

(श्री चन्दनमल बैद)

बढ़ा कर पांच रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के फलस्वरूप संशोधित अनुमानों में 1.76 करोड़ रुपये तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 2.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

34. नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु 1975-76 में 33 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था, उसे बढ़ा कर 1976-77 में 59 लाख रुपये कर दिया गया है। जयपुर शहर में एक कान्फ्रेंस काम्प्लेक्स के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए नगर विकास न्यास को 50 लाख रुपये की राशि इसी वर्ष प्रदान की गई है।

35. भारत सरकार द्वारा जयपुर में दूर-दर्शन की स्थापना के फलस्वरूप एक ऐसी योजना चालू करना संभव हो गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में जयपुर शहर के 90 किलोमीटर की परिधि के भीतर 32 पंचायत समितियों में सामुदायिक दूर-दर्शन सेट स्थापित किये जायेंगे। राज्य सरकार ने 125 दूरदर्शन सेटों की खरीद व उनके रख-रखाव के लिए 1976-77 में 6.61 लाख रुपये व 1977-78 में 4 लाख रुपये का प्रावधान लिया है।

36. सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 मई, 1977 से राज्य में जिला एव सत्र न्यायालयों की संख्या 17 की बजाए 26 कर दी जाय। इससे जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय हो जायेंगे।

37. राजस्व एवं जिला प्रशासन का जनसंख्या के बहुत बड़े भाग से सीधा सम्बन्ध रहता है। अतः इस विभाग पर प्रशासन का अधिक कार्यभार तो रहता ही है, समय-समय पर नई जिम्मेदारियां भी इसे सौंपी जाती है, लेकिन अभी तक हम इस विभाग को आवश्यकता के अनुरूप सुदृढ़ नहीं कर पाए थे। अब यह कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चालू किया गया है। वादियों की सुविधा के लिए राजस्व मण्डल को अधिक सशक्त बनाया गया है, जिससे राजस्व मामलों के निपटारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिलाधीशों को उनके कार्य-भार में राहत देने के लिए प्रत्येक जिले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी का एक पद स्वीकृत किया गया है। राजस्व अधिकारियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला पूल में अतिरिक्त जीपें दी गई हैं, पटवारियों के 1923 पद सृजित किये गए। अगले वर्ष, पटवार घरों, तहसील भवनों व अभिलेखागारों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिला प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए 1977-78 में पटवारियों के 360 पद व अन्य अनेक नये पद सृजित किये जा रहे हैं। भू-अभिलेखों के सुधार के लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष के 11.42 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में जिला एवं राजस्व विभाग के संशोधित अनुमानों में 13.10 करोड़ रुपये व अगले वर्ष के बजट अनुमानों में 15.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

38. अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के पुनर्गठन का कार्य हाथ में लिया गया है। 1976-77 तक इस पर 92 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 1977-78 में इसके लिए 24 लाख रुपये

(श्री चन्दनमल बैद)

का प्रावधान किया गया है। पुनर्गठन की योजना के अलावा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। जेल सुधार की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इन सुधार कार्यों में आचरण सुधार, अनुसंधान व प्रशिक्षण के कार्यक्रम तथा उद्योग व कृषि विकास के कार्यक्रम भी शामिल हैं। कारागृहों के भवनों की मरम्मत, उनमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, निर्माण कार्य तथा फ्लश लैट्रिन्स व पंखे आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। कारागृहों में श्रेणी-भेद समाप्त कर दिया गया है तथा खुराक में भी सुधार किया गया है।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : यह अच्छा किया।

श्री चन्दन मल बैद : इन सुधार कार्यों पर चालू वर्ष में 39 लाख रुपये का व्यय होगा और 1977-78 में इसके लिए 55 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

39. सरकार की नीतियों का सफल क्रियान्वयन बहुत अंशों तक उन व्यक्तियों पर निर्भर रहता है जो इन्हें क्रियान्वित करते है। प्रशासकों को सौंपे गए कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान ने अपनी गतिविधियों में पर्याप्त बढ़ोतरी की है। इस संस्थान ने 1976-77 में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है। दिसम्बर, 1976 में यह संस्थान 'यूनेस्को' तथा 'यूनेप' के सहयोग से 'ह्यूमेन सैटिलमेन्ट मैनेजमेन्ट' विषय पर एक सेमीनार का आयोजन भी कर चुका है।

40. माननीय सदस्यों को विदित है कि सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के लिए नवीन वेतनमान दिनांक 1-9-1976 से लागू कर दिए गए हैं। ये संशोधित वेतनमान देश के सर्वोत्तम वेतनमानों में से हैं। इन वेतनमानों के लागू होने से राज्य सेवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त लाभ हुआ है। उदाहरणार्थ, मूल वेतन में महंगाई भत्ते को मिला देने से कर्मचारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति के समय पेन्शन व ग्रेच्युटी की राशि अधिक मिलेगी। दिनांक 1-9-1976 से पहले स्वीकृत पेन्शन की दरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। सरकार ने घोषणा की थी कि यदि भविष्य में महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाएगा तो उसका अपना अलग ही आधार होगा। इसके अनुसार सरकार ने 1 सितम्बर, 1976 से अपने कर्मचारियों के लिए 14 रुपये से 60 रुपये प्रतिमाह तक महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। अभी तक निजी मकान वाले राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता था। 1 मार्च, 1978 से ऐसे राज्य कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।

41. नये वेतनमान लागू करने, पेन्शन परिलाभों में वृद्धि करने, नया महंगाई भत्ता स्वीकार करने तथा निजी मकान वाले राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के

(श्री चन्दनमल बैद)

फलस्वरूप 1976-77 में 13.51 करोड़ रुपये तथा 1977-78 में 30.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

42. नगरपालिकाओं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमानों का लाभ देने के लिए राज्य सरकार उन्हें अतिरिक्त अनुदान दे रही है।

43. अनिवार्य राज्य बीमा योजना कर्मचारियों के लिये एक वरदान सिद्ध हुई है। मूल वेतन में हुई भारी वृद्धि के अनुरूप दिनांक 1-3-1977 से राज्य बीमा योजना में अंशदान की दर में भी वृद्धि कर दी गई है। इससे बीमा शुदा व्यक्ति को बीमा पालिसी के परिपक्व होने पर पहले से कहीं अधिक राशि मिलेगी। राज्य बीमा योजना में यह नई व्यवस्था भी की गई है कि कर्मचारी से मामूली-सी अतिरिक्त प्रिमियम की राशि लेकर उसे यह लाभ दिया जायेगा कि सेवाकाल में किसी कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो बीमा राशि का दुगुना भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1 अप्रेल, 1976 से बीमा निधि पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी है। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को बीमा राशि पर अधिक लाभांश मिलने लगेगा।

लेखे 1975-76

44. 1975-76 के संशोधित अनुमानों में 17.79 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा आंका गया था। इसकी तुलना में लेखों के अनुसार शुद्ध घाटा 7.73 करोड़ रुपये रहा जब कि योजना व्यय 135.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 141.10 करोड़ रुपये हुआ। राज्य के वित्तीय साधनों में इस प्रकार कुल मिलाकर 15.78 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई जो मुख्यत: 'स्वेच्छा से आय बताने' की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में से अधिक हिस्सा प्राप्ति एवं राज्य की आय में बढ़ोतरी के कारण संभव हुई।

संशोधित अनुमान 1976-77

45. बजट अनुमान 1976-77 में कुल आय 493.58 करोड़ रुपये एवं कुल व्यय 521.28 करोड़ रुपये मानते हुए वर्ष के अन्त तक 27.70 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था। बजट में प्रस्तावित नवीन साधनों से होने वाली 8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी व विभिन्न विकासीय मदों में 7.45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के प्रस्तावों को सम्मिलित करने के पश्चात् शुद्ध घाटा 27.15 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। संशोधित अनुमानों के आधार पर चालू वर्ष का घाटा 13.84 करोड़ रुपये ही रहता किन्तु गत वर्ष के घाटे को सम्मिलित करने से कुल घाटा 21.57 करोड़ रुपये होगा। बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में गत वर्ष के 7.73 करोड़ रुपये के घाटे को छोड़कर, इस प्रकार 13.31 करोड़ रुपये का सुधार परिलक्षित है।

46. सदन की जानकारी के लिए मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि बजट अनुमानों में हमने 405.12 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां आंकी थीं जिसकी तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व आय 45.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 450.

(श्री चन्दनमल बैद)

करोड़ रुपये संभावित है। यह बढ़ोतरी राजकीय करों में 7.10 करोड़ रुपये, कर-भिन्न आय में 9.07 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों के हिस्से में 6.96 करोड़ रुपये व केन्द्रीय अनुदानों में 22.52 करोड़ रुपये के अन्तर्गत हुई है।

47. इसी प्रकार बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 383.17 करोड़ रुपये (अप्रत्याशित व्यय 15 करोड़ रुपये व अतिरिक्त योजना व्यय 1.45 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए) रखा गया था। संशोधित अनुमानों के आधार पर राजस्व व्यय 38.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 421.72 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह वृद्धि राज्य योजना व्यय के अन्तर्गत 3.40 करोड़ रुपये व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 11.03 करोड़ रुपये है। शेष 24.12 करोड़ रुपये की वृद्धि योजना भिन्न 'विकास व्यय' के मदों में 23.25 करोड़ रुपये व 'अविकास व्यय' में 2.36 करोड़ रुपये है, जो महंगाई भत्ते व वेतनमानों के नवीनीकरण आदि के लिये रखे गये 15 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित व्यय के प्रावधान के पेटे 13.51 करोड़ रुपये के ही संभावित व्यय के कारण 1.49 करोड़ रुपये की बचत रह जाने से अंशत: प्रति संतुलित हो गई है।

48. पूंजी खाते में प्राप्तियों एवं भुगतानों का बजट प्रावधान क्रमश: 96.46 करोड़ रुपये व 145.56 करोड़ रुपये था जब कि संशोधित अनुमानों में क्रमश: 141.33 करोड़ रुपये व 191.95 करोड़ रुपये रखे गये हैं। प्राप्तियों में 44.87 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: अल्प बचत संग्रह में 3 करोड़ रुपये की केन्द्र से अधिक ऋण प्राप्ति, ऋणों व अग्रिमों की 5.80 करोड़ रुपये की अधिक वसूली, लोक लेखे में 6.10 करोड़ रुपये की मुख्यत: बीमा निधि के अन्तर्गत अधिक जमा, केन्द्रीय सरकार से योजना कार्यक्रमों के लिए 11.79 करोड़ रुपये, कृषकों के लिए अल्पकालीन ऋण 5.50 करोड़ रुपये, भाखरा नांगल परियोजना सम्बन्धी व्यय के समायोजनार्थ 9.63 करोड़ रुपये व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए 64 लाख रुपये के अधिक ऋण प्राप्त होने व अन्य विविध मदों में 2.41 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण है।

49. पूंजी व्यय में जो 46.39 करोड़ की वृद्धि संशोधित अनुमानों में दिखाई गई है वह मुख्यत: योजना कार्यक्रमों व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर व्यय हेतु 17 71 करोड़ रुपये, कृषकों को अल्पकालीन ऋण वितरण 6.40 करोड़ रुपये, भाखरा परियोजना के पूंजी व्यय के समायोजनार्थ 2.78 करोड़ रुपये, विद्युत् मंडल को तत्सम्बन्धी ऋण, 6.85 करोड़ रुपये, केन्द्रीय ऋणों के भुगतान हेतु 3.03 करोड़ रुपये, गत वर्ष के घाटे के भुगतान हेतु 7.73 करोड़ रुपये, सीमा क्षेत्रीय सड़कों के निर्माण हेतु 1.51 करोड़ रुपये के आयोजना भिन्न पूंजी व्यय के प्रावधानों के कारण है।

बजट अनुमान 1977-78

50. अब मैं आपके समक्ष 1977-78 के बजट अनुमानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

51. आगामी वर्ष के लिए राजस्व एवं पूंजी लेखों की समग्र प्राप्तियां 584.55

(श्री चन्दनमल बैद)

करोड़ रुपये आंकी गई है। इन प्राप्तियों का मदवार विवरण निम्न प्रकार है:--

	(करोड़ रुपयों में) बजट अनुमान 1977–78
समग्र प्राप्तियां	
(क) राजस्व प्राप्तियां	
1. राजकीय करों से आय	159.62
2. कर-भिन्न (नान-टैक्स) आय	101.59
3. केन्द्रीय करों में हिस्सा	82.12
4. केन्द्र से अनुदान	107.86
योग—राजस्व प्राप्तियां	451.19
(ख) पूंजी लेखे में प्राप्तियां	
1. सार्वजनिक ऋण	25.46
2. केन्द्र से ऋण	42.25
3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3.81
4. अल्प बचत संग्रह में हिस्सा	11.00
5. ऋण व अग्रिम की वसूली	16.62
6. लोक लेखे में शुद्ध प्राप्तियां	34.22
7. अन्य प्राप्तियां	—
योग-पूंजी लेखे में प्राप्तियां	133.36
समग्र प्राप्तियां	584 55

समग्र व्यय

52. 1977-78 के लिए राजस्व एवं पूंजी खाते का सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं पर समग्र व्यय 608.77 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

	(करोड़ रुपयों में) बजट अनुमान 1977-78
(क) विकास व्यय	
(अ) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	188.74
1. शिक्षा	99.08
2. चिकित्सा	28.41
3 जन स्वास्थ्य	26 45
4. सामुदायिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.70
5. अन्य	26.07
(ब) आर्थिक सेवाएं	226.62
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.58
2. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	61.42
3. उद्योग एवं खनिज	13.86
4. सिंचाई एवं विद्युत विकास	123.32
5. यातायात एवं संचार	16.44
योग-विकास व्यय	415.36
(ख) विकास भिन्न व्यय	
(अ) सामान्य सेवाएं	
1. ब्याज भुगतान	61.55
2. अन्य	89.13
(ब) केन्द्रीय, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान	42.73
योग विकास भिन्न व्यय	193.41
योग समग्र व्यय	608.77

53. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 1977-78 के लिए समग्र प्राप्तियां 584.55 करोड़ रुपये व समग्र व्यय

(श्री चन्दनमल बैद)

608.77 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसके आधार पर आगामी वर्ष में योजना परिव्यय में 18.73 करोड़ रुपये की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल घाटा 24.22 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चालू वर्ष के अन्त में रहने वाले 21.57 करोड़ रुपये के घाटे को आगामी वर्ष के 24.22 करोड़ रुपये के घाटे में जोड़ने पर अगले वर्ष के अन्त तक कुल घाटा 45.79 करोड़ रुपये होता है। इस घाटे की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा।

54. माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए विगत पांच वर्षों में जो वित्तीय उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, उनका यहां पर संक्षिप्त उल्लेख करना उपयुक्त होगा।

राजकीय करों से आय

55. 1972-73 में विभिन्न करों से हुई 74.87 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 1977-78 के अनुसार यह आय 113.20 प्रतिशत बढ़कर 159.62 करोड़ रुपये होगी। यह वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर (138.87 प्रतिशत), आबकारी (99.67 प्रतिशत), माल एवं यात्री कर (119.08 प्रतिशत) व मनोरंजन कर (138.92 प्रतिशत) के अन्तर्गत है।

कर-भिन्न आय

56. कर-भिन्न आय के मदों में भी विगत वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1972-73 में इन मदों से 55.63 करोड़ रुपये की आय की तुलना में अगले वर्ष 101.59 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है, जो 82.62 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः वन (151.02 प्रतिशत), राक फॉस्फेट (446.34 प्रतिशत), खनिज (135.66 प्रतिशत) व सिंचाई परियोजनाओं से आय (119.66 प्रतिशत) के के कारण है।

अल्प बचत संग्रह से आय

57. अल्प बचत योजना के क्षेत्र में किये गये अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप 1972-73 में प्राप्त राशि 2.81 करोड़ रुपये की तुलना में 11 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है जो 291.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस प्रकार अल्प बचत संग्रह के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है और हमारा यह निरन्तर प्रयास है कि राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों में अधिकाधिक जन सहयोग इस योजना के माध्यम से प्राप्त किया जाये।

58. कुशल वित्तीय प्रबंध, दृढ़ वित्तीय अनुशासन, राजकीय करों, ऋणों व बकायात की बेहतर वसूली, अनुत्पादक एवं अनावश्यक व्ययों में कटौती, अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से अधिक धन संग्रह के कारण जहां 1972-73 में हमारी समग्र प्राप्तियां 276.43 करोड़ रुपये थी उनकी तुलना में 1977-78 में 211.46 प्रतिशत बढ़कर कुल प्राप्तियां 584.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

59. 1972-73 में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर क्रमशः 119.01 करोड़ रुपये व 117.43 करोड़ रुपये व्यय हुए। इसके समक्ष 1977-78 में इन कार्यक्रमों पर क्रमशः 188.74 करोड़ रुपये व 226.62 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जो 1972-73 के मुकाबले में क्रमशः 58.59 व 92.98 प्रतिशत अधिक है।

(श्री चन्दनमल बैद)

60. मैंने पहले यह बतलाया है कि चालू वर्ष के घाटे सहित आगामी वर्ष के अन्त तक कुल घाटा 45.79 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष के प्रारंभ में रहे 7.73 करोड़ रुपये के घाटे को 31-3-78 तक चालू रखने के लिए केन्द्र सरकार के सहमत हो जाने से, एवं छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पांचवीं योजना अवधि में लिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए अपेक्षित कुल 25.59 करोड़ रुपये की सहायता के पेटे 12.59 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता-नुदान मिलने की संभावना से, यह घाटा 20.32 करोड़ रुपये कम हो सकेगा। फिर भी 25.47 करोड़ रुपये से शेष घाटे को पूरा करने की समस्या हमारे सामने है। इस घाटे के कुछ अंश को पूरा करने के लिए सदन के सम्मुख में कुछ कर-प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि सदन हमेशा की भांति इस बार भी राज्य के विकास के हित में इन कर-प्रस्तावों का समर्थन करेगा।

कर-प्रस्ताव

61. काफी समय से हमने मदिरा पर आबकारी शुल्क में परिवर्तन नहीं किया है। मदिरा की खपत में कमी करने के उद्देश्य से, मैं आबकारी शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। मैंने इसके लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा। (आई.एम.एफ.एल.) को चुना है क्योंकि इसका प्रयोग अधिकांशतः समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित आबकारी शुल्क इस प्रकार है :—

मदिरा	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1. आई. एम. एफ. एल. 15 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के मध्य	10 रुपया प्रति एलपी लिटर	15 रुपया प्रति एलपी लिटर
2. आई. एम. एफ. एल. 42 प्रतिशत या अधिक	18.50 रुपया प्रति एलपी लिटर	22 रुपया प्रति एलपी लिटर
3. बियर	0.80 रुपया प्रति लीटर	2 रुपया प्रति लीटर

आई. एम. एफ. एल. लाइसेन्सों का नवीनीकरण

62. चूंकि राज्य सरकार द्वारा नये लाइसेन्स देना बन्द कर दिया गया है वर्तमान लाइसेन्सी, जब तक ईमानदारी से व्यापार करते हैं व लाइसेन्स की शर्तों का पालन करते हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा से अप्रभावित रहते हुए अपनी बिक्री व मुनाफा बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनके बढ़े हुए मुनाफे का कुछ भाग राज्य सरकार को न मिले। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लाइसेन्सों के नवीनीकरण पर निम्न प्रकार से नवीनीकरण शुल्क लगाया जाए:—

(श्री चन्दनमल बैद)

लाइसेन्स	नवीनीकरण शुल्क
1. होलसेल आई. एम. एफ. एल. दुकान और रिटेल-आन आई. एम. एफ. एल. दुकान	5,000 रुपया प्रति वर्ष
2. रिटेल आई. एम. एफ. एल. दुकान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और गंगानगर	3,000 रुपया प्रति वर्ष
3. रिटेल आई. एम. एफ एल. दुकान अन्य जगहों पर	2,000 रुपया प्रति वर्ष

मुद्रांक शुल्क

63. स्टाम्प अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में गत वर्ष ही परिवर्तन किया गया था और उस प्रक्रिया को दोहराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। परन्तु इस अनुसूची की कुछ मदें (आर्टीकल्स) ऐसी हैं जिन पर शुल्क की राशि या तो एक रुपये से कम है या एक रुपये से अधिक होने पर भी पूर्ण रुपयों में नहीं है। स्टाम्प पेपर की कमी के कारण छोटे मूल्य के स्टाम्प आवश्यक मात्रा में नहीं छापे जाते हैं जिनकी कमी के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी मदों (आर्टीकल्स) का मुद्रांक शुल्क, उन मदों को छोड़ कर जिनका शुल्क क्रमबद्ध स्लेब में दिया हुआ है, को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि एक रुपये से कम शुल्क को पूरा एक रुपया तथा जो शुल्क एक रुपये से अधिक होते हुए भी पूर्ण रुपयों में नहीं है, को बढ़ाकर समीपवर्ती उच्च पूर्ण रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाए।

कोर्ट फीस

64. (i) कोर्ट फीस की दरें राजस्थान कोर्ट फीस तथा सूट्स वेल्युएशन अधिनियम के अन्तर्गत सन् 1961 में निर्धारित की गई थीं। पन्द्रह वर्ष की अवधि जो निकल चुकी है अपने आ में इन दरों को संशोधित करने के लिए पर्याप्त कारण है, परन्तु किसी लम्बे चौड़े परिवर्तन का मेरा कोई विचार नहीं है। अलबत्ता छोटे मूल्य के स्टाम्प की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन एक्ट, 1961 की अनुसूची I तथा अनुसूची II की कुछ मदों पर कोर्ट फीस की राशि को इस प्रकार थोड़ा-सा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं कि जो राशि एक रुपये से कम है उसे पूरा एक रुपया कर दिया जाए तथा जो फीस एक रुपये से अधिक होते हुए भी पूर्ण रुपयों से कम है तो उसको बढ़ा कर समीपवर्ती उच्च पूर्ण रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाए।

Page No.17

(श्री चन्दनमल बैद)

(ii) ऊपर बताए गए कारणों से ही राजस्थान बिक्रीकर नियम,1955 के नियम 64 तथा राजस्थान भूमि एवं भवन कर नियम 1965 के नियम 27 में दी गई कोर्ट फीस की उन मदों में इस प्रकार वृद्धि का प्रस्ताव किया जाता है कि जिनकी कोर्ट फीस एक रुपये से कम है तो उसे पूरा एक रुपया कर दिया जाए और जिसकी फीस एक रुपये से अधिक होते हुए भी पूर्ण रुपयों में नहीं है तो उसे बढ़ा कर समीपवर्ती उच्च पूर्ण रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाए।

(iii) राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में दी गई कोर्ट फीस करीब 20 वर्षों से अपरिवर्तित हो रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त तृतीय अनुसूची में दावों तथा अपील पर कोर्ट फीस 50 पैसे से बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाए तथा दरख्वास्तों पर फीस को 25 व 35 पैसे बढ़ा कर 50 पैसे कर दिया जाय।

बिक्री कर

65. माननीय सदस्यों के पूर्वानुमान के विपरीत मैं बिक्री कर से संबंधित कर प्रस्तावों का आरम्भ बिक्री कर में छूट के प्रस्तावों से कर रहा हूं जो इस प्रकार है—

(i) करारोपण सीमा— विनिर्माता, आयातकर्ता तथा सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य व्यापारियों को टर्न-ओवर की सीमा 30 हजार रुपया है। यह सीमा 1969 में निश्चित की गई थी। कीमतों में वृद्धि के कारण यह सीमा अब कम लगने लगी है। अतः छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से टर्न-ओवर की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपया कर देना प्रस्तावित है।

(ii) टेलीविजन, रेडियो व ट्रांजिस्टर सैट— टेलीविजन हाल ही में जयपुर में आया है। अतः इस पर अलग से बिक्री कर की दर निर्धारित नहीं होने के कारण 7 प्रतिशत की आम दर लागू है। यह दर रेडियो व ट्रांजिस्टर सैट पर लगने वाली 12 प्रतिशत की दर से बहुत कम है परन्तु अधिक से अधिक लोगों को टी. वी. सैट लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उस पर 7 प्रतिशत की दर ही रहने देने का प्रस्ताव करता हूं। और चूंकि रेडियो व ट्रांजिस्टर सैट पर टेलीविजन से ऊंची दर से बिक्री कर लेना युक्ति संगत नहीं रहेगा, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेडियो व ट्रांजिस्टर सैट पर बिक्री कर 12 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत कर दिया जाए।

(iii) खाण्डसारी शक्कर, जिस पर उत्पादन शुल्क चुका दिया गया है, बिक्री कर से मुक्त है परन्तु राज्य के व्यापारियों के लिए जो माल सीधा मिल से नहीं खरीदते हैं, उक्त शुल्क के चुकारे का अधिकृत प्रमाण-पत्र पेश करना सम्भव नहीं होता है। हाथ से बनी खांडसारी,जिस पर बिक्री कर लगता है, की पहचान मिल में बनी खांडसारी से करना कठिन हो जाता है। इससे बिक्री कर की वसूली में कठिनाई आ रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए खांडसारी शक्कर को बिना शर्त बिक्री कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) वूल-टाप्स— कोरे ऊन व वूल-टाप्स पर समान 4 प्रतिशत बिक्री कर देय है। इनकी अंतर्राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर और देना होता है। इस दोहरे कर से राज्य के ऊन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः प्रस्ताव है कि जिस

Page No.18

(श्री चन्दनमल बैद)

कोरे ऊन पर पूरा बिक्री कर (धारा 5C का लाभ उठाये बिना) चुका दिया गया हो तो ऐसे कोरे ऊन से निर्मित वूल-टाप्स को बिक्री कर से मुक्त रखा जाए।

(v) राज्य के स्कूटर उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य में निर्मित स्कूटर की अंतर्राज्यीय बिक्री को दिनांक 31-3-78 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे राज्य में निर्मित स्कूटरों की बिक्री राज्य के बाहर भी हो सकेगी।

(vi) हीरे, मूल्यवान व अर्ध-मूल्यवान रत्न व मोती की राज्य में बिक्री पर 4 प्रतिशत बहु-बिन्दु बिक्री कर है। इस दर से बिक्री कर का कुल भार इस उद्योग पर काफी हो जाता है जिसमें बहुत व्यक्ति कार्यरत हैं। अतः इस उद्योग को राहत देने तथा राज्य में निर्मित रत्नों की राज्य से बाहर बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि राज्य बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत कर दिया जाए और अन्तर्राज्यीय बिक्री, जो घोषणा-पत्र के आधार पर की जाए, पर बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया जाए।

66. अब मैं ऐसी वस्तुओं को लूंगा जिन पर से या तो कर-मुक्ति को वापस लेना या बिक्री कर की दर को बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि कर की चोरी को रोका जा सके और दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सके :—

(i) हाथ कर्घा रेशमी वस्त्र व रेशमी बंधेज साड़ी :—रेशमी वस्त्रों का प्रयोग प्रायः धनवान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है अतः हाथकर्घा रेशमी साड़ी व अन्य रेशमी वस्तुओं को पूर्णतः कर-मुक्त रखने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ रेशमी बंधेज साड़ियों पर 10 प्रतिशत बिक्री कर अधिक प्रतीत होता है। अतः सदन की माननीय महिला सदस्याओं तथा अन्य महिलाओं से क्षमा याचना करते हुए हाथ-कर्घा रेशमी वस्त्र को अब पूर्णतः कर-मुक्त न रख कर उस पर तथा रेशमी बंधेज साड़ी व रेशमी वस्त्र से बनी ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर समान रूप से 3 प्रतिशत से बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो स्ट्रेटेजी है।

श्री चन्दनमल बैद : (ii) **मतीरा और तुम्बा के बीज** :—कुछ न्यायालयों का अभिमत है कि मतीरा व तुम्बा के बीज भी वेजीटेबल बीज हैं और राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त हैं। ये बीज अधिकतर तेल निकालने में प्रयोग किये जाते हैं और इन पर कर लगना चाहिये। अतः इस संदिग्धता को दूर करने हेतु मतीरा व तुम्बा के बीजों पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूं।

(iii) **खल** :—इसके वाणिज्यिक मूल्य को देखते हुए खल पर एक प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

(iv) **देशी मदिरा** :—देशी मदिरा पर 20 प्रतिशत बिक्री कर है जब कि विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर बिक्री कर की दर 25 प्रतिशत है। सब ही

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रकार की मदिरा पर एक दर करने के उद्देश्य से देशी मदिरा पर भी बिक्री कर की दर बढ़ा कर 25 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

काश्तकारों को राहत

67. माननीय सदस्य पहले से ही जानते हैं कि राज्य सरकार ने दिनांक 8-2-77 की विज्ञप्ति द्वारा कृषि प्रयोग में लेने पर ट्रैक्टर व ट्रोली के संयोजन को माल-कर से मुक्त कर दिया है। मैं काश्तकारों को एक अन्य राहत देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। यह वाणिज्यिक फसलो पर सेस (उपकर) .के संबंध में है। वर्तमान में यह सेस काश्तकार की उस समस्त भूमि पर लगता है जिस पर कि वाणिज्यिक फसल बोई गई हो, भले ही उसमें से कुछ भाग काश्तकार ने निजी प्रयोग के लिए रखा हो। अत: काश्तकारों की निजी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि तम्बाकू और पोस्त के बीज को छोड़कर प्रत्येक वाणिज्यिक फसल के क्षेत्रफल में से आधा एकड़ भूमि को सेस से मुक्त कर दिया जाए।

68. उपरोक्त प्रस्तावों से आगामी वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की आशा है। इन कर-प्रस्तावों के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन करने का विधेयक सदन के सम्मुख अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

69. इन प्रस्तावों से अपेक्षित 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी से आगामी वर्ष का घाटा कम होकर 22.47 करोड़ रुपये रह जाता है।

70. हम अपनी वित्तीय सीमाओं के अन्दर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में अधिक सुधार के हर संभव प्रयत्न करते रहे हैं। फिर भी इन सेवाओं के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक प्रतीत होता है। मैं इन कार्यक्रमों पर 1977-78 के लिए इस प्रकार अतिरिक्त प्रावधान करना चाहता हूं।

71. राज्य सरकार ने 1978 के शैक्षणिक सत्र से 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस पद्धति को लागू करने हेतु प्रारंभिक तैयारियां तुरन्त करनी होंगी। अतः इस कार्य हेतु 1977-78 के लिए 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

72. राजस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए 10 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमन्नोत किया जायेगा तथा 12 नये स्नातक महाविद्यालय खोले जायेंगे। इसके लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

73. वर्तमान विद्यालयों व महाविद्यालयों में नये विषयों के अध्ययन की सुविधाएं देने हेतु 10 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

74. आगामी वर्ष में 250 मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 95 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इनमें से कम से कम 50 स्कूल लड़कियों के लिए होंगे। इसी प्रकार 500 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा व 1000 नये प्राथमिक स्कूल खोले

(श्री चन्दनमल बैद)

जाएंगे जिसके लिए 76 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

75. जिन कस्बों एवं ग्रामों में राजकीय स्कूल भवनों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग पर नहीं है, ऐसे भवनों के रख-रखाव हेतु मैं 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर रहा हूं। इसी प्रकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के भवनों के रख-रखाव हेतु 10 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

76. गत वर्ष हमने राजकीय विद्यालयों के सुधार हेतु एक योजना प्रारम्भ की थी। राजकीय विद्यालयों को नया फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

77. शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार आवश्यक सुधार एवं समुचित विकास के लिए 3.66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

78. पिछले वर्षों में हमारा यह प्रयत्न रहा है कि वित्तीय सीमाओं में जहां तक सम्भव हो सके देशी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिकाधिक प्रावधान किया जाए। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु अगले वर्ष 22 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान से 200 नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

79. राज्य के सुदूर भागों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए मैं 100 नई एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज तथा 200 नये एड-पोस्ट खोलने का भी प्रस्ताव करता हूं। इसके लिए कुल 84 लाख रुपयों का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

80. नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके लिए 2 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

81. वर्तमान में आयुर्वेदिक औषधालयों में ए. एन. एम का पद स्वीकृत नहीं है। ग्रामों मे गर्भवती महिलाओं की देख-रेख व प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय मे एक ए. एन. एम. का पद स्वीकृत किया जाए। चूंकि यह एक क्रमबद्ध योजना होगी, अतः अगले वर्ष 500 नये पदों के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

82. इस प्रकार चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1.28 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

83. जैसा मैं उल्लेख कर चुका हूं वर्तमान वर्ष में हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों की शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। वृद्धों, अपंगों, विकलांगों एवं पीड़ितों की सहायता के लिए किए गए प्रावधानों का भी मैं उल्लेख कर चुका हूं। अब मैं गांवों और कस्बों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की बस्तियों में पानी व बिजली के कनेक्शन की सुविधा देने हेतु 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूं।

Page No.21

(श्री चन्दनमल बैद)

84. ग्रामों में पोखरों, कुओं, डिग्गियों आदि विभिन्न स्थानीय पेयजल स्रोतों के समुचित रख-रखाव की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजनार्थ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह राशि पंचायत समितियों के माध्यम से खर्च की जाएगी।

85. गांवों और कस्बों में उपलब्ध नल जल प्रदायों के विस्तार के लिए बजट में 50 लाख रुपये का प्रावधान पहले से है। पेयजल सुविधाओं के त्वरित विस्तार के लिए मैं 50 लाख रुपये के और प्रावधान का प्रस्ताव करना चाहूंगा। इस प्रकार विस्तार कार्य हेतु 1977-78 में कुल एक करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध होगा।

86 पंचायत समितियों के अन्तर्गत ऐसे तालाब जिनसे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनके रख-रखाव के लिए 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

87. राज्य के नगरों एवं कस्बों की सड़कों व ड्रेनेज के सुधार के लिए नगरपालिकाओं की सहायतार्थ 60 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावाधान किया जा रहा है।

88. पिछले वर्षों में किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्रामों और कुओं के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कृषि-उत्पादन में ग्रामीण विद्युतीकरण का विशिष्ट स्थान है। इस कार्यक्रम के विस्तार हेतु 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती हुई मांग को तत्परतापूर्वक पूरा किया जा सके।

89. इन 11.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधानों से 1977-78 के अन्त तक कुल घाटा 33.51 करोड़ रुपये हो जायेगा। इस घाटे की आंशिक पूर्ति राजकीय करों, ऋणों व बकायात की बेहतर वसूली, अल्प बचत योजना के माध्यम से अधिक धन संग्रह, अनुत्पादक व अनावश्यक खर्चों में कटौती एवं अन्य उपयुक्त उपाय अपना कर कर ली जायेगी तथा शेष घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता के रूप में प्राप्त हो जाने की आशा है।

90. अन्त में दो शब्द कह कर मैं अपना बजट भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैंने माननीय सदन के समक्ष वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के समय से लेकर अब तक हमने राज्य के योजनाबद्ध विकास एवं वित्तीय व्यवस्था में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि समस्त उपलब्ध साधनों का राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए उचित रूप से सदुपयोग हो। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। माननीय सदस्य इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि जो विकास कार्यक्रम हमने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए, उससे हमारे राज्य की आर्थिक सम्पन्नता एवं समृद्धि बढ़ी है। इस सम्माननीय सदन के समक्ष मैंने राज्य की वित्तीय स्थिति की रूपरेखा भी मोटे तौर पर प्रस्तुत की है। उससे माननीय सदस्यों को यह आभास होगा कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन, दृढ़ वित्तीय अनुशासन एवं आप सभी महानुभावों के सक्रिय सहयोग से हमारा राज्य एक गम्भीर आर्थिक एवम् वित्तीय विषमता की अवस्था से उभर कर सुस्थिर एवं सुदृढ़ स्थिति में आ गया है।

Page No.22

(श्री चन्दनमल बैद)

मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले वर्षों में हमारा राज्य सुखी, समृद्धिशाली एवं उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदन के सम्मानित सदस्यों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि वे इस बजट में इंगित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपना अमूल्य योगदान दें।

91. इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं 1977–78 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विराम)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 1977

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को सूचित किया गया है, सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जायेगी मेरा सुझाव है कि आप सभी यहां पर हैं, कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हो तो 15 मिनट बच जायेंगे।

(विराम)

तो हम 12 बजे मिलेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात 12.01 बजे मध्याह्न पश्चात् 12.15 तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 12-17 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 48। श्री ओंकारलाल चौहान।

पंचायत समिति, छीपा बड़ौद में डाक्टर की लापरवाही से खराब हुए आपरेशन

48. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, छीपाबड़ौद, जिला कोटा में सघन परिवार नियोजन के समय भारी संख्या में व्यक्तियों के आपरेशन डा. पी. के. गुप्ता की लापरवाही से खराब हुए ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने केसेज खराब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.23

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(3) राज्य सरकार ने डा. पी. के. गुप्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(4) जिन व्यक्तियों के आपरेशन खराब हुए और जिन्होंने बाहर प्राईवेट अस्पताल में उपचार कराया उनके लिये क्या आर्थिक सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि खराब हुए आपरेशन केसेज के खर्चे के बिल आगे भी बकाया हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उनके भुगतान के लिये क्या कर रही है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है कि डा. पी. के. गुप्ता की लापरवाही से केसेज खराब हुए। छीपाबड़ोद में, सघन परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सितम्बर-अक्टूबर में 2199 केसेज हुए, उनमें केवल 153 केसेज में नसबन्दी कराये लोगों द्वारा डाक्टर की हिदायतों का पालन न करने से काम्पलीकेशन हुए। डा. गुप्ता द्वारा किए गए 671 केसेज में से सिर्फ 53 केसेज में काम्पलीकेशन हुये थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार नियोजन) कोटा ने दिनांक 23-11-76 को छीपाबड़ौद जा कर इन्क्वायरी की थी। जांच से किसी भी डाक्टर का दोषी होना नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(4) आर्थिक सहायता सम्बन्धी जिनके क्लेम प्राप्त हुए उन्हें एक्सग्रेशिया रूल्स के तहत सहायता प्रदान की गई है। दो व्यक्तियों के क्लेम आये थे उन्हें भुगतान किया जा चुका है :—

1. श्री रईस अहमद 444-75
2. श्री हरिवल्लभ पुत्र श्री कल्याणप्रसाद 1210-00

(5) जी नहीं। यदि कोई क्लेम भविष्य में प्राप्त होंगे तो उन पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने सूची दी है उसके अन्तर्गत 53 केसेज खराब होना बताया गया है लेकिन जो सूची मेरी जानकारी के लिये मिली है पंचायत समिति के माध्यम से, उसमें लगभग 387 केसेज ऐसे हैं जो डा. पी. के. गुप्ता की लापरवाही से खराब हुए हैं। जो आपको सूची दी गई है, वह सही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कोई इस बात का विवाद आपके साथ नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपके पास कोई सूची हो कि यह केसेज खराब हुए हैं तो आप बताइये। उनका इलाज करने का सारा खर्चा, और उन्होंने अपने आप इलाज कराया है, उसका सारा खर्चा, सरकार की तरफ से वहन करने को तैयार हूं।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि डा० पी० के० गुप्ता के द्वारा जो 386 केसेज खराब हुए हैं, उन की पुनः जांच कराइये। आखिर इसका जिम्मेदार कौन हैं? जब 387 केसेज आप की सूची के अनुसार खराब हुए तो इसके कौन दोषी हैं? क्या आप किसी को दोषी ठहराना पसन्द करेंगे? या अपने आप खराब हो गये हैं?

श्री चन्दनमल वैद : आप 387 बता रहे हैं। मेरे पास जो सूची है उसमें 53 केसेज हैं। हिदायतों का पालन नहीं करने से केसेज खराब हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि टिटेनिस जैसी कोई बीमारी हुई है। सूजन या पीप पड़ने जैसी बात नहीं हुई है। जिनके कुछ खराबियां हुई हैं उनका इलाज हो गया है और किसी का नहीं हुआ है तो हम कराने को तैयार हैं। सरकारी खर्च पर। जांच करने पर मालूम हुआ कि डा. गुप्ता का कसूर नहीं था।

श्री औंकारलाल चौहान : क्या इन आपरेशन में पूरी सावधानी बरती गई थी?

श्री चन्दनमल वैद : जिस अधिकारी ने जांच की उसने बताया है कि न तो डाक्टर का कसूर था और न किसी और का।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पुनः जांच करायें। आखिर कहीं तो कोई खराबी हुई ही है। आपने भी 53 केसेज के लिए तो माना है। उनमें तो खराबी हुई ही है। आपने कहा पोस्ट आपरेशन केयर नहीं की गई तो यह किसकी गलती है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? डाक्टर पर ही इस प्रकार की जिम्मेदारी आती है। आपने स्वयं ने गलती को स्वीकार किया है तो फिर कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुई है। आखिर आप जबरदस्ती डाक्टर को क्यों बचाना चाहते हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है। अभी भारत सरकार के मंत्री महोदय ने कल ही सारे मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों की जांच की जायगी तो फिर आप क्यों घबराते हैं और जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : जिनके केसेज खराब हो गये है या इलाज करवा रहे हैं या इलाज करवा चुके हैं उनको आप रिएम्बर्स करेंगे? लेकिन आखिर इसके दोषी कौन हैं? आप कहते है डाक्टर गुप्ता की गलती नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं यह जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। आप भी 53 केसेज में खराबी हुई मानते ही है। क्या काम्प्लीकेशन्स हुए हैं और क्या काम्प्लीकेशन्स नहीं हुए हैं लेकिन 53 केसेज में गड़बड़ी हुई यह बात तो साबित हो चुकी है कि डाक्टरों की नेगलिजेन्स के कारण हुई है। अगर आप दुबारा जांच करवा लें तो क्या दिक्कत है?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कब इन्कार किया। मैं तो यह कहने खड़ा हुआ था कि मेरे पास जो जांच रिपोर्ट है उसमें कोई दोषी नहीं है। माननीय सदस्य यदि दुबारा जांच करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न संख्या 49

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम प्रसाद बोहरा।

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये ।

श्री हाजी जान मोहम्मद ।

पालियाखाल का पुल तथा चवली नदी पुल का निर्माण कार्य

50. **श्री, हाजी जानमोहम्मद** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 27 अप्रेल, 1976 को मुख्य मन्त्री ने पिड़ावा के पास चवली नदी का पुल बनवाने की घोषणा की थी ? अगर हां, तो क्या ये दोनों योजनायें स्वीकार हो चुकी हैं और इनका सर्वे भी हो चुका है ? अगर हां, तो अब तक इन पुलियाओं का कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि बारिश के मौसम में रात को जंगल में आठ 2 घन्टे तक जनता को रहना पड़ता है और बसें नदियों की वजह से पिड़ावा तक नहीं आ सकतीं ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार जल्दी से जल्दी पुल बनाने के लिये धनराशि स्वीकृत करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जी हां । ये दोनों योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(2) जी हां । इन पुलों के निर्माण की स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हाजी जानमोहम्मद : विचाराधीन तो है लेकिन आपको यह पता है कि वहां के लोगों को कितनी तकलीफ है 8-8, 10-10, घन्टे पड़े रहते हैं— औरतें, बच्चें, मर्द वगैरह सब, एक तरफ पड़े रहते हैं । मैं इस बारे में मन्त्री महोदय से कई दफा मिल चुका हूं । आप जब हमारे यहां पधारे थे तब भी ऐलान किया था कि ये दोनों योजनायें मन्जूर कर दी गई हैं । मैंने विभाग से बात की है और उनकी चिट्ठी भी आ चुकी है । गम्भीर मामला है । जनता परेशान है । क्या इस साल उसको बनवा देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी: यह वर्ष तो कल समाप्त हो रहा है । अगले वर्ष में विचार करेंगे····

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं तो गुजारिश करना चाहता हूं, आप घोषणा करें कि अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को पूरा करवा देंगे ।

एक माननीय सदस्य : अब तो आप रहम कर दीजिये, मन्त्री महोदय ।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री हाजी जान मोहम्मद : घोषणा कर दें ।

श्री राम नारायण चौधरी : आपके यहां इन दोनों पुलियाओं का काम अगले महीने अप्रेल से शुरू करवा दिया जायगा ।

श्री हाजी जान मोहम्मद: क्या बारिश से पहले हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बात हो गई । ठीक है । नेक्स्ट । श्री चेतराम ।

पदोन्नति का आधार

51. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चेतराम)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में पदोन्नति वरिष्टता सूची के आधार पर न होकर मेरिट-कम-सीनियोरिटी के आधार पर होती है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि पदोन्नति कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन तथा अन्य सेवा अभिलेखों के आधार पर ही होती है ?

(3) क्या यह सही है कि डी. पी. सी. के समक्ष समय पर सभी आशार्थियों के अभिलेख नहीं पहुंच पाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि जिन कर्मचारियों के अभिलेख डी. पी. सी. के समक्ष नहीं पहुंच पाते हैं वे पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार एवं विभाग क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(5) अभिलेख समय पर नहीं भेजने के जो दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी हैं क्या उनको कोई सजा देने का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोगों को दंडित किया और किस प्रकार ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) जब पदोन्नति का आधार मेरिट है तो गोपनीयता प्रतिवेदन में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठा लाने का कौनसा फार्मूला सरकार ने अपनाया हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कार्मिक विभाग से ताल्लुक रखता है अतः उनको ट्रांसफर कर दिया गया है।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्री महोदय को देना चाहिये।

श्री खेतसिंह : आपने शिक्षा मंत्री के नाम से पूछा है और आपको पूछना चाहिये था मुख्य मंत्री जी से। यह जो आपकी गलती हुई है उस गलती को ही हम दूर कर रहे हैं। अब यह प्रश्न उनको भिजवा दिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और कार्य संचालन के रूल्स के अनुसार यह अमेंडमेन्ट हो चुका है कि जब लिस्ट सक्यूंलेट हो जाय तब पोस्टपोनमेंट के लिये किसी मंत्री को नहीं कहना चाहिये। जब लिस्ट में आ जाती है तो मंत्री महोदय को जवाब दे देना चाहिये। आप देखिये उन रूल्स को।

श्री अध्यक्ष : रूल्स तो मेरे देखे हुये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : उसमें अमेन्डमेन्ट हो चुका है।

श्री खेतसिंह : यह तो अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग से ताल्लुक रखता है और उनकी टर्न पर वे जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : कार्मिक विभाग आज जवाब दे देता तो अच्छा होता। अगला सवाल।

श्री विश्नोई।

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र सांचोर को क्रमोन्नत करने की मंजूरी

52. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या वाले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अस्पताल में शीघ्र परिवर्तित करने का राज्य सरकार ने आश्वासन काफी अर्से पहले विधान सभा में दिया था ? अगर हां, तो कब ? तथा अब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या वाले अस्पताल में परिवर्तित क्यों नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिले में सर्वप्रथम क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक मंजूरी भी राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है ? अगर हां, तो अब उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के लिये वित्तीय मंजूरी कब तक दे दी जावेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) वर्ष 1974 में यह आश्वासन दिया गया था कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । 30 शैय्याओं वाले अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार भवन का निर्माण जन सहयोग से उपलब्ध कराते ही वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर 30 शैय्या वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

(2) जी नहीं !

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बतायें तो सही कितना क्या करना है ? मतलब पब्लिक को क्या करना है ? भवन तो बना हुआ है ।

श्री चन्दनमल बैद : वह नाकाफी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाकाफी है तो कितना होना चाहिए ? यह बता दें ।

श्री चन्दनमल बैद : डिटेल्स तो मेरे पास हैं । आप चाहें तो ले लेना ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मोटेतौर पर...

श्री चन्दनमल बैद : मोटेतौर पर 30 शैय्या वाले अस्पताल के लिये कितने कमरे होने चाहियें, किस साइज के होने चाहियें, कौनसा थियेटर होना चाहिये, आदि आदि बनाने होंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब जो अधूरा है उसमें पर्याप्त अकामोडेशन नहीं है । क्या आप इस पर शीघ्र विचार करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी जो भवन बना हुआ है वह पर्याप्त नहीं है । पर्याप्त होते ही कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रामसिंह ।

अस्पताल भवन जायल

53. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 76-77 में कौन कौनसी डिस्पेन्सरियां एवं अस्पताल किस किस तारीख को स्वीकृत किये एवं उनके स्टाफ व अन्य मदों का क्या क्या प्रावधान रखा जाता है ?

(2) जायल (जिला नागौर) में अस्पताल भवन का शिलान्यास कब व किसने किया एवं इस भवन में क्या क्या इमारतें बन गईं, एवं कितना खर्चा जनता ने व कितना खर्चा सरकार ने अब तक किया है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री चन्दन मल बैद): (1) वर्ष 1976-77 में खोली गई

(श्री चन्दनमल वैद)

डिस्पेन्सरी व अस्पताल की सूची सदन की मेज पर रख दी है। डिस्पेन्सरी के लिये एक डाक्टर दूसरी श्रेणी के, दो कम्पाउन्डर, एक मिडवाइफ, तीन वार्ड ब्वाय, एक हरिजन का पद होता है। वेतन एवं भत्ते के 39,000, भेषज एवं औषधि के 10,000, साज सामान के 8,000 तथा अन्य मद के 6,000 का वित्तीय प्रावधान होता है।

(2) जायल के अस्पताल भवन का शिलान्यास दिनांक 14-6-74 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था। भवन के आगे का भाग बन चुका है। इस भवन का निर्माण कार्य जन सहयोग से ही किया जा रहा है। राज्य सरकार का कोई अंश नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामसिंह कुड़ी : जब कि अस्पताल में भवन की व्यवस्था है तो लेडी डाक्टर की व्यवस्था करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं। माननीय सदस्य क्या फर्मा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : और साफ फर्मा दें।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जायल अस्पताल में भवन की समुचित व्यवस्था हो गई है फिर लेडी डाक्टर भेजने में सरकार को क्या आपत्ति है ? वहां पर जच्चाखाने का वार्ड है इसलिए मेरा निवेदन है कि लेडी डाक्टर इस अस्पताल में भेजी जावे।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, डिस्पेन्सरी इस साल खोलने का आदेश दे दिया गया है। भवन बन जाने पर डिस्पेन्सरी खोल दी जावेगी और उसके बाद आगे विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या 54

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री चतरभुज

तहसील टोडारायसिंह के काश्तकारों से वसूल की गई पेनल्टी

55. **श्री चतरभुज** (टोडा रायसिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील टोडारायसिंह में सन 1962 से 1976 तक जायज व नाजायज कितनी पेनल्टी काश्तकारों पर लगाई गई व कितनी वसूल हुई ? पेनल्टी की राशि व काश्तकारों के नाम का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार अवैधानिक पेनल्टी को भी माफ करने का इरादा रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इसको स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में गेहूँ के बीज का वितरण

56. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर की सांचोर तहसील के लूनी नेयड़ क्षेत्र में सरकार के निर्णय के अनुसार अनिवार्य रूप से उन्नत किस्म के गेहूं के बीज सप्लाइ किए गए थे ? अगर हां, तो कुल कितना बीज सप्लाइ किया गया था एवं बीज खरीदने के लिए कुल कितना ऋण विभाग द्वारा एवं बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बीज कुछ क्षेत्रों में उगा ही नहीं एवं कुछ बीज वर्षा होने से दब गया, इससे काश्तकारों को बहुत घाटा हुआ ? अगर हां, तो कितने क्षेत्र में इस प्रकार का नुकसान हुआ ? ऐसे काश्तकारों को सरकार द्वारा क्या राहत दी जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरकारी हाई ब्रीड गेहूं के बीज की उपज निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं हुई है ? अगर हां, तो उसके क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार उक्त हाई ब्रीड बीज की पैदावार को अगले साल रबी बीज के लिए काश्तकारों से खरीद कर भण्डार कायम करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कितना ? अगर नहीं तो, क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। सांचोर तहसील में कुल 4983 क्वि० 80 किलो उन्नत गेहूं का बीज वितरण किया गया था। राजस्व तकाबी ऋण रु० 7,46,400) दिया गया एवं सहकारिता ऋण (बीज व नकद) कुल रु० 4,18,361) उपलब्ध करवाया गया।

(2) जी नहीं। केवल 75 से 100 हैक्टेयर क्षेत्र में नमी की कमी के कारण अंकुरण कम हुआ है और 240 से 280 हैक्टेयर में बुवाई के तुरन्त बाद वर्षा होने से भूमि पर पपड़ी जम जाने के कारण अंकुरण नहीं हुआ। बीज में खराबी नहीं थी इसलिए घाटा पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार केवल प्रमाणित बीज ही खरीदा जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो गेहूं का बीज राज्य की तरफ से कम्पलसरी वितरण किया गया, और उसके बाद पहले तो नमी की कमी के कारण और बाद में बरसात अधिक होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हुआ, उसके बाद भी घाटा पूर्ति करने का प्रश्न क्यों नहीं उठता ? आप जानते हैं कि गेहूं के अन्दर रोली की बीमारी सांचोर के आस पास के क्षेत्र में फैली और उसके बाद भी ढाई रुपये किलो के हिसाब से महंगा बीज गवर्नमेंट ने कम्पलसरी दिलवाया। पहले भी जब इस प्रकार का नुकसान हुआ था तो गवर्नमेंट ने फिफ्टी पर्सेन्ट सब्सीडी दी थी। अब इनका नुकसान हुआ है तो फिर आप कम्पेन्सेट क्यों नहीं करते ? आपने कर्जा तो बांट दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और जब बीज उगा ही नहीं तो फिर आपके कर्जे की वसूली कैसे होगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस एरिया में देशी गेहूं बोने से आमतौर पर रोली लग जाती है 15 अप्रेल को जब सांचोर में मीटिंग हुई थी उस समय यह तय हुआ था कि यहां पर उन्नत किस्म का बीज बांटा जाय, जिससे रोली से गेहूं कम प्रभावित हो। उस समय निर्णय हुआ था और आवश्यक रूप से तय किया गया था कि देशी गेहूं बोने से रोका जाय और वहां पर उन्नत किस्म का बीज का वितरण किया जाय जिसमें रोली न लगती हो या कम लगती हो, उस निर्णय के अनुसार बड़े पैमाने पर बीज बांटा गया। अब बहुत थोड़े एरिया में, करीब सौ हेक्टेयर एरिया में ऐसा हुआ कि वहां पर नमी नहीं थी फिर भी बीज डाल दिया जिससे अंकुरित नहीं हुआ। दूसरा कारण यह हुआ कि वहां पर बीज बोने के ठीक बाद बहुत ज्यादा पानी पड़ा जिसके कारण अंकुरित नहीं हुआ। दो कारण मूलरूप से इसमें रहे हैं। बाकी बीज की खराबी के कारण कहीं पर अंकुरित नहीं हुआ हो यह सवाल नहीं आता है। बीज के अन्दर कोई खराबी नहीं थी। उसमें जर्मीनेशन बराबर था लेकिन मूलरूप से इन दो कारणों से बीज का जर्मीनेशन नहीं हुआ इसलिए घाटे की पूर्ति करने का प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कम्पलसरी ढाई रुपये किलो के हिसाब से बीज बंटवाया है। आप खुद मंजूर करते है कि इस इलाके में नमी की कमी की वजह से और बाद में बरसात की वजह से पैदावार नहीं हो सकी, बीज अंकुरित नहीं हो सका। आपने किसानों पर कर्जा लाद दिया लेकिन काश्तकारों को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी हालत में आप सब्सीडी क्यों नहीं देते। आपने जब कम्पलसरी उनको यह बीज दिया है और आपके आर्डर के मुताबिक कर्जा दिया है तो फिर वसूली कैसे होगी ? आपके आफिसर्स और कलेक्टर की रिपोर्ट भी भिन्न हैं। सौ हैक्टेयर नहीं है अधिक एरिया है। जब आप आवें तो स्वयं देख लेना, हजारों काश्तकारों को नुकसान हुआ है। ऐसी हालत में स्पेशल केस बना कर सब्सीडी क्यों नहीं देते हैं ? आपने गवर्नमेंट की तरफ से कम्पलसरी रूप से यह कहा था कि सौ मील के एरिया में यह बीज बोना पड़ेगा। वहां पर अच्छा बीज एक रुपये किलो में मिलता है, लेकिन आपने वह हाई ब्रीड बीज तो बोने नहीं दिया। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपना कर आपको इस मामले पर विचार करना चाहिए, और इसके अन्दर कुछ न कुछ कम्पेन्सेट करना चाहिए वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे।

श्री हरिसिंह (बैगू) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, क्या आज भी आप उस बीज का जर्मीनेशन टैस्ट करवाने को तैयार हैं ? जब आप मानते हैं कि नमी नहीं थी इसलिए जर्मीनेशन नहीं हुआ तो जर्मीनेशन टैस्ट करवा लिया जावे। इसमें क्या ऐतराज हो सकता है आपको ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सेपरेट क्वेश्चन है। आप स्वयं यह मानते है कि

Page No.31

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नमी नहीं थी फिर भी जबरदस्ती बीज दे दिया गया। बाद में बरसात से पानी भरा रहा और बीज उगा नहीं, यह आप खुद मानते हैं तो फिर कम्पेन्सेट क्यों नहीं करते हैं काश्तकारों को? कारण क्या है? जब गवर्नमेंट ने फोर्सीबली आर्डर करके कम्पलसरी वह बीज बोने के लिए मजबूर किया, तो फिर कम्पेन्सेट क्यों नहीं करते?

श्री हरिसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। जर्मीनेशन का टेस्ट तो किसी भी टाइम किया जा सकता है। जो बीज अक्टूबर-नवम्बर में बोया गया उसका टैस्ट तो अभी भी किया जा सकता है। आपको मालूम पड़ जायेगा कि बीज में जर्मीनेशन दोष तो नहीं है। जो साइंटिफिक प्राब्लम है, उसका जवाब भी साइंटिफिक ही होना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, रोक यह लगाई गई थी कि देशी गेहूं नहीं बोया जावे क्योंकि उससे रोली लग जाती है। जो गेहूं किसानों ने खरीदा है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने सारे रेवेन्यू आफिसर्स को मुकर्रर कर दिया था कि अगर यह बीज नहीं बोया तो सजा होगी।

श्री अध्यक्ष : उन्हें सुन तो लें।

श्री शिवचरण माथुर : रोक यह लगाई थी कि देशी गेहूं नहीं बोयेंगे। आमतौर पर जो वहां खरचिक का देशी गेहूं होता है उसमें रोली लग जाती है। 15 अप्रेल को साचौर में मीटिंग हुई थी उसमें आप भी मौजूद थे, उसमें यह तय किया गया था कि कोई भी देशी गेहूं नहीं बोया जावे और उसमें वैराइटीज प्रेस्क्राइब की थीं जिसमें एच-2009 और ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न यह नहीं है। सरकार ने जब कम्पलसरी बीज दिया और उससे काश्तकार के कोई पैदावार ही नहीं हुई तो वह क्या देगा?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देना भी माननीय मंत्री उचित नहीं समझते? मैं समझता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है?

श्री शिवचरण माथुर : आप दूसरी बात कह रहे हैं फिर भी मैं दुबारा जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चतरभुज।

प्रसूति गृह, देवली

57. **श्री चतरभुज (टोडारायसिंह)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देवली में प्रसूति गृह भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार करीब करीब पूरा होने को है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका प्रसूति गृह के लिए आवश्यक उपकरण आदि देने को वचनबद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार नर्सिंग स्टाफ व लेडी डाक्टर भेजने का इरादा रखती है? अगर नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। फिलहाल वर्तमान स्टाफ से ही प्रसूति कक्ष के संचालन की स्वीकृति दी गई है। भविष्य में जरूरत के अनुसार स्टाफ बढ़ाया जायेगा।

श्री चतरभुज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं वहां पर प्रसूति भवन का पूरा प्रबन्ध है। देवली नगरपालिका ने बना कर दिया है, फिर भी लेडी डाक्टर के नहीं होने से कई जानें चली गई हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जब प्रसूति गृह बना कर तैयार कर रखा है तो सरकार को स्टाफ देने में क्या दिक्कत हो रही है? प्रसूति गृह के लिए एक लेडी डाक्टर की मांग है उसको भी सरकार स्वीकार नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार की उस जनता के प्रति क्या भावना रहेगी?

श्री चन्दनमल बैद : जो डिस्पेन्सरी आलरेडी है, अस्पताल है उससे मिलता हुआ एक मेटरनिटी रूम बना कर देवली नगरपालिका ने दिया है। उसमें डाक्टर भी हैं, अस्पताल में जो डाक्टर हैं, ए. एन. एम. हैं, कम्पाउण्डर हैं वे हाजिर हैं और काम देखते हैं। ज्यों ही हम समझेंगे कि काम बढ़ रहा है और इस स्टाफ से काम नहीं चल रहा है तो स्टाफ दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री चतरभुज : अध्यक्ष महोदय, लेडी डाक्टर देने में क्या ऐतराज है? आए दिन बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा ले जाना पड़ता है। वहां पर सारी मशीनरी है तो एक लेडी डाक्टर देने में क्या मुसीबत है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं है लेडी डाक्टर देने में। देवली नगरपालिका और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि वह एक इस किस्म का कमरा बना कर देगी और उस कमरे में हम मौजूदा स्टाफ से उसका संचालन करेंगे और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जायगा। उस एग्रीमेंट के अनुसार कर रहे हैं। भविष्य में ज्योंही मालूम होगा कि मरीज ज्यादा आ रहे हैं और मौजूदा स्टाफ से उनकी देखभाल नहीं हो रही है तो स्टाफ को बढ़ाने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा।

ग्राम असनावर में डाक्टर एवं कर्मचारियों के रिक्त पद

58. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पशु चिकित्सालय ग्राम असनावर (जिला झालावाड़) में डाक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के कितने स्थान कितने समय से क्यों रिक्त हैं तथा इनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पशु चिकित्सालय का भवन भी नहीं है? यदि हां, तो अब कब बनाया जायेगा?

पशु पालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध न होने से पशु चिकित्सालय, असनावर में डाक्टर का एक पद माह जून, 1976 से रिक्त था। अब वहां पशु चिकित्सक की

(श्री शिवचरण माथुर)

नियुक्ति कर दी गई है। अन्य कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) उक्त चिकित्सालय के लिए किराये का भवन लिया हुआ है। धनाभाव के कारण राजकीय भवन बनाना अभी संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

बंधेज की साड़ियां और बिक्री कर

59. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 29-5-67 से 8-1-76 तक के लिए शुद्ध रेशम की बन्धेज की साड़ियों को ही केवल बिक्री कर से मुक्त कर दिया है ?

(2) यदि हां, तो राजस्थान की संस्कृति के अनुसार जनसाधारण की वेश-भूषा के आवश्यक अंग उपरोक्त श्रेणी के महिलाओं के ओढ़ने और पुरुषों के साफे, पगड़ियों व रूमालों को उपरोक्त कर से क्यों नहीं मुक्त किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी हां।

(2) बंधेज की लूंगड़ी, ओढ़णी, साफा, स्कार्फ और चुन्नी को भी उक्त अवधि के लिए कर मुक्त कर दिया गया है। रूमाल पहले से ही कर मुक्त है। बंधेज की रेशमी पगड़ी का आम चलन नहीं है और इसे कर मुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह कब से कर मुक्त किया गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : आपके प्रश्न पूछने के बाद इसको कर मुक्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद।

मिडिल स्कूल झालावाड़ के सहायक अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही

60. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुगन चन्द जैन, सहायक अध्यापक, मिडिल स्कूल, मोती कुआ, झालावाड़ ने अजीम मेडिकल स्टोर पिड़ावा के नाम से एक फर्जी केश मीमो बुक बना रखी है तथा फर्जी केश मीमो बुक के कुछ बिल शिक्षा अधिकारी झाला-वाड़ के कार्यालय में पकड़े गये हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक के खिलाफ सतर्कता कमेटी झाला-वाड़ में भी फर्जी केश मीमो बिल के बारे में केस चल रहा है ? अगर हां, तो अब तक इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस अध्यापक को सस्पेंड करके पुलिस के द्वारा जांच

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

करवायेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री,शिक्षा (श्री फारूक हसन):

(1) इस मामले की जांच की जा रही है। अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जांच के पश्चात् ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : इसको निलम्बित कब किया गया है ? मैं भी वहीं से आ रहा हूं।

श्री फारुक हसन : इसकी सही तारीख तो मेरे पास नहीं है, परन्तु इतना बता सकता हूं कि इसको निलम्बित कर दिया गया है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : इस पर कार्यवाही हुई है, यह सन्तोष की बात है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालरापाटन में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

61. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 20 हजार की आबादी वाले झालरापाटन शहर (जिला झालावाड़) में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शहर के अस्पताल में लेडी डाक्टर की पोस्ट भी नहीं है और अभी जो लेडी डाक्टर लगाई हुई है वह झालावाड़ चिकित्सालय की रिजर्व पोस्ट से है ? यदि हां, तो यहां स्थाई लेडी डाक्टर की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि दूसरे जिले में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चार-चार, पांच पांच की तादाद में है जब कि झालावाड़ जिले में केवल एक भवानी मंडी में ही है ? यदि हां, तो झालरापाटन में कब तक शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की जावेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। अभी लेडी डाक्टर की जो अस्थाई व्यवस्था झालरापाटन में की हुई है, उसको स्थाई कर दिया जायगा।

(3) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए भवन देने के लिए तैयार है। वहां पर 20 हजार की आबादी है उसके लिए डाक्टर की नियुक्ति की है, इसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी स्थापित किया जावे। कहीं कहीं पर तो चार चार मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हर जिले में ऐसा नहीं है। जब लेडी डाक्टर की नियुक्ति वहां पर कर दी गई है तो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र अस्पताल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल नाम का ही अन्तर

(श्री चन्दनमल बैद)

होगा। डाक्टर व डाक्टरनी वहां पर हैं। वे डिलीवरी के केसेज वहां पर कर सकते हैं। जो पोस्ट अभी टेम्प्रेरी है, उसके लिए मैं यह आश्वासन दे रहा हूं कि इसको परमानेंट कर दिया जायगा। डाक्टर और डाक्टरनी वहां पर होने से काम चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृतलाल गहलोत।

जोधपुर नगर की क्रमोन्नत पाठशालाओं को अनुदान

62. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर की उन राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं के नाम की सूची सदन के पटल पर रखें जिन्हें क्रमोन्नत हुए पांच वर्ष से ऊपर हो गए परन्तु क्रमोन्नत कक्षाओं को अनुदान मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? कृपया क्रमोन्नत होने के दिनांक का भी उल्लेख करें।

(2) जोधपुर नगर की उन नई पाठशालाओं के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें जिन्हें राजकीय मान्यता प्राप्त हुए पांच वर्ष से ऊपर हो गए परन्तु राजकीय अनुदान मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? कृपया मान्यता प्राप्त होने के दिनांक का भी उल्लेख करें।

(3) क्या यह सही है कि भूतकाल में उपरोक्त श्रेणी की पाठशालाओं को पांच वर्ष पश्चात् अनुदान प्रारम्भ कर दिया जाता था? यदि हां, तो इस बार क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि उपरोक्त पाठशालाओं की आर्थिक परिस्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तिथि सूची में अंकित है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तिथि सूची में अंकित है।

(3) जी नहीं। मेरिट एवं पेनल इन्सपेक्शन के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं कि इन शिक्षण संस्थाओं को किस आधार पर, किस सिद्धांत पर अनुदान सूची पर लिया जाता है ?

श्री फारुक हसन : अभी सूची पर नहीं लिया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा ज्ञात हुआ है कि जिन लड़कों की पाठशालाओं को क्रमोन्नत हुए पांच साल से ऊपर समय हो गया है और जिन लड़कियों की पाठशालाओं को क्रमोन्नत हुए तीन साल से ऊपर हो गया हैं, उनको आपने अनुदान की सूची पर ले लिया है। क्या यह सत्य है ?

श्री फारुक हसन : इन्सपेक्शन और मेरिट के आधार पर अनुदान की सूची पर लिया जाता है। बाकी पांच साल का या तीन साल का कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो नए स्कूल्स हैं क्यों उनको एड देते हैं ?

श्री खेतसिंह : मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया था ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप उनको मान्यता दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : 1969-70 की जितनी इन्स्टीट्यूशन्स थी और रेगुलर एड पा रही थीं, उनका उन्होंने पेनल इंसपेक्शन करवाया था। उसके बाद डाइरेक्टोरेट ने जिनके बारे में सिफारिश कर दी कि इन इन्स्टीट्यूशन का काम अच्छा रहा है, उनको हमने 50 पर्सेन्ट एड पर ले लिया है। उसके बाद की जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको अभी तक नहीं लिया गया है। आप जिन इन्स्टीट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, उनमें कई पुरानी हैं लेकिन हो सकता है कि उनके बारे में डाइरेक्टोरेट से रिपोर्ट नहीं आई हो और उस वजह से महरूम रह गयी हों अनुदान प्राप्त करने से।

श्री अमृतलाल गहलोत : डाइरेक्टोरेट समय पर रिपोर्ट नहीं भेजता है तो इसमें दोष किसका है स्कूल का है या अधिकारियों का ?

श्री खेतसिंह : यदि इस इन्स्टीट्यूशन का समय पर पेनल इन्सपेक्शन हो गया है और रिपोर्ट पहुंच गई है तो निश्चितरूप से अब भी मैं आपके केस को कंसीडर करूंगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। यह एक डिजरविंग केस है। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस केस को एग्जामिन करके इस केस को कंसीडर करेंगे।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो इन्स्टीट्यूशन डिजरविंग हैं और जिनके बारे में रिपोर्ट्स आ गई हैं उनको जरूर कंसीडर किया जाएगा। अभी हमारे पास में इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं यह सिर्फ आपके कथन के आधार पर ही कह रहा हूं कि यह इन्स्टीट्यूशन भी अगर इस तरह से डिजरविंग है और उसकी पेनल रिपोर्ट आई हुई है तो उसको मैं मंगवाकर कंसीडर कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अमृतलाल गहलोत।

फिदूसर खनिज क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

63. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में डम्प रिमूवल फंड के नाम पर किस भाव से कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खान वालों से एकत्रित की गई ? पूर्ण ब्यौरा वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त राशि एकत्रित करने का अभिप्राय क्या था और उस संपूर्ण राशि में से अब तक कितनी राशि किस किस कार्य के लिए व्यय की गई ?

Page No.37

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि राजकीय कोष में रेवेन्यू खाते में जमा की गई जब कि इसे डिपोजिट खाते में जमा करना चाहिये था ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त शेष बची राशि उस क्षेत्र की सड़कों के सुधार एवं मरम्मत में क्यों नहीं व्यय की जा रही है जब कि वहां की सड़कों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) फिट्सर खनिज क्षेत्र में डम्प रिमूवल फण्ड के नाम से प्रत्येक नई आवंटित खान पर 200/-रुपये प्रति खान की दर से वसूल किया जाता है। अब तक डम्प रिमूवल फण्ड में एकत्रित की गई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1972 तक	रुपये	3,26,400/-
वर्ष 1973 तक	रुपये	4,800/-
वर्ष 1974 तक	रुपये	28,000/-
वर्ष 1975 तक	रुपये	13,800/
वर्ष 1976 तक	रुपये	13,600/-
कुल	रुपये	3,86,600/- रुपये

(2) उपरोक्त राशि इन खानों में से, जिनमें खनिज सम्पदा दबी पड़ी है तथा जिनके ऊपर मलबा इकट्ठा हो गया, इस मलबे को हटाकर खान को चलन युक्त बनाने हेतु इकट्ठी की गई थी। उक्त राशि में से 72,000 रुपये मलबा हटाने हेतु दो ट्रक खरीदे तथा 4,96,000 रुपये नई सड़क बनाने, सड़कों को सुधारने में खर्च किये।

(3) उपरोक्त राशि राजकीय कोष में रेवेन्यू खाते में जमा न कर डिपोजिट खाते में जमा की गई। चूंकी नियमानुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक डिपोजिट खाते में रकम नहीं रह सकती अत: वह राजकीय कोष में रेवेन्यू खाते में चली गई।

(4) उपरोक्त राशि में से 4.96 लाख रुपये सड़कों के निर्माण, उनके सुधार आदि में खर्च की गई है तथा भविष्य में भी मशीनरी आदि खरीदने के पश्चात् यदि राशि में बचत रही तो सड़कों के निर्माण में भी खर्च करने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 4.96 लाख रुपये सड़कों के लिए खर्च किया, यह मंत्री महोदय ने बताया है। यह रकम माइनिंग के बजट में से क्यों नहीं खर्च की गई ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि डम्प रिमूवल फण्ड रेवेन्यू अकाउन्ट में चला गया था, उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा रकम सड़कों के लिए, डम्प रिमूवल की रकम अवेलेबल नहीं हो रहा है। वैसे बहुत सी परियोजनाएं हैं और उनको सड़कों के विकास के लिए बहुत पैसा दिया गया है। वैसे जोधपुर को भी बहुत पैसा दिया गया है, वह इस कंसीडरेशन की वजह से दिया है कि वहां की डम्प रिमूवल फण्ड की रकम जमा थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आदिवासी छात्रावास झालावाड़ के व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायतें

49. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में राज्य सरकार की सहायता (समाज कल्याण विभाग) से एक आदिवासी छात्रावास चालू है ? यदि हां, तो कब से और इसके व्यवस्थापक कौन हैं ?

(2) उक्त छात्रावास को हर साल कितनी कितनी सहायता राज्य सरकार से और निजी छात्रों से प्राप्त हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस छात्रावास की व्यवस्थापिका के खिलाफ छात्रों को भर्ती करने में रिश्वत लेने, छात्रों के साथ मारपीट करने व पूरा सामान नहीं देने आदि की शिकायत सतर्कता कमेटी झालावाड़ में की गई ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि सतर्कता कमेटी की जांच में उपरोक्त चार्जेज प्रमाणित हुये हैं और चेयरमैन, सतर्कता कमेटी द्वारा व्यवस्थापिका के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1960-61 से। वर्तमान में इसके व्यवस्थापक श्री मदन लाल पंवार हैं।

(2) इस छात्रावास को वर्ष 1960-61 से 1976-77 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्षवार दी गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। नियमों में छात्रों से राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां।

(4) सचिव, सतर्कता कमेटी, झालावाड़ से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि श्रीमती चन्दा देवी, व्यवस्थापिका आदिवासी छात्रावास को समिति ने प्राथमिक जांच में दोषी माना है, एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए सिफारिश की है, किन्तु जांच सम्बन्धी रिपोर्ट एवं रेकार्ड साथ में नहीं भेजा गया। इसलिए समिति को सम्बन्धित रेकार्ड विभाग को भेजने के लिए लिखा है। रेकार्ड प्राप्त होते ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इस समय इस छात्रावास के व्यवस्थापक श्री मदन लाल पंवार हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

रामसर-मोराझड़ी सड़क की मरम्मत

54. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामसर-मोराझड़ी सड़क पर पुल्या के पास सड़क कट जाने से यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी सड़क पर रामसर के पास खुर्रे के टूट जाने से पानी के अन्दर होकर जाना पड़ता है ?

(श्री शंकरसिंह रावत)

यदि हां, तो राज्य सरकार दोनों जगह कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सड़क विभाग की मरम्मत की सूची में नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक जनवरी, 1973 से घोषित वेतनमानों को लागू न करने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह इस सदन में कहने का नियम नहीं है। आप मुझ से बात कर लें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह आपकी मर्जी है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय; मैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग पर अगर......

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में मुझ से मिल लें। नियम में नहीं आता है तो मैं क्या करूं। मुझ से आप बात कर समझ लें।

श्री मोहरसिंह : कारखाने में हड़ताल हो रही है। 1520 हजार मजदूर जुलूस निकाल रहे हैं। यह अहमियत का प्रश्न है।

(व्यवस्था—सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष: मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। यह हमारे यहां का नियम है।

श्री मोहरसिंह : राजस्थान भर के लोग इस जुलूस में आ रहे हैं। कोई जयपुर शहर के ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: Not to be recorded.

श्री मोहरसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं आपको कुछ कहता नहीं हूं।

श्री मोहरसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं और सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष :Not to be recorded.

श्री मोहरसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : और किसी समय बोल लीजियेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव था। उसको आपने जानकारी के लिए भेज दिया है।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं रिजेक्ट कर देता तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1-1-1974 से यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों के लिए यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने नये पे स्केल्स की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार ने 30 मार्च, 1974 को घोषणा भी की है, इन वेतनमानों को जो राज्य सरकारें मान लेंगी, केन्द्रीय सरकार उनको वित्तीय सहायता देगी। मुख्य मंत्री महोदय ने 31 मार्च, 1975 से उन वेतनमानों को स्वीकार कर लिया। 19 अप्रेल, 1975 को सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। उस कमेटी की बैठक हुई। 1975 के वेतन मानों की सिफारिश करके कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कमेटी ने सिफारिश कर दी फिर भी राज्य सरकार मौन बैठी है, जब कि आंध्र, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि 19 राज्यों ने उन सिफारिशों को मान है तो राजस्थान सरकार को कौन सी हठ पैदा हो गयी है। राज्य सरकार ने कमेटी की सिफारिश को भी नहीं माना है। इसका क्या कारण है? शिक्षा सेवा अधिनियम के अन्दर वह मांग करना चाहते हैं। ऐसा मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है, फिर भी, अध्यक्ष महोदय, वह तो लागू हुई नहीं है। कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी, वह बजट के आधार पर मान लेनी चाहिए थी। एक जो असन्तोष है उसको दूर करने के लिए सरकार से हमारा निवेदन है।

सरकार ने कई लोगों को इमर्जेंसी के आधार पर सेवामुक्त कर दिया। आज जब वह प्रदर्शन कर रहे थे तो 12 रिटायर कर्मचारियों को अशोक नगर थाने में बन्द कर दिया गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार अपने दिये हुए वचनों का पालन करें यही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने यूनिवर्सिटी पैटर्न के लिहाज से वेतनमानों की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने उसको टेम्पर किया था। इससे उनके वेतन में बढ़ोतरी तो हुई नहीं बल्कि 150 और 250 रुपये का इण्डिविजुअल टीचर्स को नुकसान हुआ है। अन्य 14 राज्यों के द्वारा इन सिफारिशों को मानने के बाद राज्य सरकार का यह रवैया है। इन सिफारिशों को लागू कराने के लिए यूनिवर्सिटी टीचर्स ने डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया है, उसके बाद लागू नहीं हुई। हम चाहते थे कि ये स्केल का यूनिफार्म पैटर्न राज्य सरकार मानती, लेकिन वह अभी तक मामला पेण्डिंग पड़ा है। लोगों को बाहर निकाला गया है। ऐसा विक्टिमाइजेशन एजूकेशन लाइफ में चल रहा है। 20 प्वाइण्ट और 5 प्वाइण्ट प्रोग्राम में 19 महीने में यही करना था तो भगवान ही मालिक है। जो मेरा निवेदन है कि जो पे स्केल यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के हैं, उनके आधार पर यूनिवर्सिटी टीचर्स की पे स्केल रिवाइज की जायें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के पे-स्केल सभी जगह मान्य हो गये

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं तो राजस्थान में क्या दिक्कत है ? अगर इससे टीचर्स में असन्तोष है तो स्टूडेन्ट्स का क्या होगा ? मैं राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के पे स्केल हैं, उनको इम्प्लीमेण्ट क्यों नहीं करती है ? इसमें उसे क्या आपत्ति है ? अगर कोई आपत्ति है, तो वह बतायें कि क्या आपत्ति है ?

राज्यपाल महोदय का सन्देश

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नलिखित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

" मार्च 28, 1977.

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 26 मार्च, 1977 का अ०शा० पत्र संख्या एफ. 10 (6) सदन/– वि० सं०/77/10942 मिला । इस कृतज्ञता संदेश के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें ।

भवदीय
वेदपाल त्यागी"

सूचना

श्री भोमाराम , विधान सभा सदस्य द्वारा दल परिवर्तन

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री भोमाराम, सदस्य विधान सभा ने विधान सभा जनता मोर्चा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है । उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है ।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । श्रीमती नगेन्द्र बाला ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोमाराम नाम का कोई भी सदस्य हमारे यहां जनता पार्टी में नहीं था ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लिखकर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : जनता मोर्चा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जनता पार्टी कहते हो दूसरे जनता मोर्चा कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे व्यक्तिगत जानकारी तो है नहीं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता पार्टी का सवाल कहां से उठता है ।

समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला ।

प्राक्कलन समिति के 11 वें, 12 वें व 13 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती नगेन्द्र बाला (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 1976–77 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं :—

(1) राजस्व विभाग विषयक प्राक्कलन समिति 1970–71 के बीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(2) लघु सिंचाई योजनाएं विषयक प्राक्कलन समिति 1968–69 के चौदहवें

(श्रीमति नगेन्द्र बाला)

प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का तेरहवां प्रतिवेदन

(3) दांतीवाड़ा नदी घाटी भू-संरक्षण परियोजना से सम्बन्धित समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1976-77 के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, श्री मोहनलाल छंगाणी, द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन लाल छंगाणी (फलोदी): अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की एक प्रकृति होती है चूंकि यह एक अविभक्त मूल्य है, इसलिये यह टुकड़ों में नहीं रह सकता। अगर आंतरिक प्रक्रिया प्रजातांत्रिक नहीं है, तो ऊपरी और बाहरी तौर पर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम नहीं रखा जा सकता।

1971 के लोक सभा चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपरिमित बहुमत मिला। जनता ने कांग्रेस उम्मीदवारों को इतनी ज्यादा लोक सभा सीटों पर चुना जिनकी उम्मीद नहीं थी। जैसे यह हुआ, तैसे कांग्रेस में शनैः शनैः एक घृणित प्रक्रिया ने जन्म लिया। लोक सभा चुनाव में जनता के भारी समर्थन का नतीजा कुछ और निकलना चाहिये था, यह कि कांग्रेसजन आम लोगों की सेवा में पहले से ज्यादा मुस्तैद होते, जितना उनमें पहले से ज्यादा विनम्रता आती, लेकिन इसके विपरीत कुछ और हुआ। कांग्रेस संगठन, श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस हाई कमाण्ड अपना भूल गये प्रगतिशील समाजवादी ताकतों की एकता की बात भूल गये। जनता से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मोर्चों पर भारत कल्याण के लिये किये गये सारे वायदे भूल गये और और इसके साथ ही गौरव परम्परा और कर्तव्य को भूल गये जो गांधी की घुट्टी से देश ने पिया था और नेहरू जी ने आगे बढ़ा कर भारत देश को विश्व में एक सम्मानास्पद स्थान दिलाया था।

कांग्रेस और उसके नेतृत्व को जल्दी ही अकर्मण्यता, घमन्ड अर्थहीन सुरक्षा की भावना ने घेर लिया। जो अधिकार जनता ने दिया था उसका निर्बाध रूप से उलट पुलट तथा कुछ और ही उद्देश्यों, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये उपयोग होने लग गया।

कांग्रेस के काम-काज के तरीके बदलते चले गये, उसका आन्तरिक प्रजातान्त्रिक स्वरूप नष्ट होता चला गया, अतः कांग्रेस में से पूरा अन्तरंग प्रजातंत्र समाप्त ही कर दिया गया। जब कांग्रेस की आन्तरिक कार्यविधि प्रजातांत्रिक नहीं थी तब कांग्रेस से बाहर देश में भी प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता था। अतः यह हुआ कि 26 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई।

आपातकाल की घोषणा से पहले जो सिलसिले शुरू हुए थे वे आपातकाल में और

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

भी बढ़ चढ़ कर रंग लाने लगे। सत्ता जो देश व जनता की धरोहर थी वह प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के दो हाथों में सिमिट गई बाकी उनके पुत्र श्री संजय गांधी व अन्य श्री वंशीलाल जैसे मुंह लगे लोगों में बंट गई। संविधान के ऊपर सत्ता के नये शीर्ष उभर आये। स्वयं श्री संजय गांधी और उनके गिरोह ने किसी भी बात की परवाह किये बगैर ताकत का भयावह इस्तेमाल किया। इस दुश्चक्र में लाखों लाख देशवासियों ने अकथ्य यातनाएं भुगतीं। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों से इकरारनामों में नियमों की अवहेलना करते हुए देश को आर्थिक क्षति के कगार पर लाकर खड़ा करने की साजिशें की गईं।

कांग्रेस जो देश की कई महान् विभूतियों की विरासत थी वह गांधी और नेहरू की कांग्रेस कहलाने की अधिकारिणी नहीं रही। एक संस्था के रूप में अनधिकृत और अप्रमाणिक संस्था बन गई। कांग्रेस की और जनता की, जनता की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपसी प्यार का रिश्ता टूट गया।

कांग्रेस व कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में जनता की निगाहों में एक हमदर्द और आगेवान की तरह जो प्रमाणिकता थी वह बुरी तरह नष्ट हो गई। संस्था और उसमें शामिल लोग अविश्वसनीय और झूठे बन गये। 1977 के लोक सभा चुनावों के नतीजों ने इस बात को सिद्ध किया और हमें आत्मविश्लेषण का एक अवसर दिया। यह हमारे लिए एक सबक होना चाहिये और हमें उसके सबक भी जानने चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये सभी परम्पराओं से हट कर चलना सरल हो गया। एक विदूषकों का सा गिरोह देश के सर्वोच्च शिखर पर उभर आया जिसे मदांधता और शायद स्वार्थ पूर्ति के अलावा किसी और बात की कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ ने विवेक के सभी आयाम, उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के सभी आचरण और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी सम्पूर्ण गरिमा उसी दिन नष्ट कर दी जब उन्होंने कहा "Indira is India and India is Indira".

स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने आप में एक व्यामोह पैदा कर लिया और वे उसी में खो गईं जैसे श्री बरुआ इन्दिरा गांधी को भारत और भारत को इन्दिरा गांधी बताते थे वैसे श्रीमती गांधी श्री संजय गांधी को श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्री संजय गांधी समझने लगीं। आनुपातिक विवेक के सारे मूल्य ही नष्ट हो गये।

चण्डीगढ़ कांग्रेस के समय जनवरी, 1976 और दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वक्त जून, 1976 और गोहाटी अधिवेशन के समय नवम्बर, 1976 में श्रीमती गांधी ने स्वयं यह रहस्योद्घाटन किया कि वे सम्पूर्णतया श्री संजय गांधी के पीछे हैं। श्री संजय गांधी जो कई कारनामों में मुब्तिला थे, श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री संजय गांधी के दृष्टिकोण और कार्यों को मान्यता देती है। श्रीमती गांधी के विचारों और कार्यों में खुद भारी परिवर्तन हुआ। वे सरकार, सत्ता और अफसरों की राजनीति, राजनीतिज्ञों और शुद्ध सार्वजनिक आचरण से बेहतर और

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

फायदेमन्द समझने लगीं। आपातकाल का लागू किया जाना भारत देश पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रशासनिक आघात से ज्यादा कुछ नहीं था जिन्हें पृथकतावादी शक्तियां कहते थे। आपातकाल को लागू किया जाना उन ताकतों के खिलाफ कांग्रेस का राजनैतिक जवाब तो हरगिज नहीं था। इसके बाद आपातकाल के दौरान में क्या कुछ नहीं हुआ।

सी. बी. आई. और आयकर विभाग के ब्लैक मेल करने वाले छापों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य अर्द्ध सैनिक संगठनों द्वारा भय उत्पन्न करने की घटनाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार को उनके पैरों से उखाड़ देने की कार्यवाही कांग्रेस संगठन के राजनैनिक ढांचे को खत्म करने की कोशिशें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर आतंक और भय का एक विकराल साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस सबसे साफ था कि आपातकाल के पीछे संजय गांधी को भारत का राष्ट्रीय नेता बनाने और अपनी कुर्सी बचाने के षड़यन्त्र के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था।

षड़यन्त्र और पाखंडों के इस माहोल में कांग्रेस संस्था अनधिकृत और अप्रमाणिक बन गई, और जनता से दूर हो गई। जनता ने कांग्रेस और कांग्रेसजनों से घृणा की। और, कांग्रेसजनों ने अपने आपसे घृणा की। कांग्रेसजनों के लिये ये दारुण दुखों का समय था। यह दुर्भाग्य के दिन थे जब कांग्रेस व कांग्रेस संगठन व कांग्रेसजनों का जो कुछ भी अपना था- उनकी विरासत, उनका वर्तमान सब कुछ नष्ट हो गया। इस सारी उथल पुथल पर विचार करने वाला व्यक्ति इसी निश्चिय पर पहुंच सकता है कि यह सब कुछ मदान्ध सत्ता के लोभ के वशीभूत हुआ। और जवाब में आज जब कि हम जनता से इतना दूर हो गये हैं कि एक ही ऐतिहासिक उतरदायित्व हमारे सामने खड़ा नजर आता है, यह कि हम सत्ता के लिये दगाबाजी नहीं करे, जायें और पहले से भी विनम्रतापूर्वक जनता की सेवा करें। इस उद्देश्य और कारणों से मैंने मन्त्री पद से त्याग पत्र दिया है। वास्तव में इससे पहले मैंने पद से दो बार जब श्री बहुगुणा को उत्तर प्रदेश में और श्री नन्दनी सत्पथी को उड़ीसा में समस्त प्रजातांत्रिक मूल्यों को बलाए ताक रखते हुए आनन फानन में उनके पदों से हटा दिया गया था तब विरोध स्वरूप त्याग पत्र देने का निर्णय किया था। इन दोनों मौकों पर मेरे दोस्तों ने हमदर्दी और अपने पूर्वाग्रहों को कैदी बनाकर मुझे मन्त्री पद छोड़ने नहीं दिया। आज जब मैं वास्तव में मन्त्री पद से मुक्त हो गया हूं तो मैं सचमुच अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। सत्ता जनता की है और जनता से दूर व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नही है। इस अवसर पर यह जरूर कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मुझ से कई लोगों की व्यक्तिगत आलोचना हुई होगी। यह नाम मैंने संदर्भों को स्पष्ट करने के लिये कहे होंगे। इस आलोचना का उनके व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उन मूल्यों में

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

यकीन करता हूं जिनका भारत की जनता इतना आदर करती है और जिनसे भारत की जनता को प्यार है जैसे प्रजातन्त्र, आतंक का विरोध, अन्तरंग और बहिरंग आचरण में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, समता, न्याय, सर्व धर्म समभाव और पर कल्याण ।

मैं इन मूल्यों के साथ जिया हूं और कृत संकल्प हूं कि इन मूल्यों के साथ ही जीता रहूंगा । वास्तव में 19–20 माह के आपातकाल के दमनकारी वक्त के खिलाफ और समाजवाद व लोकतन्त्र की हिमायत में सक्रिय रूप से कुछ भी न कर पाने का अपराध भाव मुझ पर छाया हुआ था । मन्त्री पद से अलग होकर मैं अपने आपको उस अपराधिक भावना, पश्चाताप से मुक्त समझता हूं । वास्तव में मुझे बड़ी राहत मिली है ।

इन दिनों में आत्म विश्लेषण के क्षणों में और कुछ बातें सामने आई जिन्हें मैं कहना चाहूंगा । इस सारे अंधकारपूर्ण समय में जो सबसे बड़ी चूक हुई है वह यह है कि संयुक्त नेतृत्व के स्थान पर हमने बिना प्रतिरोध व्यक्तिगत नेतृत्व का विचार स्वीकार कर लिया और एक व्यक्ति के नेतृत्व को कायम हो जाने दिया । यहां हम गांधी और नेहरू के रास्ते से भटक गये । वे संयुक्त नेतृत्व को मानते थे और इसी का अनुसरण करते थे । हमें याद रखना चाहिये कि संयुक्त नेतृत्व की व्यवस्था यदि नष्ट हो गई तो हम समाज व संगठन में आन्तरिक प्रजातत्र भी कायम नहीं रख सकते । आन्तरिक प्रजातंत्र और संयुक्त नेतृत्व का चोली दामन का साथ है । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि जैसे दुर्दिन गुजरे वैसे फिर कभी नहीं आयें तो हम हमेशा संयुक्त नेतृत्व के सिद्धांत को याद रखें, उसे कायम रखें और उस पर अमल करें ।

एक ध्यान देने योग्य बात और है । वह यह है कि 1977 के लोक सभा चुनाव परिणामों से कई बातें निकल कर आई हैं । जो लोग कांग्रेस छोड़ कर जनता पार्टी में गये या कांग्रेस फोर डेमोक्रेसी में शामिल हो गये उनका कांग्रेस छोड़ना समझ में आता है । वे एक व्यक्ति के नेतृत्व के विरोधी थे और उनका असन्तोष प्रतिपक्ष में जाने के लिए बिना बहस में जाये कम से कम उनके लिए उचित कारण में माना जा सकता है । पर प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों का इस प्रकार विभाजन हुआ वहां साम्प्रदायिक बुर्जुआ और सरमायेदार ताकतों को एक जूट होने का मौका मिला है । वक्त की बात है कि संयुक्त नेतृत्व के अभाव में और व्यक्ति के नेतृत्व के दबाव में ये दो विपरीत वर्ग प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियां तथा साम्प्रदायिक और सरमायेदार ताकतें विरोधाभास में ही सही, एक तम्बू के नीचे बैठ गई हैं । हमें नोट करना चाहिये कि यह जमाव देश के वृहत्तर हितों के अनुकूल नहीं है । दूसरी तरफ इस जमाव के विरुद्ध कांग्रेस अशक्त हो गई है । साम्प्रदायिकता उभरने का एक जबरदस्त खतरा सामने है । इसलिये कांग्रेस में नया जीवन फूंकने की जरूरत है । हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम प्रजातांत्रिक और समाजवादी ताकतों की वृहत्तर एकता के संदर्भ में सोचें जिससे इस देश की धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक परम्परा और समाजवादी आस्था जीवित रहे और बढ़ती रहे । इसमें साम्यवादी शक्तियां कांग्रेस फोर डेमोक्रेसी और जनता पार्टी के प्रगतिशील तत्व निसन्देह हमारे सहायक होंगे ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मेरा कर्तव्य होगा कि ऐसी वृहत्तर एकता के लिए सतत् प्रयास करूं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मेरे इस कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तो मैं कोई भी और रास्ता चुनने के लिये स्वतंत्र रहूंगा।

दो शब्द में अपने मन्त्रिमण्डलीय साथियों और मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं। मंत्री मंडल के सदस्य और कांग्रेस कर्मी के रूप में मैंने मुख्य मंत्री जी को अपने बड़े भाई की तरह समझा और उन्होंने मुझे भी छोटे भाई की तरह देखा। मैं उनके प्यार और सद्भाव दोनों का ऋणी हूं। मंत्री मंडल के सहयोगियों का भी मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे समय समय पर सहयोग दिया।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री छंगाणीजी मेरे मन्त्रि मण्डल के सदस्य थे और अब उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया है। त्याग-पत्र देने वाले मन्त्री को नियमानुसार यह अधिकार है कि वह उन कारणों के ऊपर प्रकाश डाले जिससे उसने त्यागपत्र दिया है।

एक चीज स्पष्ट है कि श्री छंगाणीजी ने राजस्थान की स्थितियों के कारण नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्थितियों के विचार से मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने मेरे लिए और मन्त्रिमण्डल के लिए जो भावनाएं व्यक्त की है उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। मगर मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उसे जिस रूप में उन्होंने कहा है, दुर्भाग्यवश मैं उसे उस रूप में लेने की स्थिति में नहीं हूं।

छंगाणीजी ने कहा कि मुझे उन्होंने बड़े भाई के रूप में देखा। छंगाणीजी सरकारी काम के अलावा राजनैतिक चर्चाओं के लिए अनेक बार मेरे पास आये और कई प्रश्नों के सम्बन्ध में चर्चाएं कीं। मगर श्रीमती गांधी के चुनाव हार जाने के बाद जो बातें उन्होंने आज कही हैं, वे मुझसे पहले कभी नहीं कहीं और न कभी विरोध ही प्रकट किया। उनका दम घुट रहा था, इस देश की स्थितियों की वजह से वे अपने अन्दर मानसिक उथल-पुथल अनुभव कर रहे थे, इस बात की उन्होंने कभी चर्चा नहीं की।

उन्होंने कहा कि आपात स्थिति की घोषणा से प्रशासन के अंदर अमुक प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। श्री छंगाणी जी राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे और उस अर्से तक उस प्रशासन के अन्दर बने रहे जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव हार नहीं गई। उन्होंने उस समय तक इस स्थिति के बारे में कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं समझा जब तक कांग्रेस की सरकार केन्द्र में बदल नहीं गई और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो गई।

उन्होंने यही कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय के सिवाय कुछ अमुक लोगों ने एक प्रकार का व्यामोह पैदा कर दिया। मैं समझता हूं व्यामोह पैदा करने वाले लोगों से उनकी लंगोटिया दोस्ती थी, वह तूतड़ाके की भाषा में उनसे बात किया करते थे, अपने आपको उनका भाग बताते थे और राजस्थान में कोई उनसे बात करे उनकी मार्फत बातें करे, ऐसी स्थिति थी।

मैंने गलत सुना है या सही सुना है मैं नहीं जानता। जो प्रेस की चर्चा का विषय

(श्री हरिदेव जोशी)

बना, 'India is Indira and Indira is India' यह देवकान्त बरुआ ने कहा। कहते हैं बिलाडा की चुनाव सभा में दो बार 2 मार्च को छगाणीजी ने स्वयं कहा, 'India is Indira and Indira is India.'

श्री केदारनाथ : स्वर्णसिंह ने कहा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो इन्दिराजी को राजनीति अच्छा नेता मानता हूं

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इण्डिया तो नहीं मानते हैं

श्री हरिदेव जोशी : आप मेहरबानी करके मुझे कहने दें

श्री अध्यक्ष : जितना कह रहे हैं उतना ही मानते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यहां पूरा सेन्टेन्स नहीं आया 'Indira is India and India is Indira.'

व्यवस्था का प्रश्न

भूतपूर्व मंत्री के व्यक्तिगत वक्तव्य संगत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्रीजी जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं लेकिन नियम 133 के अन्तर्गत कोई बहस मन्त्री महोदय के स्टेटमेंट के बाद नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ देता हूं, आपने ध्यान दिला दिया है मेरा

(1) A member, who has resigned the office of minister, may, with the consent of the Speaker, make a personal statement in explanation;

(2) A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the leader of the House one day in advance of the day on which it is made.'

श्री लक्ष्मणसिंह : 133 में है, अध्यक्ष महोदय, "There shall be no debate on such statement."

श्री अध्यक्ष : वही पढ़ रहा था, मैं पूरा पढ़ना चाहता था,..........

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : There will be no debate on such statement, but after it has been made the minister may make a statement pertinent thereto.''

इसलिए आपका जवाब आ जाय और कोई बहस का सवाल नहीं है।

श्री केदारनाथ : प्वाइंट ऑफ आर्डर, सर। व्यवस्था इस बात के लिए है कि मन्त्री महोदय ने एक स्टेटमेन्ट दिया, वह एक्सप्रेशन आफ ओपिनियन है, सोशल पालिसीज पर उनका अपना मत था, इस पर चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार का मत दे रहे हैं, इसलिए जो डिबेट

श्री अध्यक्ष: मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इसमें विधान सभा के नियमों और दूसरी विधान सभा के नियमों, पार्लियामेंट के नियमों के अंतर्गत भी परम्परा अब तक यही रही है कि अगर किसी मन्त्री महोदय ने इस्तीफा दिया है तो अपना खुद बयान दे सकता है और प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री उस पर अपने विचार रख सकते हैं, उसके आगे का कोई प्रावधान नहीं है और हमारी विधान सभा में भी ऐसा ही है। पहले भी ऐसे मौके आये हैं, पहले भी मन्त्री साहबान ने इस्तीफे दिये हैं और मुख्य मंत्री जी ने बयान दिये हैं। इसलिए मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि मेरे बयान के बारे में मुख्य मन्त्री जी कोई बात कहें कि मैंने यह बात नहीं की तो मुझे आप उसकी उत्तर देने के लिए इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष: 133 में तो दे नहीं पाऊंगा, वैसे और किसी अवसर पर सफाई दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास: अध्यक्ष महोदय, आप कोई नई चीज कहेंगे तो उस का जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: सारी कार्यवाही 133 के तहत हो रही है, उसमें मुझे बता दीजिये कि जवाब देने का मिलेगा। इसमें तो बहुत स्पष्ट है, आप भी जानकार हैं और वकील भी हैं।

भूतपूर्व मन्त्री, श्री मोहनलाल छंगाणी का व्यक्तिगत वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता मैं अपनी स्थिति को, अपनी गवर्नमेंट की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं कि छंगाणी जी ने यह कहा कि मुझे उन्होंने बड़े भाई की तरह माना तो यह गलतफहमी न हो कि एक छोटे भाई ने क्या 2 चीजें कही और बड़े भाई उन सारी चीजों को चबा गये।

एक माननीय सदस्य: मिली भगत तो नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी: इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा यहां पर कुछ कहना जरूरी है। मैं समझता हूं कि शायद छंगाणीजी अपनी बातों से बहुत दूर हो गये। अगर उनकी आत्मा का इतना ही तकाजा था तो उन्हें भी उस समय इस्तीफा देना था जिस समय श्री बहुगुणा साहब ने रेजिगनेशन दिया। वह उस समय इस्तीफा देते जिस समय श्रीमती नन्दिनी सतपथी ने रेजिगनेशन दिया। छंगाणी उस समय अगर रेजिगनेशन देते तो उपयुक्त होता। उस समय मैं उनको सही मानता।...

श्री केदारनाथ: उस समय चेयर छोड़कर हमारे साथ जेल जाते।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, उनको उस समय तैयार होकर काम करना चाहिये था। लेकिन अब इस प्रकार की बात कर रहे हैं यह बात एक तरह से हिटिंग बिलो दी बेल्ट वाली बात हो जाती है। You can play safe now.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति कांग्रेसमेन है, और वह कांग्रेसमैन अगर बेसिक कांग्रेसमैन है, और उस कांग्रेसमैन का अगर बेसिकली प्रोपर ग्राउंडिंग एज

(श्री हरिदेव जोशी)

कांग्रेसमेन हुआ है तो वह ऐसा नहीं कहेगा। उसके लिये तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं, वह तो हमेशा ही कांग्रेस के प्रति वफादार ही रहेगा।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी पिछले तीस वर्षों से देश में पावर में रही है। कांग्रेस पार्टी के पावर में रहने के कारण इसमें कई प्रकार के लोग आये। इसका सेल्फ इन्ट्रोडक्शन यह है कि हम यानि कांग्रेस पार्टी जेनिथ पर थी। अनेक लोगों ने इस पार्टी में आना अच्छा समझा। इस पार्टी में स्थान पाना अच्छा समझते थे। यह पहली मर्तबा है कि कांग्रेस को पतझड़ देखना पड़ा है। इसका क्या कारण हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, देश में आपातकालीन स्थिति लागू की गयी। आपातकालीन स्थिति के अन्दर क्या क्या काम हुए, कहां कहां पर मिस मैनेजमेंट हुआ, क्या एट्रासिटीज हुई या नहीं, या वह हुआ या यह नहीं हुआ इसमें अभी जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, यह तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि श्री छंगाणीजी अपने जिले के अलावा दो जिलों के मिनिस्टर इन्चार्ज थे। अपने जिले के बाहर के जिलों में भी मिनिस्टर इन्चार्ज थे लेकिन मुझे अभी याद नहीं पड़ता कि कभी भी पहले उन्होंने मुझे या केबीनेट के सामने इन एट्रोसिटीज को बताया हो। अब यह सभी बातें अपने एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं जो कि पहले मेरी जानकारी में नहीं आयी थीं। यह तो एक बिल्कुल नयी चीज ही मेरे सामने आयी है। अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी छंगाणी जी ने यहां पर कहा है वह हमारे लिये, मेरा मतलब है, सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिये, सम्पूर्ण केबीनेट के लिये एक न्यूज की तरह ही है। यह पहली मर्तबा है जब मेरे सामने यह बातें आ रही हैं। उन्होंने मुझे पहले कभी भी इन बातों के बारे में कुछ कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। इन परिस्थितियों में सफोकेशन हो रहा था जिसके कारण छंगाणी जी दुखी थे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी मौका नहीं आया कि उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी मालूम नहीं कि राजस्थान के बाहर, जो कांग्रेस फोरम है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसीडेन्ट हैं उनको भी कभी छंगाणी जी ने यहां के हालात के बारे में, इस सफोकेशन के बारे में कोई वर्णन किया हो या कोई बात कही हो। अध्यक्ष महोदय, उन्होने कभी हमारे प्रधान मन्त्री जी को भी इस बारे में कुछ कहा हो या किन्हीं दूसरे लोगों से आपने सफोकेशन के बारे में कभी कोई चर्चा की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं। उनके सफोकेशन की बात मेरी जानकारी में बिलकुल नहीं है।

छंगाणी जी ने यह कहा, जब बहुगुणाजी ने इस्तीफा दिया उस वक्त उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। उस वक्त उनके मित्रों ने उन्हें यह राय दी कि आप अभी इस्तीफा नहीं दें। उनके मित्रों ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, इस डिस्प्यूट में मैं जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना ही कहना है कि आज जो कुछ देश में हुआ है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ राज्य सरकारों में हो रहा है वह अखिल भारतीय स्थितियों के कारण हो रहा है और जो कुछ अखिल

(श्री हरिदेव जोशी)

भारतीय स्थितियां हैं उनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में, मैं भी एक हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जब इमर्जेंसी लागू की गयी उसकी जिम्मेदारी चाहे मुझ पर न हो, मेरे सिर पर न हो, चाहे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी की बात मेरे सिर पर न हो लेकिन जो भी काम हुए हैं, एक कांग्रेस पार्टी के वर्कर की हैसियत से अपने आपको उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं कर सकता हूं। I owe the responsibility as a Congress worker. और अध्यक्ष महोदय, मैं उस रेस्पोन्सिबिलिटी को ओन करूंगा। उस रेस्पोन्सिबिलिटी को ओन करके मैं जनता के सामने जाना चाहता हूं। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

व्यवस्था का प्रश्न
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर पुनः स्पष्टीकरण

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया उसमें जो इश्यूज रेज हुए हैं उसके बारे में आउट गोइंग मिनिस्टर को सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत ....

श्री अध्यक्ष : नियमों में नहीं है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की परमिशन होनी चाहिये जो लोग वेडेड टू दी डेमोक्रेसी होते हैं उनमें से एक छंगाणीजी ने जिस उद्देश्य से रेजिगनेशन दिया, उसके बाद में स्टेटमेंट दिया है। उनको एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत मिलनी चाहिये। उन्होंने बिना मजबूर किये ही फर्स्ट पोइन्ट पर ही रेजिगनेशन दिया He is perfectly right. और हम उनके इस एक्शन को डेमोक्रेटिक मानते हैं। वह परफेक्टली डेमोक्रेट हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न कि नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री केदारनाथ : डिस्कस तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था कि जो बयान छंगाणीजी साहब ने दिया है वह आर्टिकल 133 के तहत दिया है और उसका उत्तर सदन के नेता महोदय ने दिया है वह भी आर्टिकल 133 के अन्तर्गत ही दिया है। इसका प्रावधान 133 में है। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस पर डिबेट की जा सके। इसलिए मेरी मजबूरी है। नियमों के अन्तर्गत इस पर वाद-विवाद करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद। लेखानुदान।

लेखानुदान

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—अनुसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक, जो कुल मिलाकर 2,66,25,59,000 (दो सौ छासठ करोड़ पच्चीस लाख उनसठ हजार) रुपये मात्र होगी, अलग अलग रकमें लेखे में मांग संख्या 1 से 48 के प्रति 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लेखानुदान का जो प्रस्ताव वित्त मन्त्री महोदय ने सदन के सामने रखा है उसको स्वीकृति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

लेखानुदान की मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सामने मांगें रख देता हूं।

मांग संख्या 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लेखाअनुदान की मांग संख्या 1 (संसद) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 2 (राज्यपाल आदि) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि लेखाअनुदान की मांग संख्या 3 (मन्त्री परिषद) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,88,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 4 (सचिवालय) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,37,94,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 5 (सामान्य प्रशासन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 86,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 6 (न्याय प्रशासन) के सम्बन्ध में 31

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,30,46,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 7 (निर्वाचन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 8 (राजस्व) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,61,37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 9 (वन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,90,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 10 (स्टाम्प्स) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 11 (अचल सम्पत्ति कर) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,06,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 12 (आबकारी) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,84,85,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 13 (बिक्री कर) के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,40,66,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 14 (खजाना पेन्शन आदि) के सम्बन्ध में 31मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,16,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 1 (वाहन कर) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,52,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 16 (पुलिस) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,43,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 17 (जेल) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 96,58,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 18 (सूचना और प्रचार) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,75,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 19 (सार्वजनिक निर्माण) के संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को 5,69,05,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 20 (आवास) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 21 (सड़कें व पुल) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 7,77,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 22 (कार्यात्मक भवन) के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,69,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 23 (काम और रोजगार) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 93,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 24 (शिक्षा) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49,20,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 25 (कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-

(श्री अध्यक्ष)

पाल महोदय को 31,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 26 (चिकित्सा) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,57,73,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 27 (लोक स्वास्थ्य) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,08,35,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 28 (परिवार नियोजन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,90,72,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की जाय ।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 29 (नगर विकास) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,50,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 30 (खाद्य) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 31 (पुनर्वास एवं सहायता) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

Page No.56

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 32 (समाज कल्याण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,24,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 33 (अकाल सहायता) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,16,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 34 (आर्थिक एवं सांख्यिक) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 35 (सहकारिता) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,45,78,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 36 (कृषि) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,89,11,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 37 (लघु सिंचन) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,77,58000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 38 (पशुपालन) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,89,83,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 39 (डेअरी) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,48,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 40 (सामुदायिक विकास) के संबंध में 31 मार्च, 1978 का समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 41 (उद्योग) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,01,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 42 (ग्राम और लघु उद्योग) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 43 (खनिज) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,62,39,000 रुपये तक की राशि प्रदान की गई।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या (44 उपक्रम, के संबंध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 45 (सिंचाई) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,23,68,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 46 (पर्यटन) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,79,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 47 (नगर आयोजन) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 48 (परिगणित) के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,71,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवा-महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्तमंत्री महोदय ने अपने बजट का भाषण यहां प्रस्तुत किया उसमें केवल अपनी अपनी बातें और केवल वाह-वाही लूटने वाली बातें ही कहीं।

(1.46 म. पू.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं कहूंगा कि बजट भाषण ऐसा था जैसे चुनाव घोषणा-पत्र हो कि हम तो यह करना चाहते थे। अब यह सरकार जाने वाली है और नयी सरकार मिलने वाली है और जो भी उधर बैठने वाले हैं वह इधर आकर बैठने वाले हैं- आपका भविष्य मैं आपको बता देता हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि केवल थोथी घोषणायें आपने की हैं सारी की सारी। यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने काम नहीं करने दिया नहीं तो हम बहबूदी के काम करना चाहते थे। ऐसी थोथी घोषणायें की हैं।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार यह बातें कहीं, काफी दिन हो गए राज्य कर्मचारियों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में राज्य सरकार ने कई बातें स्वीकार कीं फिर क्यों आज तक पांच किश्तें इन राज्य कर्मचारियों को नहीं दी गयीं ? यह राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं। सिर्फ आपने दो किश्तें दीं। आपके राज्य कर्मचारी परेशान हैं। महंगाई भत्ते के अलावा मकान भत्ता देने वाली बात राज्य सरकार ने स्वीकार की है, सिद्धान्त रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार की है तो फिर किस ने आपको रोका है? आज तक राज्य के कर्मचारियों को मकान का किराया भत्ता क्यों नहीं दिया ?

आपने अनिवार्य सेवा मुक्ति के नाम पर हजारों लोगों को इमर्जेन्सी के कार्य-काल में निकाला। इमर्जेन्सी अब समाप्त हो गयी है और मुख्य मंत्री जी ने भी माना है कि वह गलत कदम था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमर्जेन्सी गलत लगाई। जब वह गलत सिद्ध हो गयी तो जिन कर्मचारियों को इस इमर्जेन्सी में अनिवार्य सेवामुक्ति के नाम पर निकाल दिया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज क्यों नहीं राज्य सरकार उन सारे कर्मचारियों को वापिस सेवा में लेती है ? उनको वापिस लेना चाहिए और यदि कोई अपराधी सिद्ध होता है, दोषी सिद्ध होता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में समिति बना दी गई। जो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं आज भी उनको उनके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स ने वापस नहीं लिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी गई यह केवल औपचारिकता मात्र है। यह बिल्कुल नहीं होने वाला है कि कर्मचारियों को वापस ले लिया जायगा। जिन कर्मचारियों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया बेचारे उन 11 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और अशोक थाने में वे आज प्रातः काल बन्द हो गये। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें बिना शर्त वापस लें। कोई दोष हो तो जांच की जाय और फिर मुकद्दमे चलायें। साथ ही यह भी निवेदन है कि जो प्रमोशन हों वे वरिष्ठता के आधार पर होने चाहिये मेरिट के आधार पर नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मन्त्री परिषद के माननीय सदस्य भी आर्डर मेंटेन करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब उन्हें मालूम है कि वे जाने वाले हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाय मेरिट के आधार पर नहीं। इस इमर्जेन्सी के समय में सरकार ने लगभग दो दर्जन आदेश निकाले। राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिये, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास स्वर्ण अवसर है कि यह जो दो दर्जन आदेश निकाले गये हैं उन्हें वापस ले लें और जिन्हें अनिवार्य सेवा में मुक्त किया गया है उन्हें वापस ले लें। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दें, मकान भत्ता दें, उनकी जो पदोन्नति की जाय वह वरिष्ठता के आधार पर की जाय।

माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बेरोजगारी है, वैद्य भी हैं, डाक्टर भी हैं, इन्जिनियर भी हैं। वित्त मन्त्री जी ने अपने पूरे भाषण में यह नहीं कहा कि किस प्रकार रोजगार नीति अपनाएंगे। अभी भी बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि विरोधियों के कारण महंगाई बढ़ रही थी और अब महंगाई पर काबू पा लिया गया है। माननीय वित्त मन्त्री जी आपका गलत ख्याल है। महंगाई बराबर बढ़ रही है। आपात स्थिति के बाद 9 प्रतिशत की गिरावट आई थी उसका कारण था कि वर्षा अच्छी हुई थी। आपने कहा कि विरोधियों को जेल में डाल दिया गया इसलिए भाव घट गये। आज भी 12 प्रतिशत वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी चीजों के भाव, चाहे वह अनाज हो, चीनी हो, कपड़ा हो, तेल हो, निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां तक कि आज लकड़ी और कोयले तक के भाव निरन्तर, बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है, यह भ्रम है, राजस्थान की जनता को गुमराह करने की बात है। आपको भले ही महंगाई न लगती हो पर जो गरीब हैं, जो कर्मचारी हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनसे उनकी हालत पूछिये। उनकी अनेक समस्यायें हैं, रोटी की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है और अनेक समस्याएं हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनसे उनकी हालत पूछिये।

इसी प्रकार कृषि उपज मण्डियों की बात कही गई कि उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। कांग्रेस के छोटे-मोटे लोगों को, अपने लोगों को संस्थाओं में भले ही बैठा दिया है। हो सकता है कि उन लोगों को लाभ हो रहा है लेकिन कृषि उपज मण्डियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

पशुओं के पीने के पानी की बात जहां तक है, पशुओं के पीने के पानी की क्या, लोगों तक के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने जयपुर के लिये बार बार ध्यान दिलाया लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि बनास योजना उपयुक्त है लेकिन अभी तक बनास योजना को लागू नहीं किया गया। राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। टी० बी० पर बहती हुई नदियां तुम्हें भले ही नजर आ रही हों लेकिन जब पीने के लिये पानी की तलाश करते हैं तो एक मटका पानी नहीं मिलता। तो इस प्रकार पीने के पानी की आज भी समस्या है। आपने पशुओं के पीने के लिए पानी की बात कही है लेकिन पीने के लिए मनुष्य के लिए पानी नहीं है। पशुओं के लिए पानी उपलब्ध हो गया है यह बिल्कुल झूठ है।

आपने कहा कि पशुपालकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आपका यह कहना बिल्कुल असत्य है। वह बेरोजगार होता है, उसके पास धन्धे का अभाव होता है। आज उसके पास पशुओं के लिए चारा नहीं है, पशुओं के रखने के लिए स्थान नहीं है। उन्हें बैंक से लोन प्राप्त नहीं हो रहा है।

वृक्षारोपण के बारे में भी कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए लाखों रुपया लोगों का बेकार खर्च किया गया। कई जगह खड्डे खोदे गये लेकिन वहां पेड़ नहीं है, कई जगह खड्डे ही नहीं हैं। आपने अपने भाषण में कहा वहां पेड़ लग चुके हैं।

बिजली की दर 13 पैसे से 30 पैसे कर दी—उसमें केवल 2 नये पैसे घटा देने में कोई लाभ नहीं होता। उद्योग जैसे कोटा में हैं अन्य स्थानों पर है उनको 3 पैसे की दर से विद्युत दी जायेगी और किसान को 28 पैसे की दर से दी जायेगी। होना तो यह चाहिये कि किसान को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाय और उद्योगों से अधिक रेट ली जाय। बिजली है वहां कनेक्शन नहीं होते है, फ्यूज चला जाता है—जोड़ने वाला आता नहीं है और मोटर जल जाती है। 800–800 रुपये किसानों को उसे ठीक कराने में खर्च करने पड़ते है। किसानों के पास लाखों रुपये के बिजली के बिल आते हैं। एक किसान के पास 15,000 रुपये का बिल आया-पिछले महीनों का चढ़ाकर। इस प्रकार बढ़कर बिल आते हैं—उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज राजस्थान का किसान परेशान है—चार्जेज बढ़ जाने के कारण,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मीनिमम चार्जेज से अधिक बिल आने के कारण। बिल समय पर नहीं आते और निर्धारित दरों पर भी नहीं आते।

राजस्थान में खाद महंगा है, बीज महंगा है। गांवों वालों को अपनी चीज को बेचने के लिए, अपने उत्पादन को बेचने के लिए शहर आना पड़ता है लेकिन ऐसे हजारों गांव हैं जो शहरों से, सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सांगानेर के पास चले जाइये, कई गांव शहर से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस प्रकार गांवों में पानी की व्यवस्था है नहीं, अन्य चीजों की व्यवस्था है नहीं–जैसा कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के मार्फत निवेदन किया था।

झोटवाड़ा में 9 इन्जिनियरों को काम दिया गया–5 कारखाने खोले गये। इनमें 3 डायरेक्टर सरकार के होते हैं। सरकार को इनमें इन्जिनियरों को प्रोत्साहन देना चाहिये था। इन्जिनियरों को तीन तीन माह से वेतन नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े कारखाने जो इन्जिनियरों के नाम से लगाये गये उन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार बेचना चाहती है। झोटवाड़ा में यह हालत है। तो बेरोजगारी दूर हो गई, इन्जिनियरों को काम दे दिया–यह गलत बात है।

चिकित्सा के बारे में कहा गया इमर्जेन्सी काल में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। स्टेनलैस स्टील की थालियां आ गई हैं, बढ़िया भोजन परोसा जाता है। परन्तु आप हास्पिटल की व्यवस्था को देख लीजिये, भोजन की व्यवस्था को देख लीजिये, आज सारे का सारे सवाई मानसिंह अस्पताल जनाना अस्पताल की व्यवस्था को देख लीजिये। जनाना अस्पताल आप नया बनाने जा रहे थे, आज अधूरा पड़ा हुआ है, माननीय वित्त मंत्री जी ...

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): एस.एम.एस. की व्यवस्था खराब है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: जी हां, आज भी खराब है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय उपाध्यक्ष, मानसिंह अस्पताल इनको ही जाने दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपने कहा हमने बजट बढ़ा दिया। कहां गया बजट ? वहां बीमारों को दवाइयां नहीं मिलती। वह दवाइयां आपके काम आती होंगी, कांग्रेसी लोगों के काम आती होंगी। आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। लोग दुखी हैं। आप थोथी घोषणायें करते हैं जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है। यह चिकित्सा की व्यवस्था है। मुर्दाघाट पर जो मशीन पड़ी हुई थी, वह भी खराब है। एक्स-रे की मशीन खराब पड़ी है। लोगों को दवाइयां मिलती नहीं। लोगों को पट्टियां बाजार से लानी पड़ती हैं। ग्लूकोज बाजार से लाना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर शहर में कृषि भूमि में कई मकान बने हुए हैं। आज जिन लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बनाये हुए हैं उनके परिवर्तन की जो रेट होगी वह 30 रुपये और 15 रुपये तक होगी। क्या यही होने वाला है ? जब दिल्ली ने कन्वर्शन चार्जेज को माफ कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया तो आपको कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के कन्वर्शन चार्जेज को माफ करने की घोषणा करनी चाहिये थी। लेकिन घोषणा करना तो दूर, जो वहां बस्तियों में रह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिलता। वहां सार्वजनिक नल नहीं है। आप लोगों को मकान नहीं दे सकते। आवासीय बोर्ड मकान नहीं दे सकता। 1971 से आज तक 13 हजार एप्लीकेशन्स आज भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जिन लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बनाये हैं उनको डर है कभी उनके मकान नहीं टूट जायें। कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की जो रेट्स हैं उनको माफ किये जाने की घोषणा की जानी चाहिये थी। उनको नल के कनेक्शन किये जाने की घोषणा की जानी चाहिये थी। कच्ची बस्ती के लोगों को बसाये जाने के बारे में कहा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 109 कच्ची बस्तियों के लोग आज भी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जमीन अलाटमेंट की थोथी घोषणा की गई और राष्ट्रपति से वहीं पट्टे बंटवाये। मंत्री महोदय ने वही पट्टे बांटे। विधायक से वहीं पट्टे बंटवाये गये लेकिन आज भी कब्जे नहीं मिले।

न्याय भी आपने महंगा कर दिया। स्टाम्प्स में आपने जहां रुपये से कम था पूरे रुपये में परिवर्तन कर दिया। कहना तो बहुत आसान है। इससे न्याय महंगा होगा। आपने स्टाम्प्स की रेट्स बढ़ा दीं। मैं इसका विरोध करता हूं। लोगों को सस्ता न्याय मिलना चाहिये था, यूं ही न्याय महंगा है। आप कहते हैं हाई कोर्ट बेंच हम यहां ले आये। इसकी मांग हमने की, श्रेय आप ले जाना चाहते हैं। आपका हाई कोर्ट का भवन जो कृषि भवन है, उसमें और भी जो कोर्टस हैं वे ले जाइये। कृषि भवन के पास राजस्थान नहर का भवन है। कलेक्टरी को उसमें ले जाइये। सेक्रेटेरियट के पास विधान सभा भवन बन रहा है। यह सारे दफ्तर यहां पर होंगे। वहां आसपास जो और खाली जमीन पड़ी हुई है वहां पर दूसरे दफ्तर ले जाइये। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों के मकान बने हुए हैं उन्हें सरकार ने किराये पर ले रखा है यहां दफ्तर चलाते हैं। सरकार अपने मकान बनाये, आपने दफ्तर बनाये। उससे भी सुविधा मिल जायेगी। अपना भवन होगा तो सरकार का खर्चा घटेगा। इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। रोडवेज ने चेसिस खरीदी। बसों की बाडीज बनाने के लिये संजय गांधी को ठेका दिया गया। बसों के ऊपर मारुति लिखा हुआ है वह 45 हजार में बनी है। यहां डिपार्टमेंटली बनाते तो 35 हजार रुपये में बन जाती और सस्ती बनाने की कोशिश करते तो 32 हजार में बन जाती। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के सपूत संजय गांधी को प्रसन्न करने के लिये राजस्थान रोडवेज की बसेज पर बाडी बनाने का काम मारुति को दिया गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ। 2 करोड़ का नुकसान हुआ। 10 पर्सेंट सेल्स टैक्स मिलने वाला था उसका भी नुकसान हुआ।

इसी प्रकार से जेलों के सुधार के बारे में कहा गया है कि हमने श्रेणियां समाप्त कर दीं। 'ए' 'बी' 'सी' नहीं रहेगी। मंत्री लोग जेलों में जाते तो उनको 'ए' क्लास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिलेगी या नहीं, यह तो मालूम नहीं। लेकिन उनकी समझ में आ जायेगा जेल कांटों के समान लगती है। कहां बैठे थे कहां से कहां आ गये। जेलों के नाम पर, उनके सुधार के नाम पर अब घोषणा कर रहे है। इतने वर्षों तक क्या किया ? उनमें शौचालयों की अच्छी प्रकार से व्यवस्था नहीं। 6 बजे बन्द किया, सुबह 6 बजे निकालते हैं। अब सुधार करना चाहते हैं। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं वहां पढ़ने वाले लोग भी हैं, वहां डाक्टर्स इन्जीनियर्स भी हैं उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था के लिये कौन से बैरिक्स में रखा जायेगा, यह घोषणा नहीं की है। 19 महीने जेल के अंदर रहने के बाद यह सारा हमें अनुभव हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चाहे कृषक हों, चाहे कच्ची बस्ती के रहने वाले लोग हो, सभी दुखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिकाओं को अनुदान देने वाली बात कही गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नगरपालिका का टैक्स, मनोरंजन कर आपको वसूल करने का कौन सा अधिकार है........

श्री दीपंकर : राजमन्दिर में जो घोटाला हुआ है वह भी बतायें। राज मन्दिर की जो कुर्सियां हैं उसमें जो टैक्स की चोरी हुई है, उसमें आपके आदमी का हाथ है उसको भी बताइये।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि आप यह सिद्ध कर दें कि राजमन्दिर में कुर्सियों के मामले में टैक्स की चोरी हुई है और मेरे आदमी का हाथ है तो जो भी सजा आप यहां सदन में मुकर्रर करेंगे, चाहे विधान सभा से इस्तीफा भी देने वाली बात हो, उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार से आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, सप्रमाण आप आरोप लगाइये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना है ..

श्री केदारनाथ : वे तो आपको डिबेट से डेवियेट करने के लिये कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मनोरंजन कर वसूल करने का म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार है। यहां पर पहिले 3 सिनेमा थे अब 9-9 सिनेमा हॉल हैं। मनोरंजन कर आप ले रहे हैं। चार चार शो चलते हैं हर शो के टैक्स का पैसा आप ले रहे हैं। राजस्थान नगर पालिकाओं के सम्मेलन में यह बात तय हुई थी कि सारा का सारा मनोरंजन कर का पैसा नगरपालिका को मिलना चाहिये। वित्त मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, होना तो यह चाहिये था कि अपने बजट भाषण में रियायत देने वाली घोषणा आप करते कि नगरपालिकाओं को पूरा पूरा मनोरंजन कर मेरी ओर से देकर जाता हूं। इससे सड़कें भी बन जाती, प्रकाश की भी व्यवस्था हो जाती, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाती लेकिन आपने नगरपालिकाओं को पंगु बना कर रख दिया है। रबड़ के पाइपों की हालत आज खराब हो रही है, वे मिट्टी में दबे हुए पड़े हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चुनाव में आपने नगरपालिकाओं के प्रशासकों का दुरुपयोग किया है अतः मेरा निवेदन है कि आप कार्पोरेशन बनायें····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

अन्त में, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं सारी की सारी थोथी घोषणाएं बन्द करें। छात्र जगत में जो असन्तोष है, उसको दूर करें। आज हजारों छात्रों को कह दिया गया कि तुम परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो, तुमने गलत फार्म भरे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि गलत फार्म भरे गये हैं तो उनको दुरुस्त किया जाना चाहिये। आज आपको सम्पूर्ण राजस्थान की जनता धिक्कार रही है, दुत्कार रही है। आज उसी का परिणाम है कि 25 लोक सभा की सीटों में से 24 सीटों में आपकी बुरी तरह हार हुई है। इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं खेतसिंह जी से, मैं पूछना चाहता हूं बनवारीलाल जी से कि क्या दिखाने को इस्तीफा दिया था जिसको वापिस ले लिया? इस प्रकार आज आप कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं, कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता में कांग्रेस के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा है, कांग्रेस को जनता ने बुरी तरह हरा दिया है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी को मांग करनी चाहिए थी कि विधान सभा भंग हो और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये नये चुनाव की घोषणा हो। आज सारी जनता जानती है कि वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का बजट भाषण दिया है। आज के पहले तक राजस्थान की सरकार को किसने रोका था? यह केवल आपकी चुनावी घोषणायें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने सारी थोथी घोषणायें की हैं। अगर इनको अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो पहले पहनाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी बड़ी रकमें राज्यपाल महोदय को प्रदान करने हेतु लेखानुदान बिल के जरिये चाही गई है। मैं सारे बजट भाषण को पढ़ने के बाद ही हर मुकम्मिल तौर पर बोलने के लायक हो सकूंगा लेकिन आज कुछ चन्द बातें कह देना चाहता हूं। देश को तरक्की के रास्ते बढ़ाना है तो वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी की तरफ सबसे पहले ध्यान देना होगा। इसके लिये समाज के दो वर्ग उत्तरदायी रहते हैं—पहला किसान और दूसरा मजदूर। किसी बजट को अच्छा हम तभी कह सकते हैं जब इस केन्द्र के दो बिन्दु किसान और मजदूरों के लिये उसमें कल्याणकारी घोषणायें की जायं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, इधर उधर से उन बातों से मैंने महसूस किया है कि किसान के लिये एक सिर्फ छोटी सी राहत बख्शी है कि तम्बाकू और पोस्त के बीज को छोड़कर प्रत्येक वाणिज्यिक फसल के क्षेत्रफल में से आधा एकड़ भूमि को सेस से मुक्त कर दिया गया है। वास्तव में जिस देश में किसान खुशहाल नहीं हैं, उस देश में अनाज की वृद्धि कभी नहीं हो सकती है।

(श्री मोहरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक कांग्रेस ने 30 वर्षों में अपने प्रदेश के बाहर से अरबों रुपयों का अनाज मंगवाया है लेकिन किसानों की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। अगर इतनी राशि किसानों की खुशहाली में लगाते तो देश में अन्न का भण्डार बन जाता। किसान को अच्छी तरह विकसित करने के लिये, उन्हें राहत पहुँचाने के लिये, उन्हें सब्सीडाइज करने के लिये पैसा खर्च करते तो आज देश की समस्या हल होती। मेरा निवेदन है कि आइन्दा हमारे बजट में इस प्रकार का समावेश करना चाहिये कि हम हर तरह से किसान की तरक्की कर सकें ताकि अनाज का प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन मैं देख रहा हूं चाहे नहर के पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे ट्यूब वैल्स का सवाल हो और चाहे किसान की और ज्यादा तरक्की के लिये उसके उत्पादन को शहर तक पहुंचाने का सवाल हो, हम किसी में कामयाब नहीं हो पाये हैं। सबसे पहली चीज है अनाज का उत्पादन। देश में अनाज का अहम प्रश्न है। इसके लिये सबसे पहले इरिगेशन का साधन होना चाहिए। राजस्थान केनाल पर अरबों-खरबों रुपया खर्च किया है लेकिन फिर भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह देश का सबसे अहम प्रश्न है, इस पर ध्यान देना चाहिये। सिंचाई व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाय, ट्यूब वैल्स अधिक से अधिक खोदे जायं – इन सब बातों के लिये मुझे निवेदन करना है कि हमारी सरकार किसान को नेगलेक्ट कर रही है। किसान आज भी 150 हाथ जमीन के नीचे से पानी खींचकर सिंचाई करता है, उस ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिये। हम उस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांवों में पानी काफी है लेकिन 100 हाथ नीचे, 60 हाथ नीचे पानी है तो उसको निकालने के लिये अच्छे साधन होने चाहिये। इस प्रकार की स्थिति में एक एक दिन निकालना किसान के लिये मुश्किल हो रहा है। आज किसी तरह जमीन से पानी अच्छे साधन द्वारा निकाल सकें ताकि किसान अनाज पैदा करके अपने बच्चों का पालन कर सके, और देश के उत्पादन में ज्यादा भागीदार बन सके, इसके लिये मैं समझता हूं एक सब्सीडाइज्ड नीति सरकार को किसान के लिये अपनानी चाहिये। जहां पानी से जमीन में खार बन जाता है उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह काश्त करनी पड़ती है ताकि दो साल में वह जमीन फिर ठीक हो जाय—इस तरह की खेती करनी पड़ती है और 100 हाथ नीचे से पानी निकालना पड़ता है। वहां उसको सब्सीडाइज करना चाहिये। इधर-उधर से अनाज मंगाने में तो हम अरबों रुपया खर्च करते हैं लेकिन किसान की माली हालत सुधारने में हम व्यय नहीं करते हैं।

मैंने सदन में बार बार निवेदन किया है और आपने भी कई बार घोषणायें की हैं कि ढाई हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। हम आज तक इस चीज को भी पूरा नहीं कर पाये हैं। कभी कहते हैं डेढ़ हजार की जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ेंगे और कभी कहते हैं ढाई हजार की जनसंख्या वाले गांव को जोड़ेंगे। अगर हम इस बात की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा किसान प्रगतिशील होगा और उसको प्रोत्साहन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं, यह

(श्री मोहरसिंह)

किसान का देश है और दूसरा जो मजदूर है वह भी समाज का एक प्रमुख अंग है। उसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। यहां बार बार यह कहा गया कि मजदूर हड़ताल करता था, मजदूर काम को रोक देता था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उत्पादन और इसके विक्रय का जो तरीका है इसमें क्या आपने यहां तय किया है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाय और उत्पादन का जो फायदा है, मुनाफा है वह वहां डिवाइड हो? हमारी नीति केपेटेलिस्टिक नीति से भरी हुई है और नारा समाजवाद का देना चाह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछ लेना चाहता हूं कि बाईस महीनों के अन्दर क्या बड़े बड़े सेठों के मुनाफे में वृद्धि नहीं हुई? उसमें से मजदूरों को कितना हिस्सा मिला? कहने के लिए कहा गया कि मिलों के अन्दर मजदूरों का शेयर रखा जावेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित किया जायेगा लेकिन उत्पादन बढ़ने से मजदूरों को कितना शेयर वितरित किया गया? मुनाफा गया बिड़ला के पास, टाटा, डालमिया किर्लोस्कर, साहू जैन के पास जो करोड़पति से अरबपति बन गए। उनका मुनाफा बढ़ा लेकिन मजदूरों को क्या मिला? मजदूरों को धता बता दी। इस नजरिये को बदलना पड़ेगा। मैं आपको साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि मैंने सुबह भी एडजोर्नमेंट मोशन दिया था लेकिन मुझे बोलने की इजाजत नहीं मिली, अब मैं वित्त मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर को 24 तारीख को पत्र दिया कि जयपुर शहर के मजदूर, करीब तीस हजार मजदूर सीटू के तहत एक तारीख को विधान सभा के आगे प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह प्रदर्शन रखने का प्रोग्राम बनाया था और यह तय किया था कि विधान सभा चलेंगे और अपनी डिमाण्ड रखेंगे। मुख्य मंत्री को 24 तारीख को ही पत्र दे दिया था कि जुलूस निकालेंगे। आज बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की समस्या है। केन्द्र की नई सरकार का भी सपना है कि देश के अन्दर दस वर्ष में किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यह उनका सुन्दर सपना है लेकिन हमारे प्रान्त की सरकार ने किसी प्रकार का लोगों को रोजगार देने का वायदा नहीं किया है। वित्त मंत्री ने आज सुबह जो बजट रखा उसको मैं पढ़ नहीं पाया हूं लेकिन आपने जो कुछ रखा भी होगा वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। जब हम रोज कहते हैं कि यह समाजवादी सरकार है तो इससे लोग मांग करते हैं कि रोजगार दिया जावे तो या तो लोगों को रोजगार दिया जावे या अपने आपको समाजवादी कहना छोड़ दें। आपको इस ओर कदम उठाना पड़ेगा और एक आदमी को रोजगार देना पड़ेगा। भूमिहीन जो बेरोजगार हैं, जो अर्द्ध रोजगार मजदूर हैं, जो छोड़े हुए मजदूर हैं, इन सबकी लायबिलिटी बरदाश्त करनी पड़ेगी। आप अपने आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। अगर सबको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता तो दें। अगर लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, उनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे सकते तो अपने आपको सोशलिस्ट नाम देना छोड़ दें। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए मजदूरों ने 1 तारीख को प्रोग्राम रखा था और 21 तारीख को चीफ मिनिस्टर को पत्र लिख दिया था। उनकी मुख्य रूप से चार मांगें हैं। एक तो मैंने बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात कही है, दूसरी है

(श्री मोहरसिंह)

जिन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है 22 महीनों के दौरान में, किसी को मीसा में बन्द किया गया, किसी को डी. श्राइ. श्रार. में बन्द किया गया श्रौर उनको नौकरी से निकाल दिया। उनके बाद में मजदूरों को तो नौकरी से निकाल दिया लेकिन बड़े बड़े सेठों को, मिल मालिकों को, प्रबन्धकों को यह नहीं कहा गया कि देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजदूरों को राहत दी जाय मजदूरों को फलां तारीख तक रोजगार लेना पड़ेगा। इसलिए उनकी चार मांगें हैं जो मैं वित्त मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री भी जिम्मेदार हैं हमारी गवर्नमेंट के। उनकी मांग है कि श्रापातकालीन स्थिति के श्रन्दर जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है उनको वापस लो। व्यवस्थापकों पर जोर देकर उनको नौकरी दिलाश्रो। दूसरी उनकी मांग है कि इमर्जेन्सी के दौरान श्रमिकों के विरुद्ध जो मुकदमें बनाए गए हैं चाहे मीसा के हों, चाहे डी. श्राई. श्रार. के हों, धारा 107 के हों, इन सब में जो भी मुकद्दमें बनाए गये हैं उनको वापस लिया जावे। तीसरी मांग यह है कि श्रापातकाल में जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, मजदूरों को थानों में बन्द किया गया, बिजली के करेंट लगाये गये, जगह जगह लोगों को परेशान किया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकद्दमे बनाए गए उन सबको समाप्त किया जाय। श्रौर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय। इसी तरह से चौथी मांग यह है कि जो ट्रेड यूनियन्स की मान्यताएं समाप्त की गईं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया उनको रेस्टोर किया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेजरी बैंचेज श्रौर खास कर मुख्य मंत्री श्रौर वित्त मंत्री महोदय को श्रर्ज कर देना चाहता हूं कि श्रापातकाल का दौर गुजर गया, श्रब जो समाज के प्रमुख श्रंग मजदूर श्रौर किसान हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते श्रौर न ही करना चाहिये। हमारे देश का उत्पादन बढ़ाना है तो मजदूरों को सन्तुष्ट रखना चाहिए श्रौर उनको सन्तुष्ट रखना पड़ेगा। उनका बोनस बढ़ाना पड़ेगा। मजदूरों को हर तरह की फॅसेलिटीज मुहैय्या करानी पड़ेगी। श्रगर इनका गला घोंट कर सेठों को करोड़पति से श्ररबपति बनाते रहे तो मेरा देश श्रागे नहीं बढ़ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाना है तो सेठों को खुश कर किसान श्रौर मजदूर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे श्रौर न ही करना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्रगर ये सन्तुष्ट नहीं रहे तो उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। यह मोटे तौर पर मैंने श्रापसे निवेदन किया है श्रौर जब बजट पर विचार होगा तो विस्तार से निवेदन करूंगा श्रौर श्रापके सामने सही स्थिति रखूंगा कि इस प्रकार से श्रापको प्रावधान करना चाहिये। श्रापको यह रिजिडिटी नहीं रखनी चाहिये कि जो लिख दिया वह लिख दिया। देश के श्रन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के साथ न्याय करना पड़ेगा, मजदूरों के साथ न्याय करना पड़ेगा। श्राज सुबह ही मैं इस बारे में एक एडजोर्नमेंट मोशन रखना चाहता था लेकिन श्रध्यक्ष महोदय ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने श्रच्छी तरह से श्रापके सामने सारी स्थिति रख दी है। श्रगर हमारे मुख्य मंत्री इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे श्रौर उनके साथ वित्त मंत्री चन्दनमल जी

(श्री मोहरसिंह)

बंद भी ध्यान नहीं देंगे तो एक तारीख को तो जयपुर में मजदूरों का आन्दोलन होगा, उसके बाद सारे राजस्थान में आन्दोलन होगा और उसके बाद पता नहीं आगे जाकर कितनी हड़तालें और बन्द होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो हमारी नीति है, हम अपने आपको सोशलिस्ट, समाजवादी कहते हैं तो उसके नक्शे कदम पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को, मजदूरों को हर हालत में राहत देनी पड़ेगी, आराम देना पड़ेगा, फैसेलिटी देनी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता कि मजदूर किसान भरपूर उत्पादन तो करता रहे लेकिन उसका पेट पाताल में चला जाय और सेठों का पेट इतना बड़ा हो जाय।......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मोहरसिंह : इन शब्दों के साथ मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ में जो अभी तक अत्याचार किये गये हैं उनको दुरुस्त किया जाय और सेठों को कान पकड़ कर समझा दिया जाय कि तुमको मजदूरों को वापस लेना पड़ेगा। उनको वापस लो और उनको आराम दो और तभी सबको आराम दे सकोगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं। कोई लम्बी चौड़ी तकरीर की आवश्यकता नहीं है। यह जो आज हमने कुछ मंजूरियां हासिल की हैं और जो इन्टरिम बजट मंजूर कर आया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि जो बजट रखा गया है उस बजट के बारे में जब बहस होगी तब सोचा जायेगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस में बहुत से सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही आज जो पोजीशन है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि है जो गलतियां पिछले कुछ महीनों में हमने की, जिन कठिनाइयों से किसानों और मजदूरों को गुजरना पड़ा, उन कठिनाइयों की वजह से और मजदूरों के एतराज की वजह से आपने यह देखा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ और जो तीस साल से मुतवातिर हुकूमत चल रही थी उस हुकूमत को देश ने बदल दिया। हमने जनता के उस वर्डिक्ट को, उस फैसले को बहुत समझा और उसका अध्ययन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब कभी भी प्रजातंत्र के उपर कोई प्रहार होता है, हमला होता है, देश उस वक्त अपने आप उभरता है और उसमें जो परिवर्तन आता है वह कहीं पर रक्त से आता है और कहीं पर रक्तहीन आता है। यहां हिन्दुस्तान की अच्छी परम्परा रही। यहां एक रक्तहीन परिवर्तन आया लेकिन यह इसलिए नहीं आया कि जो लोग हुकुमत में आए उनका कोई प्रोग्राम था, उनकी कोई नीतियां थीं या उनकी सफलतायें थीं जिसके आधार पर यह परिवर्तन आया बल्कि एक बगावत की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

शक्ल में आया। जो हमारी हुकूमत की गलतियां थीं उसके कारण लोगों में रोष था। उस रोष को उन्होंने प्रकट किया। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह मुस्तकिल चीज है यह मुस्तकिल नहीं है।

आज माननीय सदस्य श्री छंगाणी ने अपना एक बयान इस सदन में पढ़ा। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं कि उस बयान के तथ्यों के अन्दर कितना सार है। पर मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलतियां हो रही थीं, उनमें न सिर्फ श्री छंगाणी बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे जो आज भी गवर्नमेंट के अन्दर बैठे हुए हैं। वे स्वयं इसको महसूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने इसको कहने का साहस नहीं किया और न इन गलतियों को बताकर समझाया, और न उनकी तरफ से हुकूमत का, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया गया। असल में वे भी उसको दोहराते रहे। यह किसी दहशत से या किसी डर से उन्होंने किया। तो मैं यह कहना चाहूंगा वे दोस्त नहीं थे उस कांग्रेस के, इन्दिरा गांधी के बल्कि दुश्मन थे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले 9 महीने में आपातकालीन स्थिति लागू करने का औचित्य था लेकिन उसके बाद उसकी जरूरत खत्म हो गई थी। वक्ता फवक्तन यह बताया गया कि एक-दो शक्तियों को अवैधानिक तरीके से उभारा गया था। एक पावर बनायी जा रही थी जो हमारे प्रजातन्त्र के असूलों के विरुद्ध थी। इसलिए यह जरूरी था कि हम उसकी रोकथाम करते। यह छंगाणी साहब का फर्ज था कि वे उसको जाहिर करते पहले ही, परन्तु इसको जाहिर करते हुए हमारे लोग डरते थे यही डर बहुत से दिलों में भी था उन्होंने महज कमजोरी के कारण उस चीज को आगे लाने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि जितनी प्रगतिशील नीतियां लागू हो रही थीं, उनको नुकशान पहुंचा। आज जो मिला जुला मोर्चा बना है, वह प्रगतिशील नीतियों को नहीं चला सकेगा। उसमें एक किस्म के लोग नहीं है। आज भी उन्होंने यह फैसला नहीं किया है कि वे चारों मिल कर एक पार्टी के रूप में काम करेंगे। वैसे जनता पार्टी के नाम पर वे काम कर रहे हैं परन्तु उन्होंने अपने दल को खतम नहीं किया है। मैं आपको यह बता दूं आर.एस.एस. पर से आपने पाबन्दी हटा दी तो उन्होने प्रदर्शन करने शुरू कर दिये। दौसा के लोग मेरे पास आये उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर आर. एस. एस. के लोग नंगी तलवारें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे माइनोरिटी कम्युनिटीज में दहशत पैदा हो गई है। आज वे डर गए हैं। तो गवर्नमेंट को बहरहाल सतर्क रहना है। जो केन्द्र में नयी हुकूमत आयी है उसने जो एक दो काम किए हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। रेलवे हड़ताल के दौरान जो लोग हटाए गये थे, उनको वापिस लेने का फैसला किया गया है। उनको वापिस लिया जायगा, यह सराहनीय कदम है। इसी तरह से उन्होंने जो दूसरा काम किया है वह बोनस के बारे में है। उन्होंने यह कहा है कि वे इसको डेफर्ड वेजेज ट्रीट करेंगे। यह एक अच्छा कदम है। उनके इस फैसले में हम भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब भी जितना वक्त हमारे पास में है, उसमें हमें यह सोचना है कि जो गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा जाय। मैं इसको कोई मुश्किल काम नहीं समझता हूं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैं नहीं मानता कि गलतियों को सुधारना कोई कठिन काम होगा । तूफान आया और वह चला गया । इसका कोई मुस्तिकल असर नहीं रहने वाला है । यह मेरी मान्यता है ।

आज जो जनता पार्टी में लोग बैठे हैं, वे भी सोशलिज्म की बात करते हैं, चाहे पहले वे सोशलिस्ट्स के दुश्मन रहे हों । वे भी सोशलिज्म का नाम लेने लगे हैं । इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वे सोशलिज्म के लिए कदम उठावें । हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की सरकार को कहें, कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उनको भी और आपको भी यह कोशिश करनी चाहिये कि उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, उनसे किसान को, मजदूर को और मध्यम वर्ग को राहत मिले । मसलन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के यहां इस साल बम्पर क्राप हुई है तो कल भाव गिरेंगे । तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि किसानों को रेमुनेरेटिव प्राइस मिले । अगर गल्ले के भाव गिरते हैं तो किसान का गल्ला खरीदने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये । यह आपका कर्त्तव्य हो जाता है । 105/-110/- रुपये क्विंटल से ज्यादा कीमत पर गल्ला किसान को पड़ता है । इससे ज्यादा गल्ले पर किसान को सर्फ करना पड़ता है । तो किसान को इससे बचाने के लिए कदम उठाना आपके लिये जरूरी है । आप गल्ले को कीमत कायम करके यह देखें कि उसको सही कीमत मिले और गल्ले को खरीदने की आप तैयारी करें । आज आपके पास भी गल्ला भरा पड़ा है । किसान को राहत देना आपका फर्ज है । जिनको सीलिंग से फायदा होना चाहिये, आज तक फायदा उनको नहीं हुआ है । जिन किसानों को जमीन का कब्जा दे दिया है, वे वहां पर काबिज नहीं हो पाये हैं । इसके लिए आपको स्पेशल मशीनरी बनाने के बारे में तय करना चाहिए और यह देखना चाहिये कि जिनको जमीन दी गई है, वे किसान उस जमीन पर काबिज हों, और जो दूसरे आदमी वहां पर काबिज हो गये हैं, उनको हटाया जाये । जो भूमिहीन हैं, उनको वहां पर बसाया जाये । सीलिंग कानून को सख्ती से लागू किया जाये ।

दूसरी चीज यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंजाब और हरियाणा के खुशहाल किसानों के आधार पर बिजली की रेट्स तय करते हैं यह आपका आधार गलत है । इसके बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका सही आधार नहीं है । राजस्थान का किसान पिछड़ा हुआ है । तो बिजली की दर के बारे में भी हमको इस तरह से सोचना होगा । आपने बहुत से कामों पर, शिक्षा की मद पर, चिकित्सा की मद पर, सामाजिक सेवाओं पर बड़ी रकम खर्च करने का प्राविजन किया है तो आपका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि किसानों को जो बिजली मिले, वह सस्ती मिले और ऐसी मिले जिससे कि वे खेती आसानी से कर सकें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में काम के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिये । हमने जो गलतियां की हैं, वे दुबारा न दोहराई जावें ताकि हम जनता के सामने जाने के काबिल हो सकें । इन गलतियों को आप छोड़ दें जैसे फैमिली प्लानिंग आपने छोड़ दिया, इसके लिए मैं

Page No.72

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु इस प्रोग्राम से जो दुखी हुए हैं, आहत हुए हैं, उनको हमें आज देखना होगा। जो डिसएबल्ड हैं, उनके लिए आपने पेन्शन का प्राविजन किया है। मेरा निवेदन है कि जो बीमार हो गये हैं इस प्रोग्राम से उनका इलाज कराया जाये, जो अपंग हो गये हैं, उनको दस पन्द्रह हजार का मुआवजा दिया जाये। उनको यह विश्वास दिलाया जाए कि उनका माकूल इलाज होगा। इसी तरह मजदूर लोग भी इस दौरान संकट से गुजरे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। कई उद्योगों में तालाबन्दियां हो गईं, मजदूरों की छंटनी की गई और कई कारखानें बन्द पड़े हैं। गवर्नमेंट को यह देखना है कि मजदूर लोग वापिस काम पर लगें। कई कारखानों में स्ट्राइक चल रही है। ले ऑफ चल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को मजदूरों के हितों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पूरी तवज्जह देनी चाहिये।

बजट में बहुत सी चीजें रखी गई हैं। इसमें ऐसी भी चीजें आपने रखी हैं जिनसे लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। नये अस्पताल वगैरह खोलेंगे। परन्तु और भी जो लोग बेरोजगार है, उनके बारे में आपने कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिये हैं। उनके लिए भी आप स्कीम बनाइये और अपना माइंड एप्लाय कीजिये।

मेरा निवेदन है कि अब यह वक्त आ गया है, कि आप काम करें। जो लोग अपोजीशन के हैं, वे इस बात के इन्तजार में बैठे हैं, जैसे मरे मुर्दे को देखते ही पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं, उसी इन्तजार में अपोजीशन आज यहां पर बैठा हुआ है और वे इस सरकार के टूटने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, ऐसे वक्त का इन्तजार करते हैं, वे जमहूरियत की परम्पराओं के विरुद्ध बात करते हैं। हमारे जो आज प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने यह फर्माया है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट को गिराने वाला नहीं हूं। लेकिन आज उनके जो अनुयायी यहां पर बैठे हुए हैं, वे इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि यह उनको शोभा नहीं देता है। वे यह इन्तजार कर रहे हैं कि कब हुकूमत टूटेगी और कब वे कुर्सी पर बैठेंगे। यह गलत है। जो आपने गलतियां की हैं, उनको सुधारें और जनता की भलाई के लिए सही कदम उठावें। इस तरह के आप अभियान चलावें और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अपने तौर तरीके डेमोक्रेटिक तरीके के बनावें और यूनिटी को कायम रखें। ऐसी कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं करें जिससे जमहूरियत का तख्त बिखर जावे, जमहूरियत की ताकत बिखर जाती है तो आपने देखा कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने देखा है, मोहन छंगाणी ने कहा है फिरकेवाराना झगड़े पैदा होने की सूरतें पैदा हो गईं। जहां जहां समाजवाद को मानने वाले हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं प्रो० केदार कहीं भी हों वह समाजवाद के पक्के मानने वाले हैं। अगर जनता पार्टी की ओर से जनतन्त्र पर हमला होगा तो वह उससे भी लड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बस अब खत्म करता हूं।

हम में कुर्बानी का बल होना चाहिए। जितना भी पीरियड हमें मिलता है उसमें किसानों और मजदूरों और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पुराने और मंझे हुए लोगों के द्वारा प्रजातन्त्र को रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए।

घोषणा

श्री लक्ष्मीनारायण, विधान सभा सदस्य द्वारा दल परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष : दल परिवर्तन की घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री लक्ष्मीनारायण, सदस्य विधान सभा जनता पार्टी विधायक दल में सम्मिलित हो गये हैं।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर अग्रेतर वादविवाद

श्री ओंकारलाल चौहान।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंटरिम बजट पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में रेग्यूलर बहस होगी तब अपने विचार प्रकट करूंगा। फिर भी मैं निवेदन करूंगा यह बजट जो पेश किया गया है, यह बहुत ही सोच समझ कर आज की स्थिति को देख कर पेश किया गया है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज यह चीज देखने की है, जिस चीज को कोई रूप दिया जाता है तो उसमें यह देखना पड़ता है, आया वह कहां तक ठीक है या नहीं। आज देश में सबसे बड़ा वर्ग काश्तकार वर्ग है। वह अकसरियत में है। बहुतायत में हैं। मैं यह कह सकता हूं कि उस वर्ग को काफी राहत मिल गई है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वित्त मन्त्री ने 80% राहत दी है। यहां तक कि उन्होंने आधा एकड़ को कर मुक्त किया है। यह प्रावधान काश्तकारों को राहत पहुंचाने वाला है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो बात कर रहे थे जनता पार्टी के हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य श्री भार्गव साहब कि कुर्सी छोड़ कर विपक्ष में बैठ जाना चाहिए। इस तरह की बातें वह कह रहे थे। मतलब हमें विरोध में आ जाना चाहिए। जनतन्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह हवा बनी, और वह हवा बनायें कि हम विरोधी पक्ष में बैठे तो जनतन्त्र में तो यह होता ही है। लेकिन आज यह कल्पना करना विशफुल थिंकिग है जिसके माध्यम से वह यह बात कहना चाहते हैं। हो सकता है, आगे चल कर यह हो। डेमोक्रेटिक ढंग से एक चीज हमारे सामने आई है तो जनता की आकांक्षा के अनुकूल हम कैसे काम करें।

जनता का जो पिछड़ा वर्ग है, वह काश्तकार है यह बहुत साफ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने बहुत प्रगतिशील कदम उठाया है। आज कृषि पर देश की प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है इसलिए यह बजट प्रगति का सूचक है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेलों के अन्दर सुधार करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वह काफी प्रगतिशील कदम हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर वहां किसी प्रकार का भेदभाव है तो वह नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के कदम उठाए जाएं कि जेलों में रिफार्म किया जाए।

एजूकेशन के बारे में भी काफी कदम उठाए गए हैं। जितने भी कदम उठाए गए हैं, वह सराहनीय हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि सिचाई योजना की दृष्टि से राजस्थान का सर्वे कराया जाना चाहिए जैसा कि अन्य योजना के लिए सर्वे किया गया है। छोटी छोटी नदियां और जो तालाब हैं उनका सर्वे किया जाकर उपयोग किया जावे। जो नदियां हैं, तालाब हैं, वह राजस्थान में बहुत हैं उनका उपयोग किया जाय। जिससे कि देश का उत्पादन बढ़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मद में कुछ रुपया बढ़ा है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। एक कमेटी भी बिठाई है जो विचार कर रही है लेकिन जो कमेटी विचार कर रही है, वह काफी समय लगायेगी। इस तरह से जनता को राहत मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पाती है। जनता को राहत मिले यह भी आवश्यक है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के लिए इन्स्टीट्यूशन हैं, उसी प्रकार से सबोर्डिनेट सर्विसेज के लिए भी होनी चाहिए। जोधपुर ऐसी जगह है, जहां पर ऐसी इन्स्टीट्यूशन खोल सकें तो खोलनी चाहिये। अगर वहां खुल जाती है तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी।

आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के तबके के लोग उठा नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी एजूकेशन अधूरी रह जाती है। अगर उनको उठाना चाहते हैं तो उनकी एजूकेशन पूरी हो, यह भी एक हमारा काम हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेटेड अनएम्पलायमेंट की आज यह स्थिति है कि एजूकेशन अनएम्पलायमेंट बढ़ती जा रहा है इसके लिए कोई कारगर कदम उठाना चाहिये जिससे इसकी बढ़ोत्तरी कम हो और लोगों को राहत मिले। पढ़े लिखे लोगों को मार्ग-दर्शन मिले और वह प्रोपर्ली चैनलाइज हो तो मैं समझता हूं जो लोग दिशाविहीन हो जाते हैं वह नहीं होंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि युवा शक्ति का सही तरीके से संचालन हो तो वे देश के हित में काम कर सकेंगे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि रोड्स का खराब हाल है, लिंक रोड्स नहीं हैं। अगर इस ओर ध्यान दें तो अवश्य ही हम राजस्थान की प्रगति कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार को कि जो भी चीजें की हैं, ठीक हैं, एक कृषक की दृष्टि से भी ठीक हैं, सामान्य दृष्टि से भी ठीक हैं और आम जनता की दृष्टि से भी ठीक हैं लेकिन जो कमियां हैं इम्पलीमेन्टेशन में उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कम्पलसरी रिटायरमेंट का प्रश्न आता है, इसमें बहुत से लोगों के साथ ज्यादतियां हुई है, कान्फीडेन्शल रिपोर्ट के ऊपर लोगों को आपने रिटायर कर दिया है। कहीं पर अगर किसी से आफिसर की नाराजगी हुई, तो उसने उसकी सी. आर. बिगाड़ दी उसके कारण आपने उसको रिटायर कर दिया। इस तरह की कार्यवाही में लोगों के मन में यह भावना पैदा होती है कि उनको तंग किया जा रहा है और उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। इस तरह से सर्विसेज के माध्यम से जो देश हित होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसी जो चीजें जनहित में नहीं हैं, देश हित में नहीं हैं और लोक कल्याण की दृष्टि से ठीक नहीं है उन की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुरदयाल सिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को किसान विरोधी बजट मानता हूं। जितने किसानों को तोहफे इस इमर्जेन्सी के समय में मिले उनको यदि आज इस बजट के जरिये हटा दिया जाता तो मैं मानता कि यह बजट अच्छा है किसानों के लिए, भूमिहीनों के लिए। लेकिन जमीन की कीमत जो 17000 थी वह पिछले वर्ष साढे उन्नीस हजार कर दी गई और उस पर खर्चा लगाकर पचास हजार तक एक मुरब्बा की कीमत चली गई। आज अगर इस बजट में यह कीमत कम की जाती तो मैं यह मानता कि किसानों के लिए यह अच्छा बजट है। इसके अलावा किसानों की पिछले साल में इमर्जेन्सी के समय में बिजली की रेट बराबर बढ़ाई गई, इरिगेशन रेट्स बढ़ाई गई। इस बजट के अन्दर मोतीराम कमीशन का उल्लेख भी नहीं किया गया है और सरकार ने कभी भी विश्वास नही दिलाया कि आज से सात साल पहले जो सरकार ने हमारे साथ वायदे किये और 25 मार्च, 1970 को खड़े होकर इस सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हम मोतीराम कमीशन कायम करेंगे और वह अपनी रिपोर्ट तीन महीने में देगा। इसने जो रिपोर्ट दी उसको लागू करने के लिए हमने बार बार मांग की परन्तु उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। आज हालत यह है कि अब उसकी पहले जैसी हालत नहीं रही है और समय आने वाला है कि वह बिल्कुल टूट जायगी और यह सरकार उसको वापिस बना नहीं पायेगी। तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह बजट जो है किसानों के हित का बजट नहीं है। सिर्फ तीन रुपया कामर्शियल क्रॉप्स में रियायत देने से यह कह देना सही नहीं है कि किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है यह इस बजट से जाहिर है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसी से किसानों को आप राहत पहुंचाना चाहते है तो इस महरबानी की जरूरत नहीं है। मैं थोड़े शब्दों में सरकार से यह अर्ज करूंगा कि यह किसानों के हित का बजट नहीं है।

सड़कों का सवाल आता है तो उसकी भी वही हालत है। दो-तीन चार साल पहले इसी सदन में एक कुलदीपसिंह नाम के आदमी का जिक्र किया गया था, दो दफा उसने रेट्स को बढ़ाया और वह उसको वसूल करता रहा। केन्द्र सरकार के सामने भी उसका मामला गया और वह इस सदन में भी आया। उसकी जांच को गई तो

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

उसका चार लाख का सामान कुर्क किया गया और 18 लाख उसके जिम्मे और बकाया थे। आज जो मौजूदा चीफ इन्जिनियर है वह उस मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं। उस कुलदीपसिंह द्वारा 1973 में एक पुल बनाया गया जो अनूपगढ़ रायसिहनगर सड़क पर है, वह पुल 1975 में टूट गया और 1976 में दुबारा टूट गया। उसकी जांच भी नहीं की गई कि यह बार-बार क्यों टूट रहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह इस ओर कोई ध्यान नहीं दिलाता। जो रोड्स में इतने बड़े घोटाले हुए हैं उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है। आज गंगानगर जिले की सड़कों की हालत यह है कि कई स्थानों पर तो सड़कों का नाम भी नहीं है, कच्चे रास्तों से लोग आते जाते हैं। इस तरह की हालत है, वहां सड़कें नहीं हैं। पदमपुरा बिड़जो सड़क आज से दस साल पहले सैंक्शन हुई थी, दस किलो मीटर तक उसका सोलिंग हो चुका है, उसको भी उखाड़ दिया और साइड में चलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। वहां पर कोई सड़क नहीं बन रही है। सड़कों का सारा मैटेरियल नष्ट हो रहा है। कोई सड़क हमारे इलाके में नहीं बनाई और सड़कों का जो धन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

यह भी कहा जाता है कि हमने बहुत सारे वृक्ष लगाये। मैं यह कहूंगा कि गंगानगर जिले में जितने वृक्ष थे पिछले साल उससे आज कम है। जब जब सरकार ने कोई नया कानून बनाने की कोशिश की, पटवारियों ने उसका दुरुपयोग किया। लोगों को कहा कि अब आप वृक्ष नहीं लगा सकेगे और काट नहीं सकेंगे। किसानों ने काटने शुरू कर दिये और नये किसीने नहीं लगाये। स्कूलों में और ऐसे स्थानों में नये वृक्ष लगाये गये हैं। एच. बी. नहर के साथ साथ इतने पेड़ थे कि नये लगने वाले पेड़ों से ज्यादा थे। तीन रुपया एक पेड़ पर खर्चा हुआ। लोगों को कहते तो चार आने में आ सकते थे। पेड़ के आगे नये पौधे लगाने से जो वृक्ष पहले लगे होते हैं वह अपने आप जल जाते है। इस तरह से पेड़ वहां लगा नहीं रहे और जो लग रहे हैं वह सड़ रहे हैं, यह स्थिति पेड़ लगाने की नहीं पेड़ खत्म करने की है, पेड़ लगाने जैसी कोई चीज नहीं है।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं। अभी जनता पार्टी की बात आई। बार बार यह कहा जाता है कि इसमें जनसंघ के लोग ज्यादा हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोई जनसंघी कांग्रेस मे शामिल हो जाय तो वह पवित्र कैसे हो जाता है, उसमें क्या नई चीज पैदा हो जाती है? जनता पार्टी का विघटन हो जायगा इस खयाल में नहीं रहें। जनता पार्टी एक पार्टी है कोई अलग-अलग पार्टियां नहीं हैं और किसी प्रकार भी अलग होने वाली नहीं हैं। मैं यह मानकर चलूंगा कि आम जनता में अब आस्था बदली है, वह आस्था पूंजीपतियों के प्रति नहीं है, इसीलिए लोगों ने उसको अपनाया है और लोग अपनाते रहेंगे। आप बार बार कहते है, तो जनता का विश्वास प्राप्त कीजिए। जनता ने आपको 5 साल के लिए भेजा था। 5 साल पूरे हो गए, आपका फर्ज है कि दुबारा विश्वास प्राप्त करो। आप समाजवाद की बात करते हैं। जम्हूरियत की बात करते हैं, तो हम सभी विधायक 5 साल के लिए आए थे, 6 साल के लिए नहीं।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिनको इमर्जेंसी के समय नौकरी से अलग कर दिया था, उनको आप वापस लें। आपको चाहिए था कि आप उनको चार्जशीट देते, आप उनको बताते कि उन्होंने क्या बुरा किया। ये सब लोग बदले की भावना से निकाले गए हैं। आप जनता पार्टी से सीखो। उसने सारे रेल कर्मचारियों को, जो 5 साल पहले निकाले गए थे, बहाल कर दिया। आपको भी बहाल करने पड़ेंगे। आप चार्जशीट देकर उनके खिलाफ जांच करें, यह जनतंत्र का उसूल है। उनको सेफगार्ड मिलना चाहिए नहीं तो यह मान लेना पड़ेगा कि आपने कुछ लोगों को निकाल दिया है तो आने वाली सरकार भी दूसरे लोगों को निकालेगी। बदले की भावना से नहीं निकालना चाहिए। अगर उनके खिलाफ चार्ज साबित हो जाए तो उनको डिसमिस करो। इस मामले को लंबा न किया जाए नहीं तो यह और रूप अख्तियार करेगा। इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए।

मैं आपके गृह विभाग से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन है उसके एक तरफ तो रायसिंहनगर है, दूसरी तरफ करणपुर और तीसरी तरफ पदमपुर तहसील है। तीनों तरफ उसका क्षेत्र है। अगर कोई करणपुर का है, वह पकड़ा जाता है तो उसे अगर जमानत देनी है तो उससे कहते हैं कि रिकार्ड लाओ नहीं तो कई दिन तक अच्छे आदमियों को जेल में रहना पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन को या तो बदल दो और अगर उसको रखना चाहते हो तो जिस क्षेत्र का कोई मुल्जिम हो तो उस क्षेत्र में जहां उसका जुरिस्डिक्शन है, वहां उनका चालान होना चाहिए।

(3.05 म. प.)

(श्री वृद्धिचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

एक बात गृह विभाग से और कहना चाहता हूं, जयपुर में आर्म्स और एम्यूनीशन की सेल होती है, बड़े बड़े पूंजिपतियों और राजा महाराजाओं के पुराने हथियार लोग बेचते हैं, जब कोई कारतूस लेने के लिए जाता है तो पुराना एम्यूनीशन ऐसा दिया जाता है जो बिल्कुल काम का नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री भगराज : विरोधी दल की तरफ से काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, हमको भी मौका दिया जाए।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य को पता नहीं कि श्री देवीलाल कांग्रेस दल के सदस्य हैं।

श्री देवीलाल : सभापतिजी, वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया है इसमें कोई दो राय नहीं। वित्त मंत्री ने ग्रामीण इलाकों में काश्तकारों के लिए शिक्षा के लिए, सिंचाई व विद्युतीकरण के लिए, भू जल के लिए काफी धनराशि का प्रावधान रखा है और गरीबों को सुविधा देने के लिए प्रावधान रखा है। लेकिन इसके पहले भी काम हुआ है जो जनता के लिए

(श्री देवीलाल)

हितकर है। कई तालाब बनाए हैं, कई योजनायें भी बनी हैं और अभी प्रावधान भी किया गया है। तो काश्तकारों के लिए यह बजट लाभकर है और आगे के लिए भी मैं आशा करता हूं कि काश्तकारों के लिए काफी लाभप्रद होगा। गरीब जनता के इलाज के लिए वित्त मंत्री ने औषधालयों का प्रावधान किया है, डिस्पेन्सरीज का भी प्रावधान किया है। शहरों के लोगों को तो काफी सुविधायें मिलती हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर राज्य सरकार का ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिस्पेन्सरीज खोलनी चाहिए ताकि ग्राम वासियों को डाक्टर्स का लाभ मिले और वहां इलाज करा सकें और बड़े अस्पतालों तक अधिक खर्च करके जाने की जरूरत न पड़े। आयुर्वेदिक औषधालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा खोलने चाहिए। सेकेन्डरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स भी ग्रामीण क्षेत्रों में खोलकर ज्यादा सहायता करनी चाहिए ताकि उनके बच्चे कम खर्च में 8वीं व 10वीं तक शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कहीं कालेज खोलना है तो जहां पिछड़ा इलाका है, वहां डिग्री कालेज खोलने का प्रावधान हो, वे वहां खोलने चाहिए। शहरों में राज्य सरकार ने काफी काम किया है, अब वहां आवश्यकता नहीं है। अब जो भी डिग्री कालेज खोलने हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोलने चाहिए ताकि कालेज शिक्षा वे प्राप्त कर सकें, अपने घर की रोटी खाकर वे गरीब कालेजों में पढ़ सकें। सभापति महोदय, यह डिग्री कालेज हमेशा शहरों में ही खोलते हैं इसका नतीजा यह होता है कि गांव का गरीब आदमी उसका लाभ नहीं उठा पाता। गांव के गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना खर्च उठाकर शहर में आकर पढ़ाई करे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप जो भी कालेज अब नया खोलें वह शहरों के बजाय गांवों में खोलें ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, थोड़ा मैं कृषि उत्पादन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे यहां पर जो लेवी वसूल की जाती है, सरकार गांवों से लेवी वसूल करके शहर के लोगों को खिलाती है। पहले तो सरकार बेचारे काश्तकारों से जबरन लेवी वसूल करती है और फिर उस लेवी का फायदा शहर वालों को दिया जाता है यह बात बिलकुल उचित नहीं है। अब इस साल में भी लेवी लेने का प्रयास किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में फसल में रोग लग गया है, गेहूं में रोली लग गयी है। इससे फसल एक तरह से बिलकुल समाप्त हो गयी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जहां गेहूं में हमारे इलाके में जो रोली लग गयी है वहां पर लेवी नहीं ली जानी चाहिये। सभापति महोदय, होता क्या है कि सरकार लेवी लेने के आदेश निकालती है और फिर पटवारी सही स्थिति को ध्यान में नहीं रख कर जितनी जमीन में बुआई की गयी है उसी के अनुसार लेवी वसूली के आदेश जारी कर देता है। मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे मेरे इलाके की पूरी जानकारी है जो पटवारी रिपोर्ट करे उसी के आधार पर पैदावार मान कर आप काश्तकारों से लेवी वसूल नहीं करें। आप यह जांच करें कि पहले काश्तकारों ने

(श्री देवीलाल)

कितनी जगह बुवाई की और उसके बाद में फसल कितनी हुई, कितनी फसल में रोग लग गया, कितनी फसल में रोली लग गयी, उससे कितनी फसल नष्ट हो गयी। यह देखें। सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे यहां गेहूं का दाना भी रोग लग जाने से छोटा हो गया है। मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उदयपुर जिले में और खासतौर से मेरी तहसील में रोली लग गयी है। मैं उदयपुर जिले की इसलिये कह सकता हूं कि अभी पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए थे और उसमें मैं जगह जगह घूमा हूं। वहां पर मुझे यह बताया गया कि किस प्रकार से गेहूं में रोली लग गयी है और फसल नष्ट हो गयी है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अब की बार उदयपुर जिले में लेवी की वसूली नहीं की जानी चाहिये। आज आप जो लेवी वसूल करते हैं तो किसके लिये? वह तो आप शहर वालों की सहूलियत के लिये वसूल करते हैं, शहर वालों को खिलाने के लिये आप गांव के गरीब काश्तकारों से लेवी वसूल करते हैं। यह अच्छा काम नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस साल उदयपुर जिले में लेवी वसूल नहीं की जानी चाहिये। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे जिले में गेहूं के बीमारी लगाना है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं थोड़ा भू-जल सर्वेक्षण के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज, सभापति महोदय, यह हो रहा है कि भू-जल के सर्वेक्षण करने वाले नल लगाने के बारे में न तो ग्राम पंचायतों से पूछते हैं, न ही प्रधान पंचायत समिति से ही बात करते हैं वह लोग अपनी मर्जी मुताबिक ही जहां चाहे वहां पर नल लगा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को भूजल का फायदा नहीं मिलता है। यह लोग कई बार पास पास नल लगा देते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से मेरे इलाके में जहां की आबादी बिखरी हुई है वहां पर नल कूप नहीं लगाये जाने के कारण लोग पानी को तरसते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह भूजल विभाग को यह हिदायतें दे दें कि वह नल वहां लगायें जहां पानी की जरूरत है। यह नहीं हो कि जहां इच्छा हो वहां ही नल लगादे। जहां आवश्यकता हो वहां अगर आप नल कूप लगायेंगे तो आप जिस गरीब जनता को फायदा देना चाहते हैं वह उसको मिल सकेगा अन्यथा नहीं।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे यहां जो आदिवासी छात्रों के लिये जो छात्रावास की सुविधायें प्रदान की हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, वैसे राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिये पहले बजट में भी छात्रावास बनाने के प्रावधान किये और आदिवासी लोगों को सुविधायें प्रदान की हैं, छात्रावास बनाये हैं उसके लिये तो मैं राज्य सरकार को और खास तौर से वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। वित्त मन्त्रीजी ने बड़ी महरवानी की है कि इस साल भी उन्होंने गरीब आदिवासी लोगों के बच्चों पर निगाह डाली है। गये वर्ष की तरह उन्होंने इस साल भी अच्छा प्रावधान किया है लेकिन मेरा वित्त मन्त्रीजी से यह अनुरोध है कि जो भी आपने प्रावधान रखे हैं वह सारे के सारे पूरे होने

(श्री देवीलाल)

चाहिये। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन प्रावधानों का फायदा बेचारे गरीब छात्रों को न हो और कोई ऐसी वैसी बात हो जाये। अगर आप इनको पूरा करेंगे तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों का स्तर ऊपर उठा सकेंगे। सभापति महोदय, आज आदिवासी छात्रों के लिये जो छात्रावास हैं वह बहुत कम हैं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिये। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो तृतीय श्रेणी के छात्रावास हैं उन्हें क्रमोन्नत करके द्वितीय श्रेणी का छात्रावास किया जाना चाहिये। हमारे यहां परसाद और झाडोल में जो तृतीय श्रेणी के छात्रावास हैं उन्हें खास तौर से द्वितीय श्रेणी के छात्रावास में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये ताकि व यहां के लोग बेचारे अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ बजट में जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिये धनराशि प्रदान की है उसके लिये मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति ; श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आज सदन में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, और मांगें आज सदन में पेश की गई हैं। उस बजट भाषण को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने जो बजट पेश करा है वह एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिये ही किया है। अभी जब सदन में बजट पर भाषण हो रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य बजट भाषण पर चर्चा सुनने को सीरियसली तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो वोट ग्रोन अकाउन्ट है।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, सदन में जो बजट भाषण वित्त मंत्रीजी ने सन् 1977-78 का पेश किया है उसमें हमारी पहले आशायें थी, जो आकांक्षायें हमने वित्त मन्त्री जी से बांध रखी थी वह हमें देखने को नहीं मिली। सभापति महोदय, अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, उन चुनावों के दौरान में जो जनता ने, जो वोटर्स ने रिफ्लेक्शन दिया है वह बिल्कुल आशाओं के विपरीत दिया है। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने जनता की आंकाक्षाओं को, जनता की आशाओं को ध्यान में रख कर यह बजट पेश नहीं किया है। उन्होंने गरीब जनता की ओर ध्यान नहीं रखा है, गरीब जनता की समस्याओं को उन्होंने इगनोर किया है। वित्त मन्त्री महोदय को बजट बनाते हुए यह ध्यान रखना चाहिये था कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जनता को लाभ पहुंच सकता था। लेकिन जिन जिन बातों का वित्त मन्त्री महोदय को ध्यान रखना चाहिये था, जिन जिन को रिलीफ देने की जरूरत थी उनको नहीं दिया गया। जिन जिन सेक्शन्स को आज भी तकलीफ है उनके लिये यह बजट कुछ भी फायदा देने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट एक निराशा का बजट है इसको देख कर खास तौर से गरीब वर्ग को बड़ी ही निराशा हुई है। सभापति महोदय, इस बजट को देख कर मुझे बहुत ही निराशा हुई। सभापति महोदय, जब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा तो आप भी यह मानेंगे कि यह

(श्री भगराज चौधरी)

बजट गरीबों के भले का नहीं है। इसमें जिन वर्गों को कन्सेशन दिये हैं वह है मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग या यों कह दीजिये कि जो लोग अल्ट्रा मोडर्न हैं उनको कन्सेशन्स दिये हैं, वह लोग गरीब नहीं हैं। वास्तव में हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता ऐसी है जो कि गरीब जनता है और उनका इस प्रकार के कन्सेशन्स में से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए गरीब वर्ग के लोगों को इससे नाराजगी होना जरूरी भी है। आज हमारे यहां का जो किसान है वह गरीब वर्ग है और वित्त मन्त्री ने जो कन्सेशन्स दिये हैं टी० वी० सेट्स, रेडियो, ट्रान्जिस्टर्स वगैरह पर छूट दी है. 12 प्रतिशत जो पहले सेल्स टैक्स लगता था वह अब सिर्फ सात प्रतिशत ही सेल्स टैक्स रह गया है। आपने यह सेल्स टैक्स में जो छूट दी है वह दी है रेडियो, टेलिविजन सेट, ट्रान्जिस्टर सेट वगैरह पर। तो यह टेलिविजन, रेडियो वगैरह किनके पास होते हैं? वह गरीब के पास तो होते नहीं हैं। आज एक गरीब काश्तकार को रोटी की ज्यादा जरूरत होती है न कि टेलिविजन या रेडियो की। आज जहां पर वीकर सेक्शन को रोटी की जरूरत होती है आपको उनकी रोटी का इन्तजाम करना चाहिये था लेकिन आपकी निगाह गरीब की भूख पर नहीं गई। आपकी निगाह गयी मध्यम वर्ग के ऐशो आराम पर। आज हमारे राजस्थान में करीब ढाई पौने तीन करोड़ की आबादी है जहां पर सिर्फ दो प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास रेडियो, टेलिविजन वगैरह होंगे। तो यह आपने जो 12 प्रतिशत सेल्स टैक्स के बजाय सात प्रतिशत सेल्स टैक्स देने की छूट की यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, सन् 1969 में 30,000 रुपये का जिस व्यापारी का टर्न ओवर होता था उस व्यापारी को रिटर्न भरने पड़ते थे वह अब आपने 50 हजार कर दिया लेकिन अगर आप सही स्थिति देखें तो आपको पता लगेगा कि उन आर्टिकल्स की कीमत अब बढ़ कर अधिक हो गई है इसलिये गरीब वर्ग और जो छोटे व्यापारी हैं जिनको कि आपको सहूलियतें देनी चाहिये थीं वह सहूलियतें उन्हें आपने नहीं दीं। आपने इसमें भी जो सहूलियतें दी हैं वह गरीब व्यापारी को नहीं दीं। आज व्यापारी का जो वर्ग बहुत छोटा है, जो कि गांव में बैठा है वह आज भी आपकी कर प्रणाली से कराह रहा है। अन्तिम सांस ले रहा है। उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। माननीय मन्त्री महोदय को उस ओर ध्यान देना चाहिये।

आपने खाण्डसारी शक्कर पर से टैक्स हटा दिया। इससे हमें कोई नाराजगी नहीं है। 85 प्रतिशत जनता उसका उपयोग नहीं करती है। गांव के लोग गुड़ खाते हैं और जो गरीब हैं, जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता वे गुड़ भी क्या खावेंगे, शक्कर खाना तो दूर रहा। इसलिए जो टैक्स रिलीफ दिया है, वह देना तो आपको नहीं चाहिये था लेकिन दे ही दिया तो कोई बात नहीं।

स्कूटर्स इन्डस्ट्री को प्रमोट करने के लिये आपने रिलीफ दिया टैक्स में यह कह कर कि स्कूटर्स की मांग है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत जनता स्कूटर्स का उपयोग करने लायक नहीं बनी है। सरकारी कर्मचारी या गजेटेड आफिसर्स हो सकते हैं या माननीय मंत्री महोदय के रिश्तेदार हो सकते हैं वह आधा पर्सेन्ट, पाव पर्सेन्ट

Page No.82

(श्री भगराज चौधरी)

होंगे। आपको इन्डस्ट्री को प्रमोट करना है और इस तरह से आप रिलीफ देते हैं पाव पर्सेन्ट् के लिये तो यह एन्टी प्रोग्रेसिव है। जब से आपके पास पैसे का विभाग आया है तब से आपने काश्तकार को डण्डे मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया है, कोड़े मार मार कर बेहाल की स्थिति पैदा कर दी है। मैं चार साल से बराबर निवेदन करता आ रहा हूं क्रूड आइल की जो खपत हो रही है वह खेती पर हो रही है। 15 हजार पंपिंग सेट जालौर जिले में लगे हुए है। 17 पर्सेन्ट आपने पर-टन पर टैक्स लगाया है। 200 लीटर का ड्रम आता है। उनकी 2.00 रुपया कीमत होती है। 350-400 रुपया तो आपने उस पर टैक्स भी लगा दिया है जो एक किसान को देना पड़ता है। 12½ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स और 4 पर्सेन्ट सेन्ट्रल टैक्स। 16½ पर्सेन्ट होता है। 30 35 रुपये प्रति टन काश्तकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। एक रबी की फसल के लिये उसको 15 ड्रम क्रूड आयल खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार एक काश्तकार को हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार रुपया टैक्स का देना पड़ता है। वित्त मन्त्री महोदय, आप इस पर विचार करें, हजार, दो हजार का एक किसान को केवल टैक्स इस पर ही देना पड़ता है जब कि बहुत बड़ा व्यापारी जो वाकई टैक्स देता है उसको इतना अदा करना पड़ता होगा दूसरे व्यापारी तो देते ही नहीं हैं। बिलो पावर्टी लाइन जिस काश्तकार को मान कर चलते हैं वह 500), 1000), 2000) रुपया टैक्स का देते हैं फिर भी उनकी पीड़ा को नहीं देख रहे हैं और आपका टी. वी. स्कूटर के उपयोग पर ही ध्यान जा सकता है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आपने टैक्स रिलीफ दिया है, हीरे, मोती, जवाहरात, रत्नों पर। माननीय मंत्री महोदय के पास बहुत पैसा है। हीरे मोती जवाहरात हैं। मेरे पास पैसा भी नहीं है। आपके पास हीरे, मोती, जवाहरात भरे पड़े हैं। उस पर स्टेट सेल्स टैक्स 4 से 3 पर्सेन्ट कर दिया। उसको बाहर जाने के लिये बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिये इन्टर स्टेट को घटा कर 2।।। पर्सेन्ट से 2।। पर्सेन्ट कर दिया। हीरे पन्ना कौनसा तबका काम में ले रहा है राजस्थान में? कन्सेशन दिया तो इससे कौन से वर्ग को फायदा होने वाला है? अनुसूचित जाति, जन जाति, भांभी, भील आदि को कोई फायदा होने वाला नहीं है। न ही किसान को कोई फायदा होने वाला है। हां डालमिया और बिड़ला को फायदा होने वाला है।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी को जिता कर लाये हैं।

श्री भगराज चौधरी: उनके लिए बहुत रिलीफ दे दिया। दो महीने पहले कहा था, शायद याद होगा किसान वर्ग का जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास रहा है और वोट देते हुए उसको तीस वर्ष हो गये, किसान कांग्रेस को ही वोट देता है फिर भी किसान वर्ग को रिलीफ नहीं और मालदार और व्यापारी वर्ग को फायदा इस प्रकार दिया जाता है। किसान घाणी पर बैठता है जिसके पास खाने पीने का इन्तजाम नहीं है और दवा दारू का इंतजाम नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिये। इतनी समस्या होते हुए भी आपको वोट देता है इसलिए कि कांग्रेस सरकार उनके लिये कल्याणकारी कार्य करेगी। लेकिन यह काम किया जा रहा

(श्री मगराज चौधरी)

है, इस प्रकार का लेखानुदान पेश कर रहे हैं। आपको इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। आखिर यह मामला कब तक चालू रहेगा ?

एक और निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने टैक्स रिलीफ दिया, जिसका जिक्र मैंने किया। जिसमें उनको टैक्स रिलीफ देना चाहिये था वास्तव में उसमें टैक्स रिलीफ नहीं दिया। उसमें तो आपने कंजूसी बरती और जिनको टैक्स रिलीफ की आवश्यकता नहीं थी उनको आपने टैक्स रिलीफ दिया। कॉमर्शियल क्राप्स हैं, आयल-सीड, सरसों, जीरा, धनिया आदि उन पर आपने सेस लगाया। कोई बात नहीं। किस आधार पर लगाया ? जो काश्तकार अपने खेत में कमर्शियल क्राप बोयेगा जो सोइंग में आवेगा लेकिन पटवारी जो उसका मूल्यांकन करेगा तो वह टोटल होल्डिंग पर लगा देगा और उसी रूप में सेस वसूल करेगा। यदि आपको रिलीफ देना है तो सही रूप में दीजिये। कामर्शियल क्रॉप बोयेगा तो बाजार में बेचेगा या अपने घरू काम में लेगा। 1|2 बीघा में कामर्शियल क्रॉप बोई है तो उसका सेस देता रहेगा। जितनी जमीन पर कार्माशियल क्राप बोयी है उस पर सेस देता रहेगा। जैसे मैंने 20 बीघा में रायना बोया, सरसों बोई और मेरी होल्डिंग टोटल 80 बीघा है तो पटवारी कहेगा 80 पर दो। वह टोटल रकबा ही सरसों की फसल को दर्ज करेगा और 120 रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो जो पटवारी द्वारा लुटाई हो रही है वह आपने बन्द नहीं की है। आपने क्या किया है कि 60 बीघा में से आधा बीघा छोड़ दी। पटवारी 59।। बीघा का सेस वसूल करेगा। क्या रिलीफ दिया आपने ? क्या जरूरत थी आपको आधा बीघा का रिलीफ देने की ? हम इतनी छोटा रिलीफ नहीं चाहते। रिलीफ तो इस तरह का होना चाहिए कि जिससे किसानों का कायाकल्प हो। सरकारी मशीनरी जो उसको परेशान कर रही है उससे उसको छुटकारा मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार आप मिटा नहीं पाये हैं। जितनी ज्यादा आप सरकारी मशीनरी को बढ़ायेंगे तो काम का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हो पायेगा, इन-अफीशियेन्सी आयेगी, ज्यादा करप्शन फैलेगा और कुल मिलाकर जनता को प्रशासनिक दृष्टि से और फाइनेन्शल दृष्टि से तकलीफ ही तकलीफ होगी।

सभापति महोदय, आज से 29 साल पहले अंग्रेजों का राज्य था और बहुत कम सरकारी कर्मचारी थे। 29 साल के दौरान में हमारे सरकारी कर्मचारियों की तादाद कितनी बढ़ गयी है, हमको यह भी देखना होगा कि राज्य की नौकरियों में कितने ओहदे बढ़ाये हैं। आप इसका मूल्यांकन कर लीजिए कि आपने कितने सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। जितनी संख्या बढ़ाई है उतनी ही मात्रा में इन-अफीशियेन्सी फैली है, ज्यादा करप्शन फैला है, ज्यादा खर्चा हुआ है। आपने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो आपने कार्माशियल क्राप पर रिलीफ दिया वह नहीं के बराबर है। इस आइटम के ऊपर से बिल्कुल ही सेस खतम कर दीजिए ताकि जो हमारा किसान भोला भाला है और गांव में जो बैठा हुआ है, जो कि देश को अनाज पैदा करके देता है, देश को कपास पैदा करके देता है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। अगर हमारे यहां अनाज पैदा

Page No.84

(श्री भगराज चौधरी)

नहीं होगा तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, कपास पैदा नहीं होगी तो बाहर से मंगानी पड़ेगी। किसान जो भी चीज पैदा कर रहा है वह देश के लिए पैदा कर रहा है और अपने खुद के लिए नहीं कर रहा है। इसको आप जरा सोचिये।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि क्रूड आइल पर 17॥ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स है। इसको आप हटा दीजिए क्योंकि सारा का सारा क्रूड आइल खेती के काम में आ रहा है। मेरे जिले में सारे राजस्थान का 60 प्रतिशत क्रूड आइल काम में आ रहा है। मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता हूं कि हमारा जालोर जिला कितना सेल्स टैक्स सिर्फ क्रूड आइल पर दे रहा है लेकिन हम साल का 2 करोड़ रुपये का क्रूड आइल काम में लाते हैं तो इसके हिसाब से करीब 35 या 40 लाख रुपया सिर्फ सेल्स टैक्स का देते होंगे। इतनी बड़ी राशि हमारे जिले का काश्तकार सेल्स टैक्स के रूप में सरकार को अदा करता है। इतनी बड़ी रकम जब किसान सेल्स टैक्स के रूप में सिर्फ अकेले क्रूड आइल पर ही दे देता है तो खेती के ऊपर उसका खर्चा ज्यादा आयेगा। जब खेती महंगी होगी तो बाजार में दूसरे खाद्यान्न भी महंगे आयेंगे और इससे सारी पब्लिक को परेशानी होगी। तो आप ऐसा प्रयत्न क्यों न कीजिए कि खेती का उत्पादन सस्ता हो। खेती को आपको इन्डस्ट्री मान कर चलना चाहिए। इन्डस्ट्रीज के लिए नये नये कन्सेशन्स दे रहे हैं। आप उनको कन्सेशन्स दीजिए इससे मुझे नाराजगी नहीं है लेकिन खेती हमारी अर्थ-व्यवस्था का मूल ढांचा है जिसके ऊपर सारे उद्योग निर्भर करते हैं। उसकी तरफ आप इतनी उपेक्षा-पूर्ण दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? या तो आपके सोचने में फर्क है या फिर मेरे सोचने में फर्क है। दूसरे माननीय मंत्रिगण केबिनेट के यहां मौजूद नहीं हैं। अगर होते तो वह भी गम्भीरता से इस बात को कहते कि आखिर में हमारा दृष्टिकोण किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण क्यों है। वीकर सेक्शन है, वह देश के अन्दर उत्पादन में लगा हुआ है उसके प्रति आपका यह दृष्टिकोण क्यों है? इस कारण हमको खाद्यान्न कभी तो रूस से मंगाना पड़ता है और कभी अमेरिका से मंगाना पड़ता है। आइल सीड बाहर से मंगाना पड़ता है। आज से दो महीने पहले हमारी केन्द्रीय सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में आइल सीड बाहर से मगाने का फैसला किया। क्यों किया? इसलिए कि आइल सीड की हमारे यहां कमी हो गयी थी और डिमाण्ड काफी बढ़ गयी थी। जब हमारे देश के किसान आइल सीड पैदा करते हैं तो हमारे मंत्री महोदय नये नये तरह के टैक्स लगाते हैं। काश्तकारों को पटवारी लूटते हैं। काश्तकार आज गांव में बैठा बैठा कुछ नहीं समझता है। वह कम बोलता है। उधर पटवारी उसको कहता है कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं ज्यादा दर्ज करूंगा। मौके पर न तो आप हैं और न मैं हूं। मौके पर तो पटवारी बैठता है। किसान जो उत्पादन में लगा हुआ है वह इतना डरपोक है कि पटवारी उसे धमकाता है, उसके बहकावे में आकर वह लुट जाता है। तो मेरा कहना है कि आप क्रूड आइल पर सेल्स टैक्स कम कीजिए। जब आपने कन्सेशन्स दिये हैं तो आपका दृष्टिकोण उदारतापूर्वक होना चाहिए।

(श्री भगराज चौधरी)

सभापति महोदय, मैं एक दो मिनट और बोलूंगा। जब बजट पर विस्तृत रूप से वाद विवाद होगा उस समय नहीं बोलूंगा। दो चार पाइन्ट्स पर और बोलूंगा।

एक और मुद्दा है और बारबार मैं उसको रिपीट करता रहा हूं। एक और प्रश्न है जिसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। मैं उसी सन्दर्भ में, सभापति महोदय, फिर कहूंगा। आपने मतीरा और तूम्बा के बीज पर सेलस टैक्स लगाया है। आपका मानना यह है, किसी कोर्ट से फैसला हो गया है कि इस मतीरे और तूम्बे के बीज से तेल निकाला जाता है और इस पर कर लगना चाहिए। यह कर आपने 4 पर्सेन्ट लगाया है। जो किसान आज ढाणी में बैठा हुआ है जो बेचारा तरबूज बोता है, खरबूजा और तूम्बा बोता है और झाड़ियों में पैदा करता है तो उससे आपको लेना देना क्या? अगर उससे तेल भी निकलता है और सौ पचास रुपये पैदा भी कर लेता है तो आपको क्या परेशानी है? आप उसको क्यों लूटना चाहते हैं? तूम्बा और मतीरा कहीं भी टैक्स के रूप में नहीं सुना है लेकिन नये सिरे से माननीय वित्त मंत्री जी यह टैक्स लगा रहे हैं और सोचते हैं कि किसान कहीं आराम से बैठ नहीं जाये। हो सकता है चूरू और बीकानेर का किसान बच जाये। आप सोचते हैं कि किसान हमेशा जकड़ा रहना चाहिए। यह आपका दृष्टिकोण है। आपने इसके ऊपर भी सेलस टैक्स लगा दिया।

एक दूसरा आइटम और है, खल। अब, सभापति महोदय, खल किस काम में आती है। रायड़ा है और सरसों है उसका तेल निकलता है और जो खल बनती है उसको किसान मवेशियों को खिलाता है। उसके ऊपर भी आपने सेलस टैक्स लगा दिया। दूसरे आदमी भी काम लेते हैं। तो एक पर्सेंट सेलस टैक्स से आपको क्या रेवेन्यू मिलेगी? इतने से के लिए आप नयी परेशानी काश्तकारों के लिए बढ़ा रहे हैं। इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी और जो काश्तकार इससे सम्बन्धित होंगे, वह लुट जायेंगे, परेशान हो जायेंगे।

अब दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि कई समाज सुधार के काम हैं। इस बजट में उनके बारे में भी न देख कर बड़ी निराशा हुई। आज हमारे प्रान्त में ऐसे बहुत से सैंकड़ों गांव हैं जहां सिर पर पानी लाना पड़ता है। बीकानेर, जालोर में खारा पानी है और उसमें फ्लोराइड है। अभी तो हमने लोगों को कह दिया है कि आपके यहां पानी में फ्लोराइड है इसलिए अच्छे पानी की मांग मत करो। लेकिन जहां ऊंटों पर और सिरों पर पानी लाना पड़ता है वहां पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी इन इलाकों में जो पेय जल की समस्या है उसके लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कोई बजट में प्रावधान नहीं रखा। पता नहीं क्या दिमाग है....

श्री चन्दनमल वैद : जो अतिरिक्त प्रावधान है वह मैंने आपको पढ़कर सुनाये हैं और जो बजट में है वह दूसरे हैं। आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा।

श्री भगराज चौधरी : आपने अपने हिसाब से रखा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : जो अतिरिक्त प्रावधान रखे वह पढ़े हैं। आप एक्सटेम्पोर भाषण दे रहे हैं तो वह दीजिए लेकिन बजट के प्रावधान दूसरे हैं।

श्री भगराज चौधरी : Thank you very much for the comments.

पेयजल की जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह आपने रखी है, ठीक बात है। मन्त्री महोदय, मुझे पता नहीं था, आपने इसका प्रावधान रखा है, अच्छी बात है। धन्यवाद

दूसरी बात सड़कों के बारे में है। आज हर गांव शहर से जुड़ना चाहता है। हर गांव को छोड़ दीजिये लेकिन बड़े बड़े जो कस्बे हैं उनके लिये निवेदन करना चाहूंगा। जालोर जिले में रानीवाड़ा पंचायत समिति है। 10 हजार की आबादी है मगर वह ग्रेवल रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। भीनमाल से नहीं जालोर से नहीं। इस प्रकार की सड़कों के लिए आपको प्रावधान करना चाहिये था। आपने कहा, ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं। कृषि उपज मंडी से कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी घोषणायें होती हैं, रेडियो से होती हैं लेकिन प्रावधान बहुत कम करते हैं। गांवों में हमको जाना पड़ता है। कृषकों की हमको सुननी पड़ती है।

तीसरा रहा सवाल सिंचाई का। बड़ी2 स्कीमों को, मीडियम स्कीमों को छोड दीजिये मइनर इरिगेशन स्कीम को लें। सायल कन्जर्वेशन, भूमि के कटाव को रोकने के लिहाज से, बाई वे आफ परकोरेशन छोटे 2 माइनर इरिगेशन वर्क्स को हाथ में लेना चाहिये। 8-10 जिलों में आपने यह प्रोग्राम चलाया। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आपको प्रावधान रखना चाहिये। मैं नहीं जानता माननीय वित्त मन्त्री जी अब प्रावधान रखने की स्थिति में होंगे या नहीं लेकिन यह सोचने की बात है। माइनर इरिगेशन स्कीम्स के लिये एक्स्ट्रा प्रावधान रखना चाहिये।

रहा सवाल विद्युत का। विद्युत की हमारे गांवों में मांग है। जालोर जिले में, जैसा कि मैंने निवेदन किया, कुल मिलाकर 15 हजार कुओं पर बिजली दी गई। लेकिन 25 हजार कुए ऐसे हैं जिनको बिजली नहीं मिली। अब बिजली नहीं मिलेगी तो काश्तकार पूरी पैदावार कैसे पैदा करेगा। एक तरफ खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ बिजली के लिये कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान है मैं समझता हूं वह ऊंट के मुंह में जीरा, समुद्र में एक बूंद के समान है। उसके बारे में सोचिये।

वित्त मन्त्री जी, आपको मैंने खरी खरी बातें सुनाई। आखिर में मैं आपको धन्यवाद देकर बैठना चाहता हूं। शिक्षा के लिये, चिकित्सा के लिये आपने जो प्रावधान रखे हैं इन दो आइटम्स के अलावा बाकी मूलरूप से जैसा मैंने कहा है उस पर गम्भीरता से विचार करिये।

For the greater good of the greater number of people, for the larger cases of common people and weaker section आप को टैक्स रिलीफ देना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने वित्तीय स्थति सुधारी है लेकिन जहां तक राजस्थान

(श्री अजीत सिंह)

की जनता की स्थिति का सवाल है गरीब और गरीब हुए हैं यह बड़ा शोचनीय है। सरकार अपनी स्थिति सुधारे। गरीबी बढ़ती जाये, यह अच्छी बात नहीं है। यह जो आपने बजट पेश किया है उसके ऊपर इन हालात के अंदर आपको पुनर्विचार करना चाहिये। गरीबों की हालत सुधारी जानी चाहिये थी। लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसका अंजाम निश्चित रूप से आपको भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, सभापति महोदय, गरीबों पर कर बढ़ते चले गये और राहत वाली बात नजर नहीं आई। इसके अलावा गरीबों को जो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये थीं, वह नहीं मिलीं। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने काश्तकार के सम्बन्ध में काफी अच्छे ढंग से बात कही है। आप अपने साथियों को मना नहीं पाये यह शोचनीय बात है। कृषि उत्पादन बडा महंगा पड़ता चला जा रहा है। जो सस्ताई वाली बात करते हैं उसके अंदर कोई दम नहीं। अनाज महंगा हो रहा हैं। कृषि उत्पादन की सारी चीजें महंगी हो रही हैं। उसका एक कारण है कि टैक्स लगाने का तरीका बड़ा बेढंगा हैं। कृषि उत्पादन के ऊपर काफी खर्चा आता हैं। अब ज्यों 2 टैक्स बढ़ता चला जायेगा, त्यों 2 पैदावार महंगी होती चली जायेगी और गरीबों की हालत

(3.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बिगड़ती जायगी। लोग प्राप्त करने वाली जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही हैं। आपने गरीब काश्तकारों की हालत ऐसी कर दी कि सिवाय उनको अपनी चीजें बेचने के, अपने जेवर बेचने के उनके पास कोई तरीका नहीं रहा, कृषि को उन्नत करने के लिए। काश्तकार को आप कैसे उन्नत करेंगे, इसका प्रावधान आपको बजट में करना चाहिये था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने कृषि मण्डी का टैक्स लगा रखा है ताकि कृषि मण्डी की आमदनी हो और काश्तकारों को लाभ हो। लेकिन कृषि मण्डी गले का बवाल बनी हैं। गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनती थीं लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो न्यूनतम कार्यक्रम, अच्छे ढंग के कार्यक्रम थे वह चालू किये थे। उन सारे कार्यक्रमों को क्यों बन्द किया गया? बजट के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं की उन कार्यक्रमों को चालू करने की।

शिक्षा के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप स्कूल तो खोलते हैं मगर देर से बजट अलाट करते हैं। लड़के घूमते फिरते हैं, मास्टर वहां रहते नहीं। आप एक मास्टर से 100-100 लड़के पढ़वाना चाहते हैं। मन्त्री जी, यह कैसे सम्भव हो सकता है? 1 से (क्लास तक प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जितने लड़के पढ़ते हों उनके हिसाब से आप वहां मास्टर दें। आपकी जो पकड़ है फाइनेन्स के ऊपर, वह मैं मानता हूं, बड़ी मजबूत है। आप टाइम पर पैसा नहीं देते। लेकिन जो पैसे का उपयोग होना चाहिये वह उपयोग भी नहीं होता। लड़कों का पैसा समय पर नहीं मिलता, सड़कें बनती नहीं। बजट के

(श्री अजीत सिंह)

अलाटमेंट में काफी समय लग जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बजट के अलाटमेंट के ऊपर आप गौर करें। पैसा समय पर मिल जाये ताकि उसका उपयोग ठीक ढंग से हो।

नई कृषि विकास योजनायें जो लागू की हैं उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। कृषि विस्तार के काम में ग्राम सेवकों को लगा दिया लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। कृषि विस्तार योजना में ग्राम सेवक को बी० डी० ओ० के नीचे रखा है, वही पुरानी हालत जो पंचायत समितियों में थी। इससे कृषि विस्तार में जो फायदा होने वाला था, वह नहीं हो रहा है। यही हालत सड़कों की है। सड़कें आप बनाते हैं, लेकिन मरम्मत नहीं करते हैं इसलिये मैं यह चाहूंगा जो बजट अलाट करें, वह देख कर करें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल, जो वोट आन अकाउन्ट के लिये आया है, पर माननीय सदस्यों ने कुछ बहस के मुद्दे उठाये हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं। चूंकि यह बजट की आम बहस नहीं है और यह कोई समय भी नहीं है कि सम्बन्धित विभागों की बातों का जवाब दिया जाय और उनका निराकरण किया जाय इसलिए मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा कि मैं उन बातों का कोई जिक्र नहीं करूंगा। कुछ जरूरी प्रश्न उठाये गये हैं, उनके बारे में ही मैं जिक्र करके अपने जवाब को समाप्त करूंगा।

हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य, दुखी हैं, वे एक प्रश्न उठा कर चले गये हैं। उन्होंने एक प्रश्न इस बात का उठाया कि राज्य कर्मचारियों के 5 महंगाई भत्ते बाकी पड़े हुये हैं, वे पांच महंगाई भत्ते नहीं दिये और कर्मचारी बड़े परेशान हैं, बड़े असन्तुष्ट हैं। इस बात के लिये वे बहुत नसीहत भी दे रहे थे, मैं उनको भी एक नसीहत देना चाहता हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि दिल्ली में उनकी सरकार बैठी हुई है इसलिए ऐसी कोई बात न करें जिससे दिल्ली में कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़वाना चाहेंगे तो उस समय उनकी सरकार का क्या रवैया होगा और क्या रुख होगा। आखिर जो इन्टरिम बजट पेश किया है उसमें भी 600 करोड़ का घाटा है और उनका वायदा है कि नये टैक्स नहीं लगायेंगे। 600 करोड़ का घाटा रहा इसके बावजूद सारे काम करना चाहते हैं। डेफिसिट फाइनेन्सिग करेंगे नहीं, तो वह चमत्कार हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार घाटे की पूर्ति करके कर्मचारियों को और जनता को खुश रखना चाहते हैं। वे अब जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। राज्य कर्मचारियों के पे स्केल के जरिये, डीयरनेस के जरिये, मकान किराये के रूप में मकान का भत्ता देने में, पेन्शन की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में 30 करोड़ से ज्यादा एक साल में बैठता है वह 30 करोड़ का भार अभी तक हमने इस साल केवल कर्मचारियों के कारण जनता पर डाला है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि जो सारे राजस्थान का बजट है उसमें सिचाई का काम नहीं हो, स्कूलें खोलने का काम नहीं हो, अस्पताल और डिस्पेन्सरीज खोलने का काम नहीं हो, सड़कें बनाने का काम नहीं हो— कोई काम

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं हो और जितना पैसा है वह राज्य कर्मचारियों को दे दिया जाय ?

श्री केदार नाथ : आपने वायदा किया है, उसके बारे में कहा है। ये (माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव) आ ही गये।

श्री चन्दनमल बैद : बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे याद करने पर चले आये।

तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर यह सदन क्या चाहता है? आज जो सारा खजाना है, सारा राज्यकोष है वह राज्य कर्मचारियों को दे दें और उसके बावजूद राज्य कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हों। जो पे स्केल सुधारे गये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारे देश के पे स्केल से अच्छे पे स्केल्स हैं। बहुत से पे स्केल्स तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मुकाबला करते हैं। हमारे माननीय सदस्य, जो हवा महल से आते हैं, कह रहे थे, सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट है, नाराज हैं तो मैं समझता हूं वे शायद कभी राजी होने वाले नहीं है। आखिर जनता पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे देकर हम भार नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो वायदे किये हैं, वे तो पूरे कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : हमने अपने वायदे पूरे किये हैं और अच्छी स्थिति न होने के बावजूद किये हैं। आज राज्यकोष की यह स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा राहत राज्य कर्मचारियों को दी जाय। हम प्लान के कामों को काटें और जो जनता की भलाई के लिये काम हो रहे है, वे न करें, ऐसा नही हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो स्वीकार किया है, वह तो करिये। मकान किराये भत्ते का आपने वायदा किया है, उसकी घोषणा की है वह नहीं दिया गया है, महंगाई भत्ते की 5 किश्तें नहीं दी गई ...

श्री चन्दनमल बैद : मुझे अफसोस है आप बात को समझे नहीं हैं। आज जो राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को वेतन मिलता है वह बहुत सारी स्टेट्स से अच्छा है। हमने उनको वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता आदि में 30 करोड़ रुपया एक साल में दिया है तो मैं पूछता हूं माननीय सदस्य से आखिर वे क्या चाहते हैं? सारा खजाना राज्य कोष का दे दें क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महंगाई भत्ते की पांच किश्तें आपने नहीं दी हैं। मकान भत्ता देने वाली बात है, आपने जो स्वयं ने कहा है उसको पूरा करने की बात है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : आपको इन्ट्रप्ट करने के अलावा कुछ नहीं आता है। उसके आदेश जारी हो चुके हैं। माननीय सदस्य ने मेरा भाषण पढ़ने की कोशिश नहीं की।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यही तो मुझे कहना है कि आप जो कहते हैं, करते नहीं है। मैंने पूरा भाषण पढ़ा है। मैं तो कह रहा हूं कि आज कर्मचारियों को महंगाई और मकान भत्ता मिल नहीं रहा है, वह मिल जाना चाहिये था। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आपने कहा है, वह भी अभी नहीं मिल रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : मार्च से हमने मकान भत्ता दिया है तो मार्च के महीने का पैसा 1 अप्रेल को मिलेगा। एक अप्रेल अभी आई ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि मकान भत्ता अभी तक नहीं मिला है। माननीय सदस्य कहते हैं वह नहीं मिल रहा है तो 1 अप्रेल तो आई नहीं उसके पहले कैसे मिल जायगा। फिर भी माननीय सदस्य का कहना है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं आपकी पार्टी की सरकार, जो दिल्ली में बैठी हुई है, राज्य कर्मचारियों का कितना महंगाई भत्ता बढ़ा देगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम तो महंगाई रखेंगे ही नहीं। हम तो सस्ताई लाना चाहते हैं··

(व्यवधान-अश्रव्य)

....और जब बढ़ायेंगे तो देखेंगे। उसके अनुसार आपको भी बढ़ाना होगा। केन्द्र के अनुसार आपको भी बढाना होगा क्योंकि आप वचनबद्ध हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यह भी कही कि आज तक ये काम क्यों नहीं कर लिये गये थे और आज ही क्यों किये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने मेरे सारे बजट भाषण को पढ़ा होगा तो देखा होगा हम हरसाल विकास के काम करते रहे हैं, सड़कें, स्कूल, औषधालय, अस्पताल, डिस्पेन्सरीज के काम करते हैं और जो प्लान में मंजूर हुआ है उससे भी ओवर खर्च किया है। भारत सरकार जो प्लान मंजूर करती है उसके अनुसार हम अपने प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं फिर भी ज्यादा बोझ लेकर भी हमने किया है। पिछले साल चुनाव की बात नहीं थी तो भी 200 औषधालय, 25 डिस्पेन्सरीज और अनेक स्कूल खोले हैं, कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, सड़कें बनवाई हैं। ये सब चीजें प्लान से ज्यादा थीं। अगर हमें प्रदेश का विकास करना है, सामुदायिक सेवाओं को ठीक करना है तो प्लान से बढ़कर भी कुछ काम करना होगा। इसलिए यह कहना कि आज कर रहे हैं, गलत है। कभी इस तरह की बात करते हैं कि आप इधर आने वाले हैं और हम उधर जाने वाले हैं। आप जब तक ताकत में नहीं आयें तब तक कहिये मत···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ताकत तो जनता में है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जानता हूं, इस बात को भी। यह अभी हुआ नहीं है तो भी आप जानते हैं कि ऐसा होगा। जिन लोगों ने देश में मौलिक अधिकारों के नाम पर, जनतन्त्र की रक्षा के नाम पर चुनाव लड़े हैं, उन्होंने पांच दिन में डेमोक्रेसी की हत्या कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र के नाम पर चुनाव लड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रजातंत्र की हत्या नहीं की है। आप स्वयं को देखो, स्वयं के कारनामों को देखो, आपने क्या किया है···

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सही बात को तो सही मान लो।

श्री चन्दनमल वैद : तीस साल के कांग्रेस शासन में हमने प्रजातन्त्र की जिस तरह से अवहेलना नहीं की वह आपकी सरकार ने पांच दिन में कर दी। हमसे कहा गया कि हम रेडियो, टेलिवीजन का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं लेकिन हमने कभी भी पार्टी के प्रचार के लिए इसका उपयोग नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कांग्रेस ने अपने पार्टी के प्रचार के लिए इसका उपयोग किया है? कांग्रेस ने कभी भी राजनैतिक पार्टी का डायरेक्ट ब्राडकास्ट नहीं किया और इन्होंने केवल दूसरे दिन ही अपनी राजनैतिक मीटिंग का डायरेक्ट ब्राडकास्ट करवाया। शर्म आनी चाहिए। ...

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संजय गांधी का निरन्तर प्रचार होता था....

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनी क्या? और जार्ज फर्नाण्डीज ने कहा है····

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे इस चर्चा में जाने के बजाय सीधा जवाब दे दें।

श्री चन्दनमल वैद : यह भी कहा गया कि जिन लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया गया है उनको इमर्जेन्सी हटने के बाद में वापस ले लेना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि कम्पलसरी रिटायरमेंट का प्रोविजन हमारे सर्विस रूल्स में इमर्जेन्सी से पहले से है। कम्पलसरी रिटायरमेंट पहले से होते आए हैं। करप्ट और इनएफिशियेंट लोगों को हमेशा रिटायर करते रहे हैं। बार बार विधान सभा में शिकायत करते रहे है माननीय सदस्य कि हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते है, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी इनएफिशियेंट हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्ट और इनएफिशियेंट हैं तो सरकार के लिए क्या इन भ्रष्ट कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायर करना जरूरी नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेन्थन करना जरूरी नहीं है? जो गलत तत्व सरकारी कर्मचारियों में घुस गए हैं क्या उनकी मदद करते रहें? हमारे यहां ढाई लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें से ढाई हजार कर्मचारियों को, जो कि करप्ट और भ्रष्ट थे, निकाल दिया तो कौनसा ताज्जुब हो गया? उनका पर्सेन्ट केवल एक पर्सेन्ट है। क्या माननीय सदस्य यह मानते हैं कि इतने सरकारी कर्मचारियों में एक पर्सेन्ट कर्मचारी भी भ्रष्ट और इनएफिशियेंट नहीं हैं? अगर आप यह मानते हैं कि इनमें इस तरह के लोग हैं तो फिर आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि कोई गलत काम नहीं हुआ। जिनको भी निकाला जाएगा वह तो आन्दोलन करेंगे ही, धरना देंगे, हड़ताल करेंगे और कहेंगे कि हमको जबरदस्ती निकाला गया है। उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बिठा दी है और वह कमेटी डिपार्टमेंट को बगैर

(श्री चन्दनमल बैद)

कन्सल्ट किए फैसला करेगी कि जिनको कम्पलसरी रिटायर किया गया है इनएफिशियेंसी के नाम पर, करप्शन के नाम पर वह कहां तक उचित है। उनके केसेज को कमेटी रिव्यू करेगी। मैं समझता हूं कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव: यह केवल भुलावा देने वाली बात है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कह कर सारे कर्मचारियों को चोर कह देना ठीक नहीं है। आप समझते हैं कि कोई कर्मचारी चोर है तो उसके केस की सुनवाई करावें और अगर दोषी पावें तो उसको निकाल दें। इमर्जेन्सी के नाम पर नौकरी से निकाल दें, बदले की भावना से कार्यवाही करें, सब कर्मचारियों को चोर कह दें यह उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद: हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हम ने रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं किया। इंजीनियर बेकार फिर रहे हैं, डाक्टर बेकार फिर रहे हैं, दूसरे पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं। इस तरह से बेरोजगारों के बारे में कुछ बातें कहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो 11 करोड़ 4 लाख के नए प्रावधान किए गए हैं, ढाई सौ सेकेण्डरी स्कूल, एक हजार प्राइमरी स्कूल, पांच सौ प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करेंगे, दो सौ औषधालय खोलेंगे, सौ डिस्पेन्सरी और दो सौ एडपोस्ट खोलेंगे, इन सारे कामों से रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इससे दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। इस बात का पूरा खयाल रखा गया है कि विकास के कामों के साथ हमारे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले और इसीलिए यह 11 करोड़ 4 लाख के नए प्रावधान किए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह आपकी धारणा भी गलत है। आपको इसमें भी सुधार करना चाहिए।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हर टैक्स रिलीफ जो दी गई है, नए टैक्स लगाए गए हैं उनके लिए भी कहा गया कि चन्दनमल के व्यापारी समाज में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए यह किया है, मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ अन्याय होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हीरे जवाहरात पर जो टैक्स चार पर्सेन्ट से तीन पर्सेन्ट किया गया है वह इस वास्ते किया गया है कि हीरे जवाहरात का काम करने वाले जो गरीब से गरीब मजदूर हैं, जो कम से कम पचास हजार की संख्या में है, उनके ऊपर इससे असर होता है। जो चार पर्सेन्ट टैक्स टर्न ओवर पर है उससे दो तीन बार टर्न होने से वह बारह पर्सेन्ट तक हो जाता है। इस से जो माल बाहर जाता है, राजस्थान से बाहर और देश से बाहर जाता है उसमें वह दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इस वास्ते यह उचित समझा गया, मजदूरों को राहत देने के लिए और उनको बराबर काम मिलता रहे उसके लिए यह काम किया है। जब हमने गरीबों और मजदूरों के हित में यह किया तो भी यह कहा गया कि आप के पैसे वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वे हीरे जवाहरात खरीदते हैं। मै अर्ज करना चाहता हूं कि जो दस हजार का हीरा खरीदेगा उस को एक पर्सेन्ट से फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन मजदूर अपना माल बना करके इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में

(श्री चन्दनमल बैद)

बेचता है, उसको कम्पीट करने में फर्क आयेगा, अगर उसको चार रुपये रोज भी मिल जाये तो उसको फर्क पड़ने वाला है लेकिन जो पैसे वाला है, जिसको दस हजार का हीरा खरीदना है उसको एक पर्सेन्ट से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मजदूर को जरूर फर्क पड़ेगा और इसीलिए मजदूर के हित को नजर में रख कर इसमें कमी की गई है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि स्कूटर पर टैक्स कम कर दिया कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। राजस्थान में एक ही स्कूटर फैक्ट्री है और वह भी सरकारी क्षेत्र में है। उस सरकारी फैक्ट्री का माल ज्यादा राजस्थान में बिके, राजस्थान से बाहर बिके, मजदूरों को बराबर काम मिलता रहे, हमारी फैक्ट्री नुकसान में नहीं जाय, इसलिए यह काम किया गया है। इसको काफी सोच समझ कर किया गया है। यह कहना कि मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट्स रिश्तेदार हैं, मैं बनिया हूं इसलिए व्यापारी भी हो सकता हूं लेकिन मैं बता दूं कि मैंने कभी व्यापार किया नहीं है। मैं शुरू से राजनीति में हूं : इसलिए यह न समझें कि चूंकि मैं बनिया हूं। इसलिए व्यापारी भी हो सकता हूं और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है........

श्री ओंकार लाल चौहान : आप राजनैतिक व्यापारी हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कार्मशियल क्रोप पर छूट दी गई उसके बारे में कहना चाहता हूं। आपने एक उदाहरण दिया कि साठ बीघा के खेत पर खेती करता है तो सवा बीघा की रिलीफ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कार्मशियल क्रोप पर आधा एकड़ की छूट मिलेगी जिसका मतलब है कि साठ बीघा के खेत पर सात तरह की केश क्रोप बोता है तो साढ़े तीन एकड़ जमीन छूटती है। जिसमें रायला बो सकता है, सरसों बो सकता है, किसी में मिर्ची की होगी, जीरा बोया होगा तो आधा आधा एकड़ सात फसलों को लें तो साढ़े तीन एकड़ की छूट होगी जो छोटे किसान के लिए बहुत है। अगर आपकी चिंता बड़े किसान के लिए है तो यह मेरे लिए संभव नहीं है। यह सारी छूट छोटे किसानों के लिए है और मैं समझता हूं कि यह काफी अच्छा है।

खल पर छूट समाप्त करने का आपने ऐतराज किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी चिन्ता यह है कि एक छोटा किसान तेल निकाल कर खल बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि बड़ी बड़ी ऑयल मिल हैं वह तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उसको यू. पी., बिहार, गुजरात में भेजती हैं और मुनाफा कमाती हैं। उन पर छूट होना आज उचित नहीं है। इस वास्ते खल पर एक पर्सेन्ट टैक्स लगाया है। लोग सैकड़ों हजारों मन खल भेज रहे हैं इस वास्ते उनको कवर करने के लिए यह किया है। जहां तक यहां पर खल के उपयोग का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान सिवाय भैंस को छोड़ कर गाय और दूसरे पशु हैं उनको दूसरी चीजें ग्वार और दूसरी चीजें देते हैं।.......

उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की कि किसानों को ऋण देने के बारे में

(श्री चन्दनमल बैद)

कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1976-77 के सहकारी वर्ष में हमारे जो देहाती वर्ग के परिवार हैं, उनमें से 80 प्रतिशत परिवार सहकारी ऋणी से कवर-अप हो जाएंगे और उनको 1977-78 के वित्तीय वर्ष में 85 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 7 करोड़ रुपये के मध्यम कालीन ऋण व 15 करोड़ रुपये के दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाएंगे जो आज तक सहकारी समितियों द्वारा कभी नहीं दिये गये हैं। हमारे किसानों को जरूरत के आधार पर ऋण मिल सके, यह देखकर ही इन सहकारी संगठनों को मजबूत किया गया है।

इसके अलावा जो अन्य मुद्दे यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये थे, उनका मैंने जवाब नहीं दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को विचाराधीन लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1977 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.12 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

———

Page No.95

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची)

छीपाबड़ोद, जिला कोटा में परिवार नियोजन अभियान में डा० पी० के० गुप्ता द्वारा किए गए नसबन्दी आपरेशन में कम्प्लीकेशन हुए उन व्यक्तियों की तालिका :—

क्र० सं०	नाम	उम्र	ग्राम का नाम
1	2	3	4
(1)	श्री लालजी राम पुत्र श्री बिहारीलाल	45 वर्ष	देवरी मोड़ा
(2)	श्री लालजी राम पुत्र श्री धूलीलाल धाकड़	45 वर्ष	,,
(3)	श्री प्रभुलाल पुत्र श्री लालजी धोबी	50 वर्ष	अजनावर
(4)	श्री नाथूलाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम काछी	49 वर्ष	गोरधनपुर
(5)	श्री मोविन पुत्र श्री मन्ना	45 वर्ष	अजनावर
(6)	श्री ब्रिजमोहन पुत्र श्री रतन हरिजन	32 वर्ष	,,
(7)	श्री छीतर पुत्र श्री हीरालाल बैरवा	35 वर्ष	,,
(8)	श्री हरिवल्लभ पुत्र श्री कल्याण प्रसाद	35 वर्ष	शेखपुरा
(9)	श्री रामनारायण पुत्र श्री देवलाल	36 वर्ष	अजनावर
(10)	श्री कजोड़ पुत्र श्री मोधा भील	40 वर्ष	,,
(11)	श्री मूलचन्द पुत्र श्री रोडू	35 वर्ष	,,
(12)	श्री रामलाल पुत्र श्री रतनलाल	40 वर्ष	,,
(13)	श्री मदनलाल पुत्र श्री अमरलाल	40 वर्ष	कायलिया

Page No.96

1	2	3
(14) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री भैरुलाल	42 वर्ष	कायलिया
(15) श्री सूरजमल पुत्र श्री पन्नालाल	50 वर्ष	,,
(16) श्री ईश्वरीलाल पुत्र श्री भोला चमार	45 वर्ष	दीगोद खालसा
(17) श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धूलीलाल काछी	35 वर्ष	उतावली
(18) श्री रम्ता पुत्र श्री लट्टूर कराड	48 वर्ष	गुलखेड़ी
(19) श्री मथुरालाल पुत्र श्री धूलीलाल काछी	28 वर्ष	उतावली
(20) श्री पाना चन्द पुत्र श्री धन्नालाल	48 वर्ष	दीगोद खालसा
(21) श्री कजोड़ पुत्र श्री किशनलाल	35 वर्ष	खजूरिया
(22) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बिरधीलाल	35 वर्ष	देवरी जोध
(23) श्री दुलीचन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जाटव	32 वर्ष	छीपाबड़ोद
(24) श्री बद्रीलाल पुत्र श्री रोडू कोली	40 वर्ष	गंगयाना
(25) श्री माधोलाल पुत्र श्री रोडू कोली	40 वर्ष	,,
(26) श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री बंशीधर डा.	33 वर्ष	छीपाबड़ोद
(27) श्री भैरुलाल पुत्र श्री मांगीलाल कुम्हार	32 वर्ष	,,
(28) श्री चौथमल पुत्र श्री माली	35 वर्ष	,,
(29) श्री छैलबिहारी पुत्र श्री किशनलाल महाजन	26 वर्ष	,,
(30) श्री मुस्तफा मो. पुत्र श्री भूरे खां	35 वर्ष	,,

1	2	3	4
(31)	श्री जयपाल पुत्र श्री मनफूल नायक	40 वर्ष	गोरधनपुरा
(32)	श्री सुल्तान बेग पुत्र श्री चांद बेग	35 वर्ष	छीपाबड़ोद
(33)	श्री गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र	40 वर्ष	गोरधनपुरा
(34)	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री काछी	45 वर्ष	अजनावर
(35)	श्री घासीलाल पुत्र श्री ओंकारलाल जाटव	45 वर्ष	ठोलप
(36)	श्री कस्तूरचन्द पुत्र श्री मोतीलाल	42 वर्ष	,,
(37)	श्री मांगीलाल पुत्र श्री रामलाल डा.	43 वर्ष	,,
(38)	श्री रामकिशन पुत्र श्री ओंकार धाकड	38 वर्ष	,,
(39)	श्री हीरालाल धाकड	35 वर्ष	जियाना
(40)	श्री गोपाल पुत्र श्री अमरा बैरवा	40 वर्ष	अजनावर
(41)	श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र महाजन	50 वर्ष	छीपाबड़ोद
(42)	श्री भेरुलाल पुत्र श्री कालूराम	45 वर्ष	,,
(43)	श्री गोपाललालपुत्र श्री रूपा	48 वर्ष	,,
(44)	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री देवलाल माली	37 वर्ष	,,
(45)	श्री मांगीलाल पुत्र श्री धुलीलाल चंदेल	45 वर्ष	,,
(46)	श्री मोहनलाल पुत्र श्री किशनलाल तेली	34 वर्ष	गोरधनपुरा
(47)	श्री रामचन्द्र माली श्री रूपा	45 वर्ष	,,

1	2	3	4
(48)	श्री नंदकिशोर पुत्र श्री रामगोपाल	35 वर्ष	गोरधनपुरा
(49)	श्री रईस अहमद पुत्र श्री हाजे मुल्ला	42 वर्ष	छीपाबड़ोद
(50)	श्री किशन जोशी पुत्र श्री हीरालाल	35 वर्ष	गोरधनपुरा
(51)	श्री श्यामलाल पुत्र श्री सूरजमल लोधा	33 वर्ष	कालथा
(52)	श्री जगन्नाथ लोधा पुत्र श्री प्यारे लाल	38 वर्ष	,,
(53)	श्री प्रभूलाल पुत्र श्री हीरालाल	30 वर्ष	बमवाला

Page No.99

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची)

वर्ष 1976-77 में नवीन अस्पताल एवं डिस्पेन्सरियां खोले जाने वालों की तालिका

क्रम संख्या	जिले का नाम	संख्या	नवीन खोली जाने वाली डिस्पेन्सरी का नाम व तहसील	दिनांक (स्वीकृति की)
1.	अजमेर	1	आदर्श नगर (अजमेर शहर)	31-1-77
2.	अलवर	1	भीलवाड़ा चौहान (मण्डावर)	"
3.	बांसवाड़ा	1	सज्जनगढ़ (कुशलगढ़)	"
4.	बाड़मेर	1	पटौदी (पंचमपुरा)	"
5.	भरतपुर	1	बनिया (धौलपुरा)	"
6.	भीलवाड़ा	2	ब्राह्मणों की सरेड़ी (आसींद)	"
			सलावटिया (माण्डलगढ़)	"
7.	बीकानेर	1	जेसरासर (नोखा)	"
8.	चूरू	1	सिटी डिस्पेन्सरी (बांगला) चूरू	"
9.	चित्तौड़गढ़	1	रावतबाड़ा (बेगूं)	"
10.	गंगानगर	2	केसरीसिंहपुरा (गंगानगर)	"
			डबली राठान (हनुमानगढ़)	"
11.	जयपुर	2	नीजगढ़ (सिकराय)	"
			राडावास (बैराठ)	"
12.	जैसलमेर	1	बलकुण्ड (पोकरण)	"
13.	जालोर	1	बावेड़ी (जालोर)	"
14.	झुंझुनूं	1	नुर्वा (नवलगढ़)	"
15.	जोधपुर	1	पत्थर की खान क्षेत्र (जोधपुर)	"
16.	कोटा	1	जवाहर सागर बांध (कोटा)	"
17.	नागौर	1	जायल (जायल)	"
18.	पाली	1	देवलकलां (रायपुर)	"
19.	सीकर	1	मेहला (लक्ष्मणगढ़)	"
20.	सिरोही	1	वाण्डिया (सिरोही)	"
21.	उदयपुर	1	सभारवड़	"
22.	डूंगरपुर	1	सरोदा (सागवाड़ा)	14-2-77
23.	नागौर	1	लाडनूं नेत्र चिकित्सालय	17-1-77

Page No.100

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची)

सूची एक:—जोधपुर नगर की क्रमोन्नत संस्थाएं जिन्हें जुलाई 76 से 5 को पूर्ण हो गये हैं किन्तु अनुदान क्रमोन्नत स्तर का नहीं मिल रहा है।

क्र. संख्या	संस्था का नाम	क्रमोन्नत स्तर	क्रमोन्नत का वर्ष
1.	सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	माध्यमिक	जुलाई, 69
2.	तिलक बाल विद्यापीठ उ. मा. वि., जोधपुर	उ. प्रा. वि.	,,
3.	सुभाष शाला उ. प्रा. वि., जोधपुर	,,	,,
4.	लालबहादुर शास्त्री प्रा. वि.	,,	,,
5.	बाल विद्यापीठ उ. प्रा. वि., जोधपुर	,,	,,
6.	उम्मेद कन्या मा. वि., जोधपुर	माध्यमिक	जुलाई, 70
7.	दयानन्द विद्या मन्दिर मा. वि., जोधपुर	,,	,,
8.	महालक्ष्मी कन्या मा. वि., जोधपुर	,,	जुलाई, 71

सूची दो:—जोधपुर नगर की नई संस्थाएं जिन्हें पिछले मार्च वर्ष से मान्यताप्राप्त है किन्तु अनुदान नहीं मिला है।

1.	काशी विद्या भवन, जोधपुर	मोटेन्सरी	जुलाई, 71
2.	महेश चिल्ड्रन स्कूल, जोधपुर	,,	जुलाई, 67
3.	दाज शिशु शाला, जोधपुर	प्रा. वि.	जुलाई, 66
4.	शिशु निकेतन प्रा. वि. सरदारपुरा, जोधपुर	,,	,,
5.	जवाहरलाल शिशु मन्दिर, जोधपुर	,,	जुलाई, 69
6.	जय बजरंग शिशुशाला, जोधपुर	,,	,,
7.	नेहरू शिशु शाला, जोधपुर	,,	,,
8.	चिल्ड्रन होम, जोधपुर	,,	,,
9.	सविता प्रा. वि., जोधपुर	,,	जुलाई, 70
10.	शिव ओम राकयले प्रा. वि., जोधपुर	,	,,
11.	नवजीवन बाल मन्दिर, जोधपुर	,,	जुलाई 71
12.	बाल प्रा. वि., जोधपुर	,,	,,
13.	शिक्षा सदन प्रा. वि. बेदी मोहल्ला, जोधपुर	,,	,,
14.	रेलवे रनिंग रोड प्रा. वि., जोधपुर	,,	,,